लोक-सभा वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४९, १९६०/१८८२ (शक)

[१२ से २३ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण से २ पौष, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४९ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय सूची

[द्वितीय माला--खण्ड ४९--अंक २१ से ३०--१२ से २३ दिसम्बर १९६०/ अग्रहायण २१ से २ पौष १८८२ (शक)]

पृष्ठ

अंक २१--सोमवार, १२ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८३६, ८३८, ८४० और ८४१ . २४२३--४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३७, ८३९ और ८४२ से ८६५ . . २४४२--५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६२१ से १७०० . . . . २४५२--८९

निधन सम्बन्धी उल्लेख २४८९

सभा पटल पर रखा गया पत्र . २४८९

विशेषाधिकार समिति--

ग्यारहवां प्रतिवेदन २४८९

लोक लेखा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन . . २४८९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

श्री ए० के० चन्दा की वित्त आयोग के सभापति के पद पर नियुक्ति २४९०–९१

तारांकित प्रश्न संख्या २६९ के उत्तर की शुद्धि . . . २४९१

कांगों की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . . . २४९१—९८

भैरवपुर (सिलचर) में डकैती के सम्बन्ध में वक्तव्य . २४९८–९९

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर . . २४९९

रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . २४९९—२५०२

खंड २ और १ . . . . . २५०२

पारित करने का प्रस्ताव २५०२

पृष्ठ

त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . २५०२–०५

खंड २, ३ और १ . . २५०५

पारित करने का प्रस्ताव . . . २५०५

पशु निर्दयता निवारण विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५०५—२४

कार्य मंत्रणा समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन २५२४

दैनिक संक्षेपिका— . . . . . २५२५—३१

अंक २२—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९६०/२२ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २५३३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ से ८७०, ८७२ से ८७४, ८७६ से ८७८ और ८८६ २५३३—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७१, ८७५, ८७९ से ८८५ और ८८७ से ८९१ २५५५—६१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०१ से १७७२ . २५६१–९४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २५९४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २५९५–९६

राज्य सभा से सन्देश २५९७

दहेज निषेध विधेयक—राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में . २५९७

बाल विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में . २५९८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

सरकारी आदेश के फलस्वरूप ऊनी कपड़ा मिलों की कठिनाइयां . २५९८–९९

कार्य मंत्रणा समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन . २५९९

पशु निर्दयता निवारण विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५९९—२६०७

खंड २ से ४१ और १ . . . . . २६०४—०७

पारित करने का प्रस्ताव २६०७

पृष्ठ

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २६०७–२०

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और उपक्रमों सम्बन्धी प्रकाशन के बारे में प्रस्ताव २६२०–३३

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित २६३४

दैनिक संक्षेपिका २६३५–४२

अंक २३—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९६०/२३ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ८९४, ८९६, ८९७, ८९९, ९०२ से ९०४ और ९०७ से ९१६ . . २६४३–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८, ९००, ९०१, ९०५ और ९०६ २६६५–६८

अतारांकित प्रश्न संख्या . १७७३ से १८३६ २६६८–९४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . २६९४

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश गन्ना उप-कर अधिनियम, १९५६ के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय . . . २६९५–९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २६९६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चौहत्तरवां प्रतिवेदन . . . २६९६

प्राक्कलन समिति —

एक सौ एकवां प्रतिवेदन २६९७

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक . . . २६९७–९९

विचार करने का प्रस्ताव २६९७

खंड २ से ६ और १ . . . . २६९७–९९

पारित करने का प्रस्ताव २६९९

प्रसूति लाभ विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २६९९–२७१४

अधिमान–प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २७१४–२०

खंड २ से ७ और १ . . २७२०

पारित करने का प्रस्ताव . . २७२०

पृष्ठ

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २७२०–२१

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों सम्बन्धी प्रकाशन और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में प्रस्ताव . २७२१—४७

दैनिक संक्षेपिका २७४८—५३

अंक २४—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९६०/२४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१७ से ९२०, ९२२ से ९२६ और ९२९ . २७५५—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२१, ९२७, ९२८ और ९३० से ९४३ . २७७७—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३७ से १८६८ और १८७० से १८९९ . २७८५—२८०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . २८०९—१०

राज्य सभा से सन्देश २८१०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

बाईसवां प्रतिवेदन २८१०

भारत और पाकिस्तान के बीच बेरूबाड़ी यूनियन के प्रस्तावित विभाजन के बारे में याचिका २८१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा विद्रोहियों द्वारा मनीपुर राइफल्स के दो सिपाहियों का मारा जाना २८१०—१२

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक . . . २८१२—३९

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २८१२—३४

खंड २ से ४० और १ . . २८३४—३८

पारित करने का प्रस्ताव २८३९

निवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २८३९—५२

कच्चे माल सम्बन्धी समिति के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . २८५३—५७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८५८—६३

अंक २५—शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९६०/२५ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४५, ९४७ से ९५३, ९५७, ९५८, ९६० और ९६१ . . . . २८५८—८९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४६, ९५४ से ९५६, ९५९ और ९६२ से ९६७ . २८८९—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या १९०० से १९५८ . . . २८९४—२९२०

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेपाल नरेश द्वारा नेपाली मंत्रिमंडल की बरखास्तगी . २९२१—२२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९२२—२३

प्राक्कलन समिति—

अट्ठानवेवां प्रतिवेदन २९२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राउरकेला उर्वरक कारखाने के मजदूरों द्वारा हड़ताल २९२३

सभा का कार्य २९२४

औचित्य प्रश्न के बारे में . . . २९२४–२५

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक—पुरस्थापित २९२५—३२

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित २९३२–३३

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक . . २९३४—४३

विचार करने का प्रस्ताव २९३४—३८

खंड २ और १ . . २९३८—४३

पारित करने का प्रस्ताव २९४३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चौहत्तरवां प्रतिवेदन २९४३

सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . २९४४

निशान लगा कर मतदान करने की नई प्रणाली के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . . . . २९४४—७४

कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर बढ़ाये जाने के बारे में संकल्प . २९७४

कार्य मंत्रणा समिति— . . . . .

साठवां प्रतिवेदन २९७४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २९७५—८०

अंक २६—सोमवार, १९ दिसम्बर, १९६०/२८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २९८१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८ से ९७२ और ९७४ से ९७८ . . २९८१—३००३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . ३००३—०५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९७३ और ९७९ से ९९७ . . . ३००५—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १९५९ से २०४७ . . ३०१४—५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३०५२

राज्य सभा से सन्देश . . . ३०५२

सालारजंग संग्रहालय विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ३०५३

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . ३०५३

(२) तार विधियां (संशोधन) विधेयक . ३०५३

कार्य मंत्रणा समिति—

साठवां प्रतिवेदन . . . ३०५३

अनुपस्थिति की अनुमति ३०५४–५५

मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि ३०५५

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक और संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३०५५—८६

असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेन्टों की परीक्षाओं के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३०८६–९२

दैनिक संक्षेपिका ३०९३–३१००

अंक २७—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९६०/२९ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ३१०१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ से १००३ और १००५ से १००८ ३१०१—२२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ से ७ ३१२२—३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००४ और १००९ से १०२६ ३१३०—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या २०४८ से २१२१ . . . ३१३७–६९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३१६९

प्राक्कलन समिति—

निन्यानवेवां प्रतिवेदन ३१७०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

त्रिपुरा के जोतदारों द्वारा कुर्फा-उप-काश्तकारों के विरुद्ध की गई आक्रामक कार्यवाही ३१७०

पृष्ठ

लाम्रोस की स्थिति के बारे में वक्तव्य ३१७०

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) संशोधन विधेयक तथा संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ३१७०—३२०२

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक के खण्ड २, ३, प्रथम और द्वितीय अनुसूचियां और खण्ड १ . . . . ३२०२—०३

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक के खण्ड २ से ११, प्रथम और द्वितीय अनुसूची . . . . ३२०३—०५

मत्स्य पालन शिक्षा की केन्द्रीय संस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३२०५—१०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३२११—१७

अंक २८—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९६०/३० अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०३८ और १०४५—क ३२१९—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२७, १०३९, १०४०, १०४०—क, १०४१, १०४१-क, १०४२ से १०४५, १०४६ से १०५२, १०५२—क, और १०५३ . . . . ३२४३—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२२ से २२०२, २२०४ से २२१९, २२२१ से २२२४ और २२२४—क . . . ३२५३—९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३२९८—९९

राज्य सभा से सन्देश ३२९९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

पिचहत्तरवां प्रतिवेदन . . ३३००

लोक-लेखा समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन ३३००

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में दासता का प्रचलन. ३३००—०२

कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य . . . . ३३०२—०६

भारी बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित ३३०६

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ३३०७—२१

खंड २ से ८ और १ . . . . . ३३२१—२३

पारित करने का प्रस्ताव . . . ३३२३

मध्यम पत्तन विकास समिति को प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ३३२४—३८

श्री ए० के० चन्दा को वित्त आयोग का सभापति नियुक्त किये जाने के बारे में चर्चा ३३३९—५३

आधे घंटे की चर्चा के बारे में . ३३५३

दैनिक संक्षेपिका . ३३५४—६०

अंक २९—गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९६०/१ पौष, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५४ से १०५९, १०६१, १०६२, १०६४, १०६५, १०६७ और १०६८ . . . . ३३६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ से १० . ३३८४—८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६३, १०६६ और १०६९ से १०७९ ३३८९—९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २२२५ से २२७४ और २२७६ से २३११ . ३३९५—३४३१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ३४३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३४३१–३२

राज्य सभा सन्देश ३४३२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

कार्यवाही सारांश ३४३३

सभा का कार्य ३४३३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश . . . ३४३३

याचिका समिति—

कार्यवाही सारांश और ग्यारहवां प्रतिवेदन . . ३४३३

प्राक्कलन समिति—

एक सौ दोवां प्रतिवेदन ३४३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रुद्रसागर, आसाम में तेल मिलने का समाचार . . ३४३४

	पृष्ठ
ई० एन० आई० के दल के साथ चर्चा के बारे में वक्तव्य .	३४३४—३६
बाल विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३४३६—६०
निर्वाचनआयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	३४६०—६५
राज्य व्यापार निग म के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	३४६५—६९
दैनिक संक्षेपिका . . .	३४७०—७६

अंक ३०—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९६०/२ पौष, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०८० से १०८९, १०९१ से १०९३ और १०९७	३४७७—३५०१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ से १४ . . .	३५०१—१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९०, १०९५, १०९६ और १०९८ से ११०६ .	३५१०—१५
अतारांकित प्रश्न संख्या २३१२ से २४०३ . . .	३५१५—६०
निधन सम्बन्धी उल्लेख	३५६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३५६०—६२
तीसरी पंवर्षीय योजना के प्रारूप संबंधी समितियों के कार्यवाही-सारांश .	३५६२–६३
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	३५६३
कार्यवाही-सारांश तथा दसवां प्रतिवेदन . . .	३५६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) गुजरात में तेल साफ करने का कारखाना . .	३५६४—६६
(२) दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों के झोंपड़ों का गिराया जाना	३५६६
(३) जम्मू तथा काश्मीर में विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान और	
(४) शरणार्थियों को दंडकारण्य में ले जाने के बारे में योजना	३५६६
विधेयक पुरःस्थापित—	
(१) दण्ड विधि संशोधन विधयेक	३५६७
(२) द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक . .	३५६७
(३) विशिष्ट सहायता विधेयक	३५६७
(४) अवधि विधेयक	३५६८

	पृष्ठ
बाल विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३५६८—७३
खंड २ से ६० तथा १	३५७३
पारित करने का प्रस्ताव	३५७३—७५
तार विधियां (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३५७५—८०
खंड २ से ५ और १	३५८०
पारित करने का प्रस्ताव	३५८०
ब्रिटिश संविधियां (भारत पर लागू होना) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३५८०—८२
खंड २, ३ और १	३५८२
पारित करने का प्रस्ताव	३५८२
निरसन तथा संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—पारित .	३५८२–८३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . .	३५८३
पिचहत्तरवां प्रतिवेदन	३५८३
छोटे कलाकार (रोजगार का विनियमन) विधेयक [श्री नारायण गणेश गोरे का]—पुरःस्थापित	३५८३
गोवध पर प्रतिबन्ध (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक [पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" का]—	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत. . . .	३५८३–८४
भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक [श्री नरसिंहन् का]—वापस लिया गया परिचालित करने का प्रस्ताव	३५८५—८९
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १९८ का संशोधन) [श्री मती सुभद्रा जोशी का] . . .	३५८९–९०
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत . . .	३५९०
दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक (धारा १०७, १२९, १४४ का संशोधन और नई धारा १३१क का रखा जाना) [श्री तंगामणि का]—	
विचार करने का प्रस्ताव	३५९०—३६०५
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के बारे में आधे घंटे की चर्चा. .	३६०६—१५
कार्यवाही संबंधी उल्लेख	३६१५
दैनिक संक्षेपिका	३६१६—२४

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्नों में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPD—LS III—1724(Ai) LSD—12-1-61—115.

लोक-सभा

बुधवार, २१ दिसम्बर, १९६०

३० अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सूती कपड़ा उद्योग

†*१०२८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कपड़ा मिल का लाभप्रद आकार क्या है ;

(ख) क्या बहुत सी मिलें लाभप्रद आकार से छोटे आकार की हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी मिलों का आकार बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या भारत में सूती कपड़ा उत्पादन में वृद्धि दिखायी पड़ी है और यदि हां, तो कितनी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल ने, जिसने हाल ही में इस प्रश्न की जांच की, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले :

> "हमारा यह विचार है कि सब बातों पर ध्यान देकर, वर्तमान दशाओं में एक कपड़ा उद्योग का न्यूनतम लाभप्रद और कार्य करने योग्य आकार १२,००० तकुओं और ३०० करघों का है। क्योंकि यह बिल्कुल न्यूनतम क्षमता है, हम यह भी सुझाव करते हैं कि इस उद्योग में यथासमय १८,००० तकुओं और ४०० करघों तक की वृद्धि हो और आगे चल कर यह लगभग २५,००० तकुवे और ५०० करघे हो जायें। यह राय देने में, हमारा इस तथ्य से मार्ग दर्शन हुआ है कि इस उद्योग में शनैः शनैः प्रगति हो रही है ।"

(ख) जी, हां ।

†मूल अंग्रेजी में

1705 (Ai) LSD—1

(ग) ऐसे एककों से लाभप्रद स्तर तक विस्तार के लिये आवेदन पत्रों पर उनके हक में विचार किया जाता है और उनको लाइसेंस दिये जाते हैं ।

(घ) सूती कपड़े का उत्पादन न्यूनाधिक ५१,०००-५२,००० लाख गज प्रति वर्ष के अधिस्थापित क्षमता के बराबर है ।

†**श्री कालिका सिंह** : भारत में ४२८ सूती कपड़ा मिलों में से कितनी मिलें लाभप्रद आकार से छोटे आकार की हैं ?

†**श्री कानूनगो** : उनकी संख्या लगभग ५१ है ।

†**श्री कालिका सिंह** : उन कपड़ा मिलों को लाइसेंस देने के अतिरिक्त सरकार उनको कार्यकारी दल द्वारा निर्धारित मानस्तर पर लाने के लिये क्या कार्य कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : जैसे ही तकुवे उपलब्ध होते हैं, इन मिलों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है । परन्तु इस समय उद्देश्य यह है कि प्रत्येक को १२,००० तकुओं के स्तर पर लाया जाये ।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या सरकार मिलों को विस्तार के लिये ऋण भी दे रही है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं ।

†**श्री तंगामणि** : चालू वर्ष यानी वर्ष १९६०-६१ में १२,००० तकुवे और ३०० करघे वाले कितने अलाभप्रद एकक २५,००० तकुवे और ५०० करघों वाले एकक बन गये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं परन्तु इस समय पूरी मिलों में कमी है ।

†**श्री तंगामणि** : जहां पर वे लाभप्रद नहीं हैं अर्थात् जहां पर १२,००० तकुवे और ३०० करघे हैं, क्या उन्होंने यूनिट में २५,००० तक तकुवे और ५०० तक करघे बढ़ाने को सरकार को कहा है, यदि हां, तो ऐसी कितनी मिलों ने सरकार से कहा है और उन्होंने क्या प्रगति की है ?

†**श्री कानूनगो** : उनको आज्ञा नहीं दी गयी है । प्रथमतः प्राथमिकता १२,००० तकुओं से कम वाली मिलों को दी जाती है ।

†**श्री स० र० अरुमुगम्** : क्या छोटे एककों को लाइसेंस देने की सरकार की कोई प्रस्थापना है ताकि उद्योग का विकेन्द्रीकरण किया जा सके ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं । उद्देश्य यह है कि प्रत्येक को १२,००० तकुओं के स्तर पर लाया जाये ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : ऐसे कितने एकक हैं जो लाभप्रद एकक के लिये निर्धारित मान स्तर के नहीं हैं ।

†**श्री कानूनगो** : ५१ मैं बता चुका हूं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या १२,००० तकुवे और ३०० करघे स्थापित करने के लिये नये लाइसेंस दिये जाते हैं अथवा वे केवल २५,००० तकुवे और ५०० करघे स्थापित करने के लिये ही दिये जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : तकुवे उपलब्ध होने पर लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर उन मिलों को दिये जाते हैं जिनमें तकुवे १२,००० से कम है ।

†**श्री स० र० अरुमुगम** : क्या सरकार ने नयी बुनकर मिलें चालू करने के लिये लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध कितने समय तक चलेगा ?

†**श्री कानूनगो**: जी, हां तब तक नयी मिलों को इजाजत नहीं दी जाती जब तक कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तकुवे फालतू न हो जायें ।

†**श्री स० र० अरुमुगम्** : सहकारी आधार पर भी ?

†**श्री कानूनगो** : सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है परन्तु तकुवे उपलब्ध होने पर ही ।

अखबारी कागज का निर्माण

†*१०२९. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०२८ के उत्तर में दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिए ७ सितम्बर, १९६० को संसद्-कार्य मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम जर्मनी की फर्म, मेसर्स अशाफेन वर्गर जैलोस्टोफवर्के[1] से, जो आन्ध्र प्रदेश में शेकर नगर में पैदा की गयी खोई से अखबारी कागज बनाने के लिए पश्चिम जर्मनी से बड़े पैमाने पर परीक्षण करने वाली थी, इस बीच कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). जी, नहीं । यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया है और आन्ध्र सरकार वहां पर एक कागज का कारखाना स्थापित करने के कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या मैं मंत्री महोदय के उत्तर से यह समझूं कि वह प्रस्ताव छोड़ दिया गया है जिसमें फर्म द्वारा सुझाये गये कुछ परीक्षण करने के लिये पश्चिम जर्मनी को ६० टन खोई भेजी जानी थी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां । सभी टेक्निकल परीक्षणों के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब हम यहां पर कागज बना सकते हैं, तो इन प्रयत्नों में समय खोना बेकार है । अत वह प्रस्ताव छोड़ दिया गया है क्योंकि पहले की रिपोर्टें संतोषजनक नहीं थीं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या यह सच है कि बालचन्द नगर में कुछ व्यक्तियों को खोई से अखबारी कागज बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : दो कारखानों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं । और धीरे धीरे अधिकाधिक खोई इस्तेमाल करने का उनका विचार है । यह संभवत: मुख्यत: आयात किये गये गूदे (पल्प) पर निर्भर है । परन्तु प्रयत्न यह होगा कि धीरे धीरे आयातिक गूदे (पल्प) को खोई के प्रयोग द्वारा बढ़ाया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Messrs. Aschaffenburger Zellostoffwerke.

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पश्चिम जर्मनी के अतिरिक्त अन्य किसी देश में कोई सार्थ है जो खोई से अखबारी कागज़ बनाती है क्योंकि मुझे याद है कि पिछली बार मंत्री महोदय ने बताया था कि पश्चिम जर्मनी के अलावा और किसी देश में खोई से अखबारी कागज नहीं बनता ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह सच है । परन्तु पिछले एक वर्ष में अमरीका और हवाई में प्रयोग किये गये हैं और अच्छी खबरें मिली हैं कि सब नहीं तो कुछ खोई बदली जा सकती है । अतः ये दो फ़र्में, जिनको महाराष्ट्र में लाइसेंस दिये गये हैं, खोई से गूदा बनाने का प्रयत्न कर रही हैं ।

डा० गोविन्द दास : जहां तक इस बगास का सम्बन्ध है, यह आन्ध्र के सिवा क्या और भी हमारे कुछ राज्यों में होता है, और अगर होता है तो क्या वहां पर इस प्रकार के कुछ कारखाने बनाने का विचार किया जा रहा है, जिस से कि हम को अखबारी कागज बाहर से न मंगाना पड़ ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक अखबारी कागज़ का ताल्लुक है, बगास के बारे में सरकार कोई खास कदम उठाना नहीं चाहती क्योंकि उस से कागज तो बहुत अच्छा बन सकता है, पर यहां सवाल न्यूज़प्रिंट का है । जहां तक पेपर का सवाल है सब जगह बगास मौजुद है जहां पर शुगर फैक्ट्री है, और बहुत बड़ी तादाद में शुगर फैक्ट्रीज को लाइसेंस दिया जा रहा है । उन के बगास में से कागज बन सकता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** गैर-सरकारी क्षेत्र में इन प्रस्तावित दो अखबारी कागज़ के कारखानों की पूंजी आवश्यकता कितनी है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस समय २०० टन प्रति दिन अखबारी कागज़ के संयंत्र के लिये लगभग ८ से ९ करोड़ रुपये के प्राक्कलन हैं ।

प्रादेशिक श्रम संस्थायें

†*१०३०. { **श्री प्र० के० देव :**
श्रीमती रेणुका राय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कुन्हन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष निधि की सहायता से इस देश में प्रादेशिक श्रम संस्थाएं स्थापित की जाने वाली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां स्थापित की जायेंगी और वे क्या कार्य करेंगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी, हां ।

(ख) कानपुर, कलकत्ता और मद्रास में । संस्था का मुख्य कृत्य श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिये कार्यक्रम बनाना, औद्योगिक संग्रहालय स्थापित करना, औद्योगिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना आदि होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० के० देव** : क्या ये संस्थायें केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही स्थापित की जायेंगी अथवा देश भर में फैलाई जायेंगी ?

†**श्री आबिद अली** : मैंने उन स्थानों के नाम बता दिये हैं जहां संस्थायें स्थापित की जायेंगी। केन्द्रीय संस्था बम्बई में होगी और प्रादेशिक संस्थायें कानपुर, कलकत्ता और मद्रास में ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : प्रादेशिक संस्थाओं में किये जाने वाले कार्यों की बम्बई में केन्द्रीय संस्था के कार्यों से क्या तुलना होगी ?

†**श्री आबिद अली** : केन्द्रीय संस्था बड़े पैमाने की होगी ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : इन संस्थाओं में से प्रत्येक की कुल लागत क्या है ?

†**श्री आबिद अली** : बम्बई संस्था की लागत लगभग २८,२७,००० रुपये, कानपुर की ८ लाख रुपये, कलकत्ता की ११ लाख रुपये और मद्रास की ११ लाख रुपये होगी ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इससे देश में सभी औद्योगिक संस्थाओं को लाभ होगा अथवा वहां पृथक संस्थायें भी होंगी ?

†**श्री आबिद अली** : इस प्रकार की पृथक संस्थाएं नहीं होंगी ।

†**श्री कुन्हन** : क्या इन संस्थाओं को चलाने में केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठन सम्बद्ध होंगे ?

†**श्री आबिद अली** : समय समय पर हमारे पदाधिकारी जो इन्चार्ज हैं, मुख्य कारखाना सलाहकार, केवल मालिकों और श्रमिकों से ही परामर्श नहीं करते परन्तु अन्य सम्बन्धित संगठनों और व्यक्तियों से भी परामर्श करते हैं ।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या मैं जान सकता हूं कि ये संस्थायें कब बन जायेंगी और इसमें से कितनी रकम इमारत पर खर्च की जायेगी ?

†**श्री आबिद अली** : इन संस्थाओं के लिये किराये की जगह ली गयी है । प्रादेशिक संस्थायें बनाने के लिये भमि ले ली गयी है और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं । जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है, निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है । केन्द्रीय संस्था के लिये अंशदान के बारे में, ८५,००० डालर अमरीका देगा और अन्य संस्थाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष निधि द्वारा लगभग ३५१,००० डालर दिये जायेंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इन संस्थाओं की स्थापना के लिये इस वित्तीय सहायता के फलस्वरूप, ऐसी कोई संभावना है कि इन संस्थाओं द्वारा चलाये गये विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अथवा विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति के लिये उन विदेशी एजेन्सियों को भेजा जायेगा जो वित्तीय सहायता दे रही हैं ?

†**श्री आबिद अली** : उनकी स्वीकृति के लिये नहीं । संभवत: उनके परामर्श से कार्यक्रम तैयार किया गया है ।

पटसन और पटसन की वस्तुओं के बाजार का बन्द होना

†***१०३१. श्री अरविन्द घोषाल** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन और पटसन की वस्तुओं का बाजार अक्तूबर, १९६० में बन्द कर दिया गया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

हां, तो उसका क्या कारण था ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां । वायदा बाजार ६ अक्तूबर की दोपहर से ८ अक्तूबर, १९६० तक ढाई दिन के लिये बन्द कर दिया गया था ।

(ख) इस बात की पुष्टि होने पर कि चालू सीजन में पाकिस्तान और भारतीय पटसन की फसलें पूर्वाशा के विपरीत काफ़ी कम हुई हैं, ६ अक्तूबर, १९६० की प्रातः वायदा मूल्यों में एकदम वृद्धि हो गयी । ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हेसियन एक्सचेन्ज लिमिटेड, कलकत्ता के अध्यक्ष ने मार्केट बन्द कर दिया ताकि बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्स स्थिति का पुनर्विलोकन कर सकें और मूल्यों में वृद्धि को रोक सकें ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या मल्यों में वृद्धि मुख्यतः पटसन के व्यापारियों में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति के कारण हुई ?

†**श्री कानूनगो** : जी, हां । यह चालू सीजन के लिये पटसन की उपलब्धता के बारे में गलत जानकारी पर आधारित था जिससे वायदा खरीदारी बढ़ गयी ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पटसन उपलब्ध नहीं होगा, जो करघे सील कर दिये गये हैं, दुबारा खोल दिये जायेंगे और क्या सरकार मिल मालिकों से ये करघे दुबारा खोलने को कहेगी ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं । पटसन के संभरण में कमी बनी रहती है और पाकिस्तान में भी पटसन के मूल्य और उपलब्धता कठिन है ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि पाकिस्तान जूट मिल एसोसियेशन के इस फैसले के कारण कि कार्य के घंटों में कमी करके उत्पादन घटाया जाये, पटसन की वस्तुओं के भाव तेजी से बढ़ गये और क्या यह भी एक कारण है ?

†**श्री कानूनगो** : पाकिस्तान के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है । मेरे पास यह सूचना है कि इस वर्ष पाकिस्तान में पटसन की फसल कम रही और पाकिस्तान में कच्चे पटसन के मूल्य बहुत अधिक थे ।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या सट्टे की प्रवृत्ति और कच्चे पटसन और पटसन उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण, पिछले कुछ महीनों में निर्यात में कमी हुई है और यदि हां, तो मूल्य और मात्रा कितनी है ?

†**श्री कानूनगो** : नवम्बर के निर्यात के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । स्पष्टतः उसमें कमी हुई होगी क्योंकि उत्पादन कम हुआ है और मूल्य अधिक हुए हैं ।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या यह सच नहीं है कि इस समय कलकत्ता के बाजारों में जो पटसन का स्टाक है वह दो महीने पहले के स्टाक से अधिक है ?

†**श्री कानूनगो** : नवम्बर के स्टाक या निर्यात की स्थिति के बारे में मझे जानकारी नहीं है । मेरा अनुमान यह है कि स्टाक अधिक नहीं है ।

†**श्री वारियर** : इस वृद्धि के कारण, कितने मूल्य अधिकतम स्तर से अधिक पहुंच गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो**: कोई अधिकतम सीमा नहीं है । मूल्यों में वृद्धि हो गई और इसलिये उसके लिये एसोसियेशन ने एक सीमा बना दी ।

†**श्री प्र० चं० गुप्त** : कलकत्ता से प्रकाशित वित्त पत्रिका में एक रिपोर्ट है कि इस समय पटसन का स्टाक दो महीने पहले के स्टाक से अधिक है । क्या मंत्री महोदय जांच करेंगे और उचित पग उठायेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : नवम्बर के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । सप्ताह पूर्ण होने पर उन का पता लगेगा ।

†**श्री हेम बरूआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन महीनों में पटसन बाजार में बड़ी उथल पुथल रही है, क्या मैं जान सकता हूं कि बाजार को स्थिर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, हां । वायदे में व्यापार को नियमित करने के लिये वायदा बाजार आयोग द्वारा विभिन्न कार्यवाही की गई है । हम ने पाकिस्तान और अन्य सम्भव संसाधनों से भी कच्चे पटसन के आयात के लिये लाइसेंस जारी किये हैं ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि देश में और देश के बाहर से आने वाले पटसन की उपलब्धता भी कलकत्ते में पटसन बाजार की अस्थिरता का एक कारण है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं । हमारी रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में, जहां पटसन का उत्पादन अधिकतम होता है, मूल्य अधिक हैं ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या बन्द किये गये करघों को पुनः खोलने का कोई सुझाव है और इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं । संभरण स्थिति अभी बहुत कठिन है और जब तक हमें अन्य देशों से लाभप्रद मूल्यों पर पटसन की उपलब्धता का आश्वासन नहीं मिलता, उन्हें खोलना उचित नहीं होगा ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि कोटा पद्धति लागू होने से बाजार में इतनी उथल पुथल हुई ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं । सभी जगह उत्पादन कम है ।

नंगल उर्वरक कारखाना

\+

†*१०३२. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब नंगल उर्वरक कारखाने में पूरा-पूरा उत्पादन होने लगेगा तब प्रतिदिन लगभग ३०० टन आक्सीजन बेकार जायेगी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उस के उचित उपभोग के लिये किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) नंगल के उर्वरक कारखाने में प्रतिदिन लगभग २६५ मीट्रिक टन आक्सीजन फालतू रहेगी ।

(ख) फालतू आक्सीजन के एक भाग की बिक्री के लिये टेंडर आमंत्रित किये गये हैं । बाकी के लाभप्रद रूप में उपयोग के लिये तरीका निकाला जा रहा है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस उर्वरक कारखाने में उत्पादन कब आरम्भ हो जायगा और वहां पर गैस संयंत्र कब स्थापित किया जायगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : उत्पादन का कारखाना लगभग तैयार है । संयंत्र के विभिन्न भागों के लिये अन्तिम परीक्षण किये जा रहे हैं । मैं समझता हूं कि एक या दो महीनों में हम उत्पादन आरम्भ कर सकेंगे । जहां तक गैस संयंत्रों का सम्बन्ध है, वे सब तैयार हैं और उन सब में एक साथ उत्पादन होगा ।

†**श्री मुरारका** : २६५ टन आक्सीजन का मूल्य कितना होगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : गैस का मूल्य ४–८–० रुपये प्रति घन मीटर है ।

†**श्री मुरारका** : २६५ टन का क्या मूल्य होगा । मेरा प्रश्न यह है ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । मेरे पास दर है । लगभग ४० टन के १० लाख घन फुट बनते हैं । ये दर प्रति घन मीटर के हैं ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या नंगल उर्वरक कारखाने को चलाने के लिये आवश्यक विद्युत् संभरण उपलब्ध है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : नंगल में जेनरेटरों के चालू होने पर शनैः शनैः यह उपलब्ध होगी ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : इस कारखाने में पूर्ण रूप से उत्पादन कब आरम्भ हो जायेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : लगभग दो महीनों में आरम्भिक उत्पादन आरम्भ हो जायगा । फिर पूर्ण रूप से उत्पादन होने में इस में छः से आठ महीने तक लगेंगे । संभवतः पूर्ण रूप से उत्पादन अगले वर्ष के अन्त तक हो जायेगा ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधान मंत्री के भाषण

†*१०३३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सामाचार पत्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की पिछली बैठक की कार्यवाहियों के, जिन में संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रधान मंत्री के भाषण भी शामिल हैं, प्रकाशन के लिये क्या व्यवस्था की गई थी ;

(ख) क्या हमारे प्रधान मंत्री के मुख्य मुख्य भाषणों का पूरा-पूरा विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में जनता के लिये उपलब्ध किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश भारतीय समाचार-पत्र रायटर के समाचारों पर ही निर्भर थे ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) भारतीय समाचारपत्रों को साधारणतया समाचार अभिकरणों और यदि न्यूयार्क में उन के अपने संवाददाता हों तो उन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही के प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं । कुछ प्रमुख भारतीय समाचारपत्रों के समाचार अभिकरणों तथा संवाददाताओं ने कार्यवाही को लिया था और संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रधान मंत्री के कार्य का पूरा प्रतिवेदन दिया था । इस के अतिरिक्त, आकाशवाणी ने ३ अक्तूबर, १९६० को संयुक्त राष्ट्र महा सभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये मुख्य भाषण को प्रायः पूर्ण रूप में प्रसारित किया था और यह आकाशवाणी के सब स्टेशनों पर प्रसारित किया गया था ।

(ख) प्रधान मंत्री के प्रमुख भाषणों का पूरा पाठ भारतीय समाचारपत्रों को तथा दूसरों को जिन्हों ने इस की मांग की, वैदेशिक कार्य मंत्रालय के वैदेशिक प्रचार विभाग द्वारा यथाशीघ्र वितरित कर दिया गया था, जब ये पाठ तार द्वारा या हवाई डाक के द्वारा प्राप्त हुए ।

(ग) कुछ समाचार पत्रों को छोड़ कर जिन के अपने संवाददाता संयुक्त राज्य अमरीका में हैं, अधिकतर भारतीय समाचार पत्र पी० टी० आई०, रियूटर, एजेंस फ्रांस प्रेस आदि समाचारपत्र अभिकरणों के प्रतिवेदनों पर अधिकतर निर्भर रहते हैं ।

†**श्रीमती रेण चक्रवर्ती** : संयुक्त राष्ट्र संघ के सत्रों में वास्तव में भारत के कितने मान्यता प्राप्त संवाददाता उपस्थित थे जिन्हों ने प्रधान मंत्री के दौरे में हुई कार्यवाही को प्रकाशित किया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, परन्तु वे बहुत थोड़े हैं । बहुत कम समाचार पत्रों ने अपने विशेष संवाददाता संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजे थे । दो समाचार पत्रों अर्थात्, टाइम्स आफ इंडिया और हिन्दू के स्थायी संवाददाता वहां हैं । दूसरे समाचारपत्र कभी कभी भेजते हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इस का यह अर्थ है कि इस महत्वपूर्ण सत्र के समाचार लेने के लिय पी० टी० आई के समान कोई समाचार अभिकरण नहीं था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पी० टी० आई० वहां समाचार पत्र के रूप में नहीं एक अभिकरण के रूप में है जो वहां हमेशा रहता है ।

श्री अ० मु० तारिक : वज़ीरे आज़म की यह तक़रीर अक़वामे मुत्तहिदा में बैन-अलक़वामी हैसियत से एक ख़ास मुम्ताज़ हैसियत रखती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तक़रीर का तर्जुमा हिन्दी और दूसरी ज़बानों में कर के लोगों में तकसीम किया गया या नहीं और अगर नहीं, तो पब्लिसिटी डिविज़न कब तक ऐसा करने का इरादा रखता है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मुझे इल्म है, हिन्दी और उर्दू अख़बारों ने दोनों ने इस का तर्जुमा कर के छापा है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि सब ने तर्जुमा कर के नहीं छापा है । हिन्दी और उर्दू अख़बारों को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यकायक नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि मिनिस्ट्री की तरफ़ से तर्जुमा कर के उस को नहीं बांटा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० मु० तारिक : यह दुरुस्त है कि यह तक़रीर आप की है, लेकिन बहैसियत वज़ीरे आज़म की तकरीर होने से चूंकि यह हमारी पालिसी में एक खास हैसियत रखती है, इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि अवाम को इस से रूशनास करने के लिये क्या और ज़बानों में इस का तर्जुमा कर के इस को तक़सीम किया गया या नहीं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने कहा है कि मिनिस्ट्री की तरफ़ से ऐसा नहीं किया गया । हिन्दुस्तान के अलग अलग सूत्रों में अख़बारों में वह ज़रूर छपी है पूरी या अधूरी ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या यह सच नहीं है कि जहां संयुक्त राष्ट्र संघ का संबंध है पी० टी० आई० हमारी और भारतीय पत्रकारिता की सेवा एक योग्य युवक के द्वारा सेवा करती है जो वह पी० टी० आई० का मुख्य संसदीय संवाददाता के रूप में काम करता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा । हम ब्यौरे में पड़ना नहीं चाहते । पी० टी० आई० वहां है ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** मेरा कहने का यह अर्थ है कि न्यूयार्क में पी० टी० आई० का संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्धी संवाददाता अब सब भारतीय समाचार पत्रों के लिय समाचार भेजता है । यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिये । अन्यथा, हम रियूटर के साथ मिल जाते हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** प्रधान नासिर आदि के भाषण सम्बद्ध राजदूतावासों के द्वारा भारत में संसद् सदस्यों को वितरित किये गये हैं । मैं जानना चाहती हूं कि क्या विदेश स्थित हमारे राजदूतावासों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रधान मंत्री के मुख्य भाषण वितरण करने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता, परन्तु सामान्य प्रथा यह है कि ये भाषण मोरस रेडियो द्वारा भेजे जाते हैं । हमारी सूचना सेवायें इसे हमारे विदेश स्थित सब मिशनों को भेजती हैं और वे इसे उस प्रचार सामग्री में शामिल करते हैं जो वे जारी करते हैं । मैं नहीं कह सकता कि क्या पूरा भाषण भेजा गया था, किन्तु मेरा विश्वास है कि इस का अधिकांश हमेशा भेजा जाता है ।

कलकत्ते में गोदामों का निर्माण

+

†*१०३४. **श्री सुबिमन घोष :**
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते में अनाज रखने के लिये 'शैल' ढंग के गोदाम बनाने का विचार था ;

(ख) यदि हां, तो कितने गोदाम बनाये गये हैं और उन पर अब तक कितना खर्च किया गया है ;

(ग) क्या अभी हाल में एक ऐसा गोदाम ढह गया था ;

(घ) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मरे और कितने घायल हुए ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या इस ढंग के गोदामों का डिजाइन बनाने वाला कोई भारतीय है या विदेशी है ;

(च) यदि वह विदेशी है तो क्या भारतीय इंजीनियरों ने उस डिजाइन को मंजर किया था ;

(छ) क्या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है ; और

(ज) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही ह ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) छः गोदाम बनाये जा रहे हैं और उन पर आज तक लगभग १३६,८२,००० रुपये व्यय हुए हैं ।

(ग) एक गोदाम के दो शैल गिर गये हैं ।

(घ) एक व्यक्ति मर गया और १६ घायल हुए ।

(ङ) एक विदेशी ।

(च) डिज़ाइन विदेशी सलाहकार का था किन्तु भारतीय इंजीनियरों ने कुछ पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किये थे ।

(छ) मृत व्यक्ति के संबंधियों को सलाह दी गई है कि वे कर्मकरों की क्षतिपूर्ति के आयक्त, कलकत्ता के न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिये प्रार्थना कर दें ।

(ज) दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिये एक उच्च स्तरीय प्रविधिक समिति नियुक्त की गई है और उस का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को होने से रोकने के लिये की जाने वाली कार्रवाइयों का विचार किया जायगा ।

†**श्री सुबिमन घोष** : जो गोदाम गिर गया है उस का नम्बर क्या है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : गोदाम नम्बर ३ । दो पूर्ण हैं । यह तीसरा है जो बनाया जा रहा था ।

†**श्री सुबिमन घोष** : क्या इस गोदाम के निर्माण के लिये सीमेंट मद्रास से समुद्री मार्ग से मानसून ऋतु में और सन की बोरियों में लाया गया था ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी, हां । सीमेंट मद्रास से आयात किया गया था और यह किश्ती के द्वारा आया था ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि इस सीमेंट के जो नमने लिये गये थे, जो उस गोदाम को बनाने के लिये प्रयोग में लाया गया था, जो कलकत्ता में गिर गया था, त्रुटिपूर्ण थे और वे निर्धारित नमूने के अनुसार नहीं थे ; और यदि ऐसी बात है, तो इस गोदाम के गिर जाने से हमें कितनी हानि हुई है ? इस उच्च स्तरीय प्रविधिक जांच समिति के निष्कर्ष तक, क्या सरकार इस शैल किस्म के गोदामों के आगे निर्माण को रोकने का विचार कर रही है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : बहुत सी सामग्रियां, जो इस शैल किस्म की छतें बनाने के लिये प्रयोग में लाई जाती थीं, अर्थात् सीमेंट, पत्थर, इस्पात, आदि, रासायनिक परीक्षकों के पास भेजी गई हैं । हमारे पास उन की रिपोर्ट नहीं आई है । कंक्रीट पोस्ट जो भेजी गई थी उन के बारे में रिपोर्ट मिली है कि वे संतोषजनक समझी गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटे तौर पर लगभग ६०,००० रुपये की हानि हुई है। इस्पात को बचा कर हमें १०,००० रुपये तक वापिस मिलने की आशा है। कुल हानि ५० हजार रुपये के लगभग होगी।

हमारा इरादा निर्माण कार्य को रोकने का नहीं है।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या यह सच है कि निर्माण के लिये जो इस्पात और कंक्रीट प्रयोग में लाया गया था वह घटिया दर्जे का था और उपयोग से पूर्व उसका विभागीय परीक्षण भी नहीं किया गया ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि निर्माण के लिये जो सामग्रियां उपयोग में लाई गई थीं वे रासायनिक परीक्षकों को भेजी गई हैं। अभी हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है। कंक्रीट पोस्टों सम्बन्धी रिपोर्ट संतोषजनक रही है।

†**श्री त्यागी :** यह विदेशी डिज़ाइनर किस राष्ट्रीयता से सम्बन्ध रखता है ? क्या इस से पहले इस डिज़ाइन का और किसी देश में प्रयोग किया गया है या डिज़ाइनर ने इस का प्रयोग पहली बार भारत में किया था ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** डिज़ाइनर इटली का है। इस किस्म के बारे में, आयोजित परियोजनाओं संबंधी एक समिति बनाई गई थी, जिस का सभापतित्व श्री पाटिल ने किया था और मैं उस प्रतिवेदन से पढ़ कर सुना रहा हूं :

> "शैल ढांचे का विकास आजकल की विशिष्ट प्रगति में से एक है जिस के परिणामस्वरूप बड़ी गहराव वाले निर्माण में रिइनफोर्सड कंक्रीट का व्यापक और अधिक मितव्यय उपयोग होता है। इस के ढांचे की सुदृढ़ता या ठोसपन पहले ही अच्छी तरह प्रमाणित है।"

मैं सभा को यह भी बता दूं कि कलकत्ता में सब से बड़ी एक सार्वजनिक इमारत महा जाति सदन, जो नेता जी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा आरम्भ करवाई गई थी, उस में शैल की छत है और उस का डिजाइन भी श्री कारबोन इंजीनियर ने किया था।

†**श्री त्यागी :** मेरा प्रश्न यह था कि क्या इस डिजाइन का कहीं अन्यत्र प्रयोग किया गया था।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैं कह चुका हूं कि मैंने प्रतिवेदन से उद्धरण दिया है कि अब विदेशों में बहुत प्रसिद्ध डिज़ाइन का नमूना है।

†**श्रीमती रेणुका राय :** श्री त्यागी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। इटली का जो विशेषज्ञ लगाया गया है, क्या वह वास्तव में ही इस विषय का विशेषज्ञ है और उस का पुराना अनुभव है, यदि हां तो उस की योग्यता क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** इटली का यह विशेषज्ञ डा० कारबोन यद्यपि इटली का है, फिर भी वह भारतीय है। वह इस प्रकार के निर्माण का अन्तर्राष्ट्रीय विख्यात विशेषज्ञ है।

†**श्री म० चं० जैन :** क्या ये गोदाम ठेकेदारों के द्वारा बनाये गये थे या विभागीय तौर पर ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** ठेकेदारों के द्वारा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जब ठेकेदार सी० पी० डब्ल्य० डी० के काम करते हैं, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था होती है जिस के द्वारा सी० पी० डब्ल्यू० डी० प्रयोग में आने वाले माल और निर्धारित नमूनों आदि के ऊपर निगरानी रखता है और यदि हां, तो वह तंत्र क्या है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इस्पात और सीमेंट नियंत्रित वस्तुयें हैं इसलिये साधारणतया ये सी० पी० डब्ल्यू० डी० के गोदामों से दी जाती हैं ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या यह जानने के लिये प्रयत्न किया गया है कि भारत में अन्य प्रकार के गोदामों की तुलना में इस प्रकार के गोदाम कैसे रहते हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जहां तक चावल के गोदामों का सम्बन्ध है, शैल छत नमूने के अनुसार ये पहले गोदाम बनाये जा रहे हैं । मैं सभा को यह भी बता दूं कि विशाखापटनम में इस प्रकार के गोदाम हैं और यह वहां कितने ही वर्षों से हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मा० मंत्री ने कहा है कि इस गोदाम के गिरने से लगभग ६०,००० रुपये की हानि हुई है । वह कितनी भी हो, क्या वह राशि इस निर्माण के लिये उत्तरदायी ठेकेदार से ली जायगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : साधारणतया ली जायगी ।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं यह भी बता दूं कि इसी स्थान पर कलकत्ता में शैल किस्म के ऐसे दो गोदाम, जो पूरे हो चुके हैं, और जिन में प्रत्येक गोदाम में दस शैल हैं, बिल्कुल ठीक हैं । अतः यह तीसरा गोदाम जो गिर गया है उस में इन शैलों की ढलाई में कुछ गलती अवश्य हुई होगी । समूचे मामले की जांच की जा रही है और मैं प्रविधिक समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहा हूं । जहां तक मुख्य डिजाइन का सम्बन्ध है, अर्थात् शैल टाइप का निर्माण, उस के बारे में मेरे मित्र ने कह दिया है कि उस के ठोस होने में कोई सन्देह नहीं है ।

†**श्री अरविंद घोषाल** : क्या कलकत्ता के विशेषज्ञ इंजीनियरों का यह मत है कि प्लान ही खराब है जिस में छत के लिये ४ इंच के छोटे सहारे दिये हुए हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मुझे कलकत्ता के गैर-सरकारी इंजीनियरों का मत मालूम नहीं है। हम ने एक अत्यन्त उच्च शक्ति सम्पन्न समिति बनाई है जिस में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का डा० राव, हमारा चीफ इंजीनियर, श्री दीवान, राष्ट्रीय निर्माण संगठन का निदेशक, श्री मलिक और केन्द्रीय इमारत अनुसंधान संस्था, रुड़की का एक प्रतिनिधि शामिल हैं । समिति की एक बार कलकत्ता में बैठक हो चुकी है और वे निर्धारित नमूनों के ब्यौरे पर विचार कर रहे हैं ।

सेठ अवल सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि शैल टाइप गोडाउन्स कितने बन गये हैं, उन की कितनी कैपिस्टी है और उस के बनने में कितनी कौस्ट पड़ेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : दूसरी योजना अवधि में खाद्य मंत्री ने लगभग ६ करोड़ रुपये की लागत से चावल और गेहूं के लिये गोदाम बनाने के लिये एक प्लान बनाया है । हम निर्माण करने के लिये अभिकरण हैं और हम कलकत्ता में छः गोदाम बनाने जा रहे हैं, दो पूरे हो चुके हैं और तीसरा यह है जहां यह दुर्घटना हुई है ।

†**श्री सुबिमन घोष** : क्या मैं जान सकता हूं . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । क्या ६० हजार की हानि बहुत अधिक है ? अब हमें अगले प्रश्न को लेना चाहिये ।

दण्डकारण्य योजना

+

†*१०३५. { **श्री मे० क० कुमारन** :
श्री अरविन्द धोषाल :

क्या **पुनर्वास** तथा **अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि दण्डकारण्य में बस्ती बसाने में केरल को हिस्सा दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उस प्रार्थना पर विचार किया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) और (ख). जी, हां । केरल सरकार से गत वर्ष दण्डकारण्य में केरल के भूमिहीन विस्थापित लोगों को बसाने के लिये खाद्य और कृषि मंत्रालय के पास एक प्रार्थना आई थी । केरल सरकार को बताया गया था कि दण्डकारण्य का विकास उस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिये एक समेकित ढंग से किया जाना है और स्थानीय लोगों जो मुख्यतया आदिम जाति के लोग हैं, की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा । बाहर से बसाने के इस काम में प्राथमिकता पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को दी गई है और उसके लिये सम्बद्ध राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया है । इन राज्यों की भी भूमिहीन और अधिक जनसंख्या की अपनी समस्याएं हैं । दण्डकारण्य में अन्य राज्यों के लोगों को बसाने का इस समय प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री मे० क० कुमारन** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केरल राज्य को अधिक जनसंख्या के कारण बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या भारत सरकार ने यह बस्ती बसाने के मामले में केरल को प्रमुख प्राथमिकता देने के प्रश्न पर विचार किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या विस्थापित व्यक्तियों के मुकाबिले में ?

†**श्री मे० क० कुमारन** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं जानता । मा० सदस्य यह सुझाव देने से पूर्व अपने दल के अन्य सदस्यों से परामर्श कर लें । मा० सदस्य इन विस्थापित लोगों के मुकाबिले में केरल के लोगों को प्राथमिकता देना चाहते हैं । क्या केरल में विस्थापित लोग हैं ?

†**श्री वारियर** : यदि दण्डकारण्य को जाने वाले विस्थापित व्यवित.....

†**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति । मैं ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा जो स्पष्टत: स्वीकार नहीं किये जा सकते । मा० सदस्य कहते हैं कि केरल के लोगों को प्रमुख प्राथमिकता दी जानी चाहिये जसा कि विस्थापित लोग वहां नहीं जाएंगे और वहां पर्याप्त स्थान है और केरल के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य ने वहां अपने लोग भेजने को नहीं कहा है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : केरल सरकार बस्ती बसाने के लिये कितनी भूमि मांग रही है और वहां कितने परिवार बसाये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पू० शे० नास्कर** : उन्होंने एक साधारण उल्लेख किया था, कि क्या नीति के तौर पर केरल के भूमिहीन लोगों को दण्डकारण्य ले जाया जा सकता है ?

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या यह सच है कि दण्डकारण्य क्षेत्र में बहुत सी फालतू भूमि बेकार पड़ी है और यदि हां, तो क्या उस स्थान पर इन सब विस्थापित लोगों के साथ साथ सब भूमि-हीन लोगों को बसाना संभव होगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : इस मंत्रालय का दण्डकारण्य में विस्थापित लोगों को केवल बसाने का सम्बन्ध है। भूमि राज्य सरकार के नियंत्रण में है और इन विस्थापित लोगों को बसाने के लिये दी गई है। हमने समूची उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण नहीं किया है।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या सरकार को यह बात विदित है कि स्थानीय आदिवासी जो विस्थापित हैं, उन्हें अभी तक दण्डकारण्य में कृषि योग्य बनाई गई भूमि में से एक प्रतिशत भी आवंटित नहीं की गई है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह सच नहीं है। यह दण्डकारण्य अधिकारियों की नीति है कि कृषि योग्य बनाई गई २५ प्रतिशत भूमि आदिवासियों को दिये जाने के लिये राज्य सरकार को दी जायेगी। आदिवासियों को भूमि वितरण का काम राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। जहां तक मुझे याद है, फरासगांव के कुछ भाग में जो भूमि दी गई है, वह स्थानीय आदिवासियों को वितरित की गई है।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : उन्होंने बांटी नहीं है। इसलिये दण्डकारण्य क्षेत्र के आदिम जाति लोगों में बड़ी बेचैनी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मा० मंत्री की सूचना दूसरी है। वह जांच करेंगे।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : मा० मंत्री ने कहा है "मैं समझता हूं।"

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के फरासगांव में तो जो भूमि दी गई है वह स्थानीय आदिवासियों को वितरित की गई है।

†**श्री जगन्नाथ राव** : उमेरकोट में भी भूमि आदिवासियों को वितरित की गई है।

सरकारी क्षेत्र

†*१०३६. **श्री मोहन नायक** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अमरीकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे० के० गालब्रेथ ने सरकारी क्षेत्र की कार्यविधि में सुधारों का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार उन्हें कहां तक कार्यान्वित करने जा रही है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) अप्रैल, १९५९ में प्रोफेसर जे०के० गालब्रेथ ने अनौपचारिक रूप से योजना आयोग को एक टिप्पण दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ संगठनात्मक पहलुओं के बारे में विचार व्यक्त किये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस टिप्पण में प्रोफेसर गालबेथ ने कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की थी।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री मोहन नायक** : क्या इस विशेषज्ञ की सिफारिशों को सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योगों में लागू करने का विचार है या बीमा जैसे अन्य उद्योगों आदि में भी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : उस ने कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की। ये सिफारिशें सामान्य हैं, जिन पर योजना आयोग लगातार विचार करता रहता है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय प्रोफेसर जे०के० गालब्रेथ की रिपोर्ट को सदन की टेबुल पर रखेंगे यदि नहीं तो क्यों नहीं ? पब्लिक सैक्टर के बारे में सदस्य लोग जानकारी रखना चाहते हैं इसलिये इस सम्बन्ध में जो भी वाकयात हों वे सदन को जानने चाहिएं क्योंकि पबलिक सैक्टर पर सदन को कोई बहस करने का अवसर नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह बहस क्यों कर रहे हैं ? वह प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री ल० ना० मिश्र: उनकी उस प्राइवेट रिपोर्ट को अभी तक हमने सदन के सामने नहीं रखा है और न हम उसे सदन के सामने रखना चाहते हैं क्योंकि वह उन्होंने एक एनफौरमल रिपोर्ट रक्खी थी और हम समझते हैं कि आम पब्लिक के लिये यह चीज कोई लाभदायक नहीं है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : कठिनाइयां क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह गैर सरकारी है ।

†**श्री कालिका सिंह** : सरकारी क्षेत्र में गैरसरकारी क्या होता है ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं औचित्य प्रश्न पूछता हूं। सिफारिश के तौर पर सरकार को जो प्रतिवेदन दिया गया है उसमें गैर-सरकारी या निजी क्या होता है ? जब यह सरकार के विचाराधीन है, तो इसमें निजी क्या है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह उनकी निजी रिपोर्ट थी। वह यहां पर खास तौर पर इस काम के लिये नहीं आये थे। वह सीलोन जा रहे थे और तब यहां आये। उनके साथ कुछ बातचीत हुई थी। अब उनकी जो रिपोर्ट दी हुई है, उसको हम समझते हैं कि सदन के सामने रखना उचित नहीं होगा।

†**श्री महन्ती** : मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना.....

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)**: जहां तक इस विशिष्ट टिप्पण का सम्बन्ध है, इसे सभा पटल पर रखा जा सकता है। परन्तु जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है, विख्यात व्यक्तियों से निजी और अनौपचारिक ढंग से मत लेना वास्तव में ही बहुत कठिन हो जाएगा, यदि उनके द्वारा कही गई सब बातें प्रकाशित करना अनिवार्य हो जाए। जहां तक इस विशिष्ट टिप्पण का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि उसे सभा पटल पर रखने में अधिक कठिनाई हो सकती है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : जहां इसका एक भाग समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है, तो इसे सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जाना चाहिये ?

श्री म० ला० द्विवेदी : पबिलक सैक्टर के उद्योगों के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना को छिपा करके रखन का सरकार को या मंत्रालय को अधिकार नहीं है । पब्लिक सैक्टर के

---

†मूल अंग्रेजी में

बारे में पूरी जानकारी हासिल करने का अधिकार इस सदन को है और यह भी इसको अधिकार है कि सभी कागजों की मांग कर सके ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार कठिनाई उत्पन्न होती है । सामान्यतया जब मंत्री किसी प्रकार की गोपनीयता या गुह्यता का दावा करता है जिसके कारण वह कहता है कि इसे सभा में बताना या सभा पटल पर रखना लोक हित की बात नहीं है, तो मैं उसे सभा पटल पर रखने के लिये जोर नहीं देता । यह फैसला करना उस पर छोड़ा जाता है । परन्तु अधिकतर यह बात सभा के सामने लाई जाती है, कि जिसे लोकहित में व्यक्त नहीं करना है, उसका पहले ही समाचारपत्रों के द्वारा प्रचार हुआ होता है । अतः संसद ही तक ऐसा स्थान रहता है जहां समाचार उपलब्ध नहीं होता । या तो मंत्री को इन चीजों के प्रकाशन पर अधिक नियंत्रण रखना चाहिये या ज्योंही कोई चीज़ समाचार पत्रों में प्रकाशित हो, समची चीज़ को सभा पटल पर रखा जाना चाहिये । मैं मंत्री के यह निर्णय करने के अधिकार को छीनना नहीं चाहता कि कौन समाचार लोकहित में व्यक्त नहीं किया जा सकता और क्या इसे सभा में व्यक्त न करना वांछनीय होगा परन्तु जब कोई चीज़ समाचारपत्रों में छप जाये तो स्वभावतः यह सभा आशा करती है कि समूची सूचना इसे मिलनी चाहिये ताकि सही बात का पता लग और समाचार पत्र द्वारा दी गई गलत धारणा न बनी रहे ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मैं इसका स्पष्टीकरण कर दूं ताकि कोई भ्रांति न रहे । मैंने आपका विचार सुना है परन्तु मैं नहीं समझ पाया कि किस अवसर पर सभा के सामने ऐसे लेख को रखना मंत्री का कर्तव्य होता है, जो गोपनीय समझा जाता है ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : यह गोपनीय नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: केवल इस कारण कि रहस्योद्घाटन से या अन्यथा समाचारपत्रों को इसका कुछ भाग मिल जाने के कारण क्या पूरे लेख को सभा पटल पर रखना अनिवार्य हो जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न के उत्तर में जो उन्होंने मुझ से पूछा है, माननीय सभा नेता से यह पूछ रहा हूं कि क्या यह सब कुछ ठीक है——वह इस पर विचार करें, मैं इसे बदलने के लिये तैयार हूं: यह मेरा विनिर्णय नहीं है कि सभा को इस के बारे में कुछ जानने का हक नहीं है, जब कि ब्योरा समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुका है । निस्सन्देह माननीय मंत्रियों को यह कहने का अधिकार है कि यह गोपनीय है और वे इसे सभा पटल पर रखने को तैयार नहीं हैं । परन्तु जब एक बार मामला कुछ ब्योरे समेत समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुका है, मैं विशेष रूप से चाहता हूं कि माननीय मंत्री सभा पटल पर यह बतायें कि इसे क्यों सभा के सामने न रखा जाये । यदि फिर भी वह समझते हैं कि इसे सभा पटल पर नहीं रखा जाना चाहिये तो, मैं उनके स्वविवेक की अनुमति देता हूं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: धन्यवाद । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि हमारे मंत्रालयों या विभागों द्वारा लेखों को गोपनीय या गुह्य समझने का यह काम अनावश्यक सीमा तक ले जाया जाना है । मैं समझता हूं कि सब प्रकार के पत्रों को गोपनीय और गुह्य अंकित करने की बहुत पुरानी आदत चली आ रही है । कई बार वे ऐसे नहीं होते और कई बार वे होते भी हैं । यह सच है । मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक पत्र सभा पटल पर रखे जाने चाहिएं या सदस्यों को दिये जाने चाहियें । परन्तु निस्सन्देह कुछ पत्र देना वांछनीय नहीं होता । मैं अपने साथियों को सुझाव दूंगा कि वे इस का परीक्षण करें और पत्रों पर स्वतः गोपनीय और गुह्य संकेत न लगने दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महन्ती** : क्या यह सच है कि प्रोफैसर गैलब्रैथ ने सरकारी क्षेत्र के प्रशासन में कुछ त्रुटियां और न्यूनताएं बताई हैं ? और क्या इसी कारण मंत्री जी इसे गोपनीय कहते हैं और सभा पटल पर रखने को तैयार नहीं हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सकी अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री महन्ती** : यह सच है ।

†**श्री त्यागी** : क्या प्रोफैसर गालब्रैथ को मंत्रालय ने विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र का परीक्षण करने और इसके बारे में समालोचना करने के लिये बुलाया था या उस ने इसे देखा और इसके बारे में स्वयमेव अपने विचार व्यक्त कर दिये ?

†**श्री नन्दा** : यह आकस्मिक समालोचना थी और वह इसी काम के लिए निमंत्रित नहीं किये गये थे ।

†**श्री त्यागी** : ऐसा क्यों है कि विदेशी हमेशा हमारे मंत्रालयों की आलोचना करते हैं ? वे कैसे किसी और हर एक विदेशी द्वारा इनकी जांच और आलोचना का स्वागत करते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रोफैसर गालब्रैथ एक बहुत विख्यात अर्थशास्त्री हैं । जो कोई विख्यात व्यक्ति किसी देश से यहां आता है, हम स्वभावतः उसे मिलते हैं और उसके साथ चर्चा करते हैं । हो सकता है वह योजना आयोग से मिला हो । वह निमंत्रित किया गया था या नहीं, हम उनके विचारों का लाभ उठाना चाहते हैं । उसे कोई काम सौंपा नहीं गया था, परन्तु हमने उसके विचारों का लाभ उठाने का प्रयत्न किया । हम ने उस के साथ कई बातों पर चर्चा की । मैं उनसे पृथक मिला, अन्य लोग भी उसे मिले । निस्सन्देह उन्होंने कुछ चीज लिख कर दी । मुझे मालूम नहीं उसने क्या लिखा । मैं ने उन से कुछ लेख, अत्यन्त दिलचस्प लेख और कहीं देखे हैं । इस विशिष्ट मामले में मेरे माननीय साथी ने कहा है कि वह उसे सभा पटल पर रखेंगे ताकि माननीय सदस्य उस में व्यक्त किये गये विचारों से अवगत हो सकें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पत्र सभा पटल पर रखा जायेगा, मामला समाप्त है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं तीन या चार बार उठा हूं परन्तु फिर भी मैं अपना प्रश्न नहीं पूछ सका क्योंकि अन्य सदस्य मुझे ऐसा करने से रोकते रहे हैं । मुझे खेद है कि आपने मेरी रक्षा नहीं की । मुझे अब प्रश्न पूछने दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इतने बड़े हैं कि उनकी रक्षा की जरूरत नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि भारत की कुछ आर्थिक महत्वकांक्षाओं पर सीधा आक्रमण करने के पश्चात प्रोफैसर गालब्रैथ ने उन्हें एक 'डाक-घर समाजवाद' कहा है ? यदि हां, तो क्या उन्होंने उस निष्कर्ष के लिये कोई कारण बताया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रतिवेदन पढ़ेंगे ।

†**श्री नन्दा** : जी, हां । उसे ध्यान में रखते हुए उसका उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं केवल श्री हेम बरुआ और अन्य सदस्यों को ऐसे प्रश्न न पूछने के लिये कहूंगा जिन से आक्षेप होता है । उन्हें पूर्व-कल्पना क्यों करनी चाहिये ? मैं अनुभव करता हूं और ठीक अनुभव करता हूं कि माननीय सदस्य यहां जो कुछ कहा गया है उसके बारे में केवल अपना

---

†मूल अंग्रेजी में

आक्षेप करने के लिये यह प्रश्न पूछना चाहते हैं । संसद और सरकार की निन्दा करने कोई प्रसन्नता नहीं होनी चाहिये । यह हमारा अपना राज्य है । माननीय सदस्यों को प्रतीक्षा करनी चाहिये और देखना चाहिये कि प्रतिवेदन में क्या कहा गया है । माननीय सदस्यों को क्यों ऐसे शब्द कहने का आरोप दूसरे किसी व्यक्ति पर लगाना चाहिये ? हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये और देखना चाहिये । यहां ऐसी कोई धारणा पैदा नहीं करनी चाहिये कि केवल सरकार पर या किसी मंत्री पर आक्षेप लगाने के लिये प्रश्नों के रूप में अवसर प्राप्त किया जाता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : जब कभी मैं किसी बात का उल्लेख करता हूं, मुझे अपने तथ्यों का पूरा विश्वास होता है । जब मैं ने कहा कि उन्होंने हमारी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को डाकघर समाजवाद' बताया है, मैं ने इसे उद्धरण चिह्न में कहा है । यह समाचारपत्र में थे । प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि उन्होंने वह लेख पढ़ा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । सभा पटल पर प्रतिवेदन रखे जाने के बारे में माननीय सदस्य उन पर यह आक्षेप लगाना चाहते हैं कि उन्होंने इसे 'डाक-घर समाजवाद' कहा है । इस उद्देश्य के लिये उन्होंने यह प्रश्न पूछा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : ये उनके शब्द हैं ? मैं क्या कर सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सूचना प्राप्त कर सकते हैं, आक्षेप नहीं कर सकते ।

लाभ बोनस सूत्र[1]

†*१०३७. **श्री एन्थनी पिल्लै** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मंत्रालय ने लाभ बोनस सूत्र अपनाये जाने के बारे में विदेशी विशेषज्ञों को अपनी राय देने के लिए बुलाया है; और

(ख) यदि हां तो उनकी मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) इस समय दो विशेषज्ञ देश के विभिन्न उपक्रमों का दौरा कर रहे हैं । उन की सिफारिशें जून, १९६१ के मध्य तक उपलब्ध हो जायेंगी ।

†**श्री एन्थनी पिल्लै** : क्या इन सिफारिशों को बोनस आयोग के आगे पेश किये जाने से पहले श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों के बीच भी परिचालित किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं । हमने प्रत्येक कर्मचारी की उत्पादकता का मूल्यांकन करने में हमारी सहायता करने के लिए सोवियत रूस और कनाडा से दो दो विशेषज्ञों को विशेष रूप से बुलाया है ताकि कर्मचारियों को प्रेरणा देने की विधि का निर्माण किया जा सके अर्थात् सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 'परिणाम के अनुसार अदायगी की योजना' को लागू किया जाये ।

†**श्री एन्थनी पिल्लै** : क्या इस योजना पर श्रम संगठनों के विचार जानने के लिए, इसे उन संगठनों के पास भेजे जाने की कोई प्रस्थापना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Profit Bonus formula

†श्री मनुभाई शाह : इस प्रक्रम पर यह आवश्यक नहीं । पहले हमें यह देखना है कि वे क्या सिफारिशें करते हैं । इसके पश्चात सरकार इस बात की जांच करेगी कि क्या वे व्यवहार्य भी हैं अथवा नहीं । यदि इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया तो इन को क्रियान्वित करते समय, श्रमिकों का परामर्श निश्चित रूप से लिया जायेगा

†श्री स० म० बनर्जी : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि 'परिणामानुसार अदायगी योजना' तैयार करने के लिए यह सब किया जा रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे विशेषज्ञ समय और गति अध्ययन (टाइम एण्ड मोशन स्टडी) भी करेंगे अथवा किसी अन्य विधि का अवलम्बन करेंगे ?

†श्री मनुभाई शाह : इन विशेषज्ञों को केवल इसलिए बुलाया गया है ताकि उनसे यह सीखा जा सके कि अन्य देशों में प्रोत्साहन-प्रणाली (इन्सेन्टिव सिस्टम) को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाता है । जैसा कि सभा को पता है कि सरकारी क्षेत्र में 'प्रोत्साहन योजनाओं' पर पहले से ही कार्य हो रहा है, जहां कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों को अधिक मजदूरी दी जा रही है और अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन-पुरस्कार दिये जाते हैं । यह जानने के लिए कनाडा और सोवियत रूस इत्यादि अन्य देशों में इस प्रणाली को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है, हमने सोवियत रूस से दो विशेषज्ञों को बुलाया है और तीसरा पहुंचने वाला है । हमने सरकारी क्षेत्र के ९ उद्योगों का चयन किया है । वे विशेषज्ञ इन उद्योगों में जायेंगे, जांच करेंगे और हमें रिपोर्ट देंगे कि कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए ।

†श्री तंगमणि : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे केवल परिणामानुसार अदायगी और प्रोत्साहन-बोनस पर ही विचार करेंगे अथवा वे लाभ-बोनस के पूरे प्रश्न की भी जांच करेंगे जिसे उच्चतम न्यायालय ने श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के पंचाट के आधार पर एक तरह से औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है ?

†श्री मनुभाई शाह : इन विशेषज्ञों का, जिन्हें हमने बुलाया है, लाभ-बोनस के साथ जैसा कि हम——इस देश के लोग——प्रायः समझते हैं, कोई सम्बन्ध नहीं है । वास्तविकता यह है कि जैसा कि सभा को ज्ञात है, सरकार की नीति यह है कि जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है, सामान्यतः बोनस न दिये जायें । हम चाहते हैं कि प्रत्येक श्रेणी और वर्ग के कर्मचारी को उसके कार्य और अधिक उत्पादकता के अनुसार लाभ मिले ताकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समृद्धि के साथ साथ उनकी मजूरी में भी लगातार वृद्धि हो ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि इस परिणामानुसार अदायगी योजना में मैडिकल सुविधाओं, छुट्टियों, अवकाश, अवकाश-व्यय और ऐसी ही अन्य सभी चीजें शामिल की जायेंगी ?

†श्री मनुभाई शाह : सभा को ज्ञात है कि हम अपने कर्मचारियों के मकानों की बस्तियों में अस्पताल, मेडिकल सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई सुविधायों के रूप में हर प्रकार की आधुनिक कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हैं । अतः अलग अलग कर्मचारियों अथवा कर्मचारियों के समूह के कार्य के परिमापन के साथ इन बातों का कोई सम्बन्ध नहीं ।

इस सभा और माननीय सदस्या को यह विश्वास दिला सकता हूं कि जहां तक देश के

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारियों की मूलभूत कल्याण सम्बन्धी सुविधाओं का सम्बन्ध है. हमें विदेशों से कोई विशेष बात सीखने की आवश्यकता नहीं।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह सचमुच एक उपहासास्पद उत्तर है।

मद्रास में हथकरघा बुनकरों को छूट

†*१०३८. श्री तंगामणि : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में हथकरघा सरकारी बुनकरों को हथकरघा छूट पूरी पूरी दी जा चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो ३० नवम्बर, १९६० को छूट की कितनी रकम दी जानी शेष थी ; और

(ग) क्या छूट की अदायगी के बारे में वर्ष १९६०-६१ के लिए मंजूर की गयी नयी योजना को सभा पटल पर रखने का विचार है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). मद्रास राज्य-सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३ अनुबन्ध संख्या ८८]

†श्री तंगामणि : विवरण में यह बताया गया है कि एक नीति बनायी गयी है, जो १-९-१९६० को लागू की गयी है और जिसके अनुसार राज्य सरकार छूट की राशि का संवितरण कर सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि छूट की बकाया राशि का, जो १-९-१९६० को देय है, किस प्रकार संवितरण किया जायेगा ?

†श्री कानूनगो : हिसाब-किताब में जो अनियमितताएं हैं, उन्हें दूर करने के पश्चात, छूट की बकाया राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दे दी जायेगी।

†श्री तंगामणि : इससे पहले सभा में यह बताया गया था कि मद्रास जैसे राज्य के लिए भी बकाया राशि ३५ लाख रु० है। अब सरकार ने बुद्धिमत्ता पूर्वक एक ऐसी योजना बनायी है जो कि बड़ी लाभदायक है क्योंकि राज्य सरकारें स्वयं संवितरण कर सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रकम १-९-१९६० को देय थी, उस बकाया राशि का क्या बनेगा ? क्या राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से पूछे बिना 'अर्थोपाय निधि' से व्यय करने का अधिकार दिया जायेगा ?

†श्री कानूनगो : कुछ भी हो, इसका संवितरण राज्य सरकार द्वारा ही किया जायेगा। किन्तु उन पर उच्चतम-सीमा की तथा अन्य शर्तें लागू नहीं होंगी जो १ जनवरी, १९६० से लाग होती हैं।

†श्री तंगामणि : क्या मैं जान सकता हूं कि वस्त्र-निर्माण उद्योग से वसूल किये जाने वाले उपकर में से वर्ष १९६०-६१ के लिए विभिन्न राज्यों के लिए कितना धन आवंटित किया गया ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सारी रकम छूट के लिए आवंटित की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : जी नहीं। हमारे पास कोई अलग उपकर-निधि नहीं है क्योंकि उपकर-निधि को अब भारत की समेकित निधि में मिला दिया गया है और विकास सम्बन्धी कई योजनाएं हैं--मेरा ख्याल है उनके ढांचे के बारे में सब को पूरा पता है--जो लगभग ३५ ४० किस्म की हैं और यह छूट भी उनमें से एक है।

†श्री सम्पत : क्या मैं जान सकता हूं कि छूट की राशि के संवितरण में होने वाली असाधारण देर का निवारण करने के लिए और इससे लोगों को जो कष्ट होता है उसको दूर करने के लिए क्या तरीका ढूंढा गया है ?

†श्री कानूनगो : विवरण में यह बताया गया है। १ जनवरी, १९६० के पश्चात राज्य सरकारों को, उनके लिए निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्तर्गत ही संवितरण करने की अनुमति होगी।

†श्रीमती इला पालचौधरी : विवरण से यह पता चलता है कि वर्ष में १५ दिनों के लिए ५ न० पै० प्रति रुपया की दर से विशेष छूट होगी। इन में ८ दिन तो अखिल भारतीय हथकरघा सप्ताह के हैं। शेष सात दिन बचते हैं। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि राज्य सरकारों को त्योहारों अथवा पर्यटन के दिनों में इस अवधि में वृद्धि करने की अनुमति दी जायें।

†श्री कानूनगो : इस बात का फैसला करना राज्य सरकारों के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है कि इस अवधि को किन विशिष्ठ तिथियों से गिना जाये क्योंकि विभिन्न राज्यों में त्योहार, चाहे वह पोंगल हो अथवा पूजा, भिन्न भिन्न होते हैं। हथकरघा सप्ताह भी कोई स्थायी बात नहीं है। राज्य सरकारों को इस बात की अनुमति है कि वे हथकरघा सप्ताह न मनायें और अन्त त्योहारों के अवसरों का उपयोग कर लें।

†श्री कालिका सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सहकारी बुनकरों द्वारा गलत हिसाब किताब पेश करके विशाल-धनराशियां प्राप्त की गयी हैं ?

†श्री कानूनगो : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं।

†श्री वारियर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या लंका में भारत से आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण हथकरघा बुनकरों को विशेष छूट दी जायेगी ?

†श्री कानूनगो : निर्यात-छूट केवल सहकारी समितियों को दी जाती है।

श्री तंगामणि : इस बात को देखते हुए कि दीवाली एक अखिल भारतीय त्योहार है ; क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि हथकरघा सप्ताह को दीवाली सप्ताह के साथ मिला दिया जाये ताकि राज्य सरकारों को ५ न० पै० की इस अतिरिक्त छूट के लिए दिन निर्धारित करने के लिए और दिन मिल जायें ;

†श्री कानूनगो : १५ दिन की सीमा रखी गयी है। यह राज्य सरकारों का काम है कि वे त्योहारों के अनुसार इस बात का निर्धारण करें कि यह छूट किनों में दी जाये।

†श्री कालिका सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी राज्य में छूट की राशि प्राप्त करने के बारे में गबन करने के लिए मुकदमा चलाया गया है ?

†श्री कानूनगो : मुझे इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है (**अन्तर्बाधाएं**)

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन में भारतीय छात्र

†*१०४५-क. **श्री आप्टर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन में भारतीय छात्रों को तंग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में चीन सरकार को कोई विरोध व्यक्त किया है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). भारतीय विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से तंग नहीं किया गया किन्तु उनमें से कुछ विद्यार्थियों से कुछ छेड़छाड़ की गयी है, इस मामले ने कोई गम्भीर रूप धारण नहीं किया अतः इस सम्बन्ध में चीन की सरकार से विरोध प्रकट करना आवश्यक नहीं समझा गया।

†**श्री आप्टर** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चीनी दुभाषिये भारतीय विद्यार्थियों की इच्छा के विरुद्ध हमेशा उनके साथ रहते हैं ताकि वे उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकें ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हो सकता है कि उन विद्यार्थियों की सुविधा के लिए दुभाषियों की नियुक्ति की गयी हो। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या भारतीय विद्यार्थी इतने वर्षों के पश्चात इतनी चीनी भाषा भी नहीं सीख पाये कि वे पानी तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकें ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : तंग करने का केवल एक.....

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि प्रत्येक सदस्य के साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध एक दुभाषिया नियुक्त कर दिया जाये, तो मैं नहीं जानता कि सदस्य क्या अनुभव करेंग।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैंने बताया है कि हमारे ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया। हमारे ध्यान में किसी भारतीय विद्यार्थी को तंग करने का एक ही मामला लाया गया है। यह मामला श्री जी० डी० मेहता का है जो पिछले जून में भारत रवाना हुए थे। उन्हें अल्प-सूचना पर प्रस्थान करने के लिए कहा गया था। कुछ दिन और ठहरने देने की उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी थी। रेलवे स्टेशन तक परिवहन की सामान्य सुविधाएं भी उन्हें प्रदान नहीं की गयी थीं। उन्होंने अन्य विद्यार्थियों को, जिन में अधिकतर अफ्रीको-एशियाई और समाजवादी देशों के थे, जो विदाई चाय पार्टी दी थी, उस में पहले तो खाद्यपदार्थ देने से इन्कार किया गया और बाद में कुछ समय के लिए बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था।

†**श्री वाजपेयी** : क्या मैं जान सकता हूं कि विद्यार्थियों से क्या छेड़-छाड़ की जाती है जैसा कि उपमंत्री महोदया ने कहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह सूची काफी नहीं ? माननीय उपमंत्री महोदया ने कहा है कि उन्हें परिवहन सुविधा देने से इन्कार किया गया, खाद्य सामग्री नहीं दी गयी, इत्यादि इसके अतिरिक्त आप क्या चाहते हैं ?

†**श्री वाजपेयी :** यह तो केवल एक घटना है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या उपमंत्री महोदया को छेड़-छाड़ की किसी और घटना का पता है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी नहीं।

†**श्री गोरे :** क्या भोजन और परिवहन सुविधाओं से वंचित करने का अर्थ केवल छेड़छाड़ ही है ? श्रीमान्, यदि किसी अन्य देश में भोजन न दिया जाये, तो क्या यह छेड़छाड़ ही होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह छेड़छाड़ से अधिक है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** इस का सम्बन्ध केवल एक विद्यार्थी से है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य की शिकायत यह है कि चाहे एक ही छात्र से क्यों न हो, इसका अर्थ तो किसी को भूखे मारना है, यह केवल छेड़छाड़ नहीं है। इस मामले की गम्भीरता को कम करने का प्रयत्न क्यों किया जाता है ? यदि केवल एक छात्र को, भोजन तथा परिवहन सुविधाओं से वंचित करके, तंग किया जाता है, तो यह काफी है। यह इस बात का द्योतक है कि वहां क्या किया जा रहा है।

†**श्री आसर :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पत्रों में प्रकाशित इस समाचार का पता है कि वहां पर भारतीय विद्यार्थियों को तंग किया जाता है ; यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या सरकार ने कोई पूछताछ की है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जब हमारे राजदूत को किसी बात का पता चलता है, तब सम्बन्धित विभाग अथवा मंत्रालय से इस बारे में बात की जाती है।

†**श्री हेम बरुआ :** श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है। माननीय उपमंत्री महोदया ने कहा है कि विद्यार्थियों से छेड़छाड़ की घटनाएं हुई हैं और उन्होंने इसका एक उदाहरण भी दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार पेकिंग स्थित हमारे राजदूत की मार्फत चीन सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह औचित्य प्रश्न किस प्रकार हुआ ?

†**श्री हेम बरुआ :** विवरण में इसका उल्लेख है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लिखाई तथा छपाई के कागज का आयात

†*१०२७. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री पंगनकर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम द्वारा लिखाई तथा छपाई के कागज के आयात के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां।

(ख) कन्ट्रोलर आफ प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य व्यापार निगम की मार्फत लिखाई और छपाई के ८८०० टन कागज का आयात करने का निश्चय किया गया है। जापान को घटिया किस्म के लौह-अयस्क का जो निर्यात किया जा रहा है, निगम द्वारा उसके बदले वहां से ६८०० टन कागज मंगवाने का प्रबन्ध किया गया है। शेष कागज की प्राप्ति के लिए बातचीत की जा रही है।

सम्वाददाता सम्मेलन

†*१०२९. श्री क० उ० परमार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों या विभिन्न मंत्रियों के सचिवों द्वारा सम्वाददाता सम्मेलन किस आधार पर आयोजित किये जाते हैं ?

(ख) संवाददाताओं को आमंत्रित करने का क्या तरीका है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में केवल थोड़े ही संवाददाताओं को बुलाया जाता है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि सम्वाददाता सम्मेलनों में समाचार-पत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व हो और अंग्रेजी समाचारपत्रों को आवश्यकता से अधिक महत्व न दिया जाये ; क्या कार्यवाही करने का विचार कर रहा है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है, जिस में अपेक्षित जानकारी दी गयी है।

विवरण

(क) पत्रकार-सम्मेलनों का आयोजन सामान्यतः भारत सरकार के मंत्रियों अथवा सचिवों द्वारा किया जाता है। इन सम्मेलनों के उद्देश्य ये होते हैं :

(१) मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को किसी महत्वपूर्ण निश्चय अथवा नीति सम्बन्धी वक्तव्य के क्षेत्र तथा आशय का स्पष्टीकरण करना, जिसके बारे में यह समझा जाता है कि उस निश्चय अथवा वक्तव्य में सामान्य जनता की गहरी रुचि है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) समाचारपत्रों के समक्ष सरकार की नीति तथा गतिविधियों की सामान्य समीक्षा करना ।

(३) पत्रकारों को किसी विशिष्ट महत्वपूर्ण घटना का स्पष्टीकरण तथा व्याख्या करना ।

(ख) और (ग). उन पत्रकार सम्मेलनों में, जिनको प्रधान मंत्री सम्बोधित करते हैं और जिनका आयोजन विज्ञान भवन के किसी समिति-कमरे में किया जाता है, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय तथा विदेशी संवाददाताओं को आमंत्रित किया जाता है । छोटे पैमाने के सम्मेलनों का तथा पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बैठकों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें चर्चाधीन विषय के आधार पर तथा उनमें विभिन्न संवाददाताओं की रुचि को देखते हुए, आमंत्रणपत्र भेजे जाते हैं ।

(घ) इन मामलों में अधिक जोर इस बात पर नहीं दिया जाता कि पत्र का प्रकाशन किस भाषा में होता है, बल्कि इस बात पर होता है कि चर्चाधीन विषय क्या है तथा इस बात का हमेशा प्रयत्न किया जाता है कि उस विषय में दिलचस्पी रखने वाले संवाददाताओं को आमंत्रित किया जाये ताकि जहां तक हो सके सम्मेलन में समाचारपत्रों का व्यापक प्रतिनिधित्व हो ।

सरकारी कर्मचारियों को मकानों का दिया जाना

†*१०४०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग ने यह सिफारिश की है कि मकान बनाने का कार्यक्रम बनाते समय तथा मकान देते समय उन कर्मचारियों को जिनका एक जगह से दूसरी जगह तबादला किया जाता है, प्राथमिकता दी जानी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सिफारिश मान ली है ?

(ग) क्या इसे कार्यान्वित करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो देर के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

जुलाई, १९५९ में, जहां तक डायरेक्टर आफ एस्टेट्स के नियंत्रण अधीन निवास-स्थानों के सामान्य संग्रह (जनरल पूल) में से अलाटमैंट करने का सम्बन्ध है, प्राथमिकता तिथि की परिभाषा में संशोधन किया गया ताकि कर्मचारी दिल्ली, नई दिल्ली अथवा शिमला में अपनी पुनर्नियुक्ति पर, भारत अथवा भारत से बाहर केन्द्रीय सरकार के अधीन अपनी निरन्तर नौकरी की पूरी अवधि को, अलाटमेंट के उद्देश्य से अपनी प्राथमिकता तिथि की दिशा में गिन सकते हैं । डायरेक्टर आफ एस्टेट्स के अधीन बम्बई और कलकत्ता में जो निवास स्थान हैं उनको अलाट करने के नियमों में भी इस प्रकार के संशोधन किये गये हैं । इस संशोधन से उन कर्मचारियों को, जिनका दिल्ली, नई

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता में, मूलतः वहां काम करने के पश्चात् पुनः स्थानान्तरण किया गया है, बड़ा लाभ पहुंचेगा। किन्तु उन कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, जिनको इन में से किसी स्थान पर मूलतः नियुक्त/भेजा नहीं गया, निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री के सभापतित्व में बनायी गयी तदर्थ विभागीय समिति द्वारा प्राथमिकता तिथि की परिभाषा को और लचकीला बनाने के प्रश्न पर अभी हाल में विचार किया गया था। समिति ने सिफारिश की थी कि सामान्य पूल के निवासस्थानों को आबंटन करने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की निरंतर सेवा की पूरी अवधि को गिना जाना चाहिए, बिना इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसकी किस स्थान पर नियुक्ति/भेजा गया है। भारत सरकार इस समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है। इस तदर्थ समिति की सिफारिशों पर जो अन्तिम निर्णय किये जायेंगे, प्रतिरक्षा, रेलवे, डाक तथा तार आदि के निवासस्थानों के संग्रहों के बारे में भी उन निर्णयों के आधार पर उपबन्ध किये जायेंगे।

म्यूरियेट आफ पोटाश और सल्फेट आफ पोटाश का आयात

†*१०४०-क. श्री मणियंगाडन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में म्यूरियेट आफ पोटाश के और सल्फेट आफ पोटाश का आयात और वितरण किस अभिकरण के जरिये किया जाता है ;

(ख) जिस मूल्य पर ये वस्तुएं किसानों को बेची जाती हैं, उस में और आयात-मूल्य में क्या अन्तर है ;

(ग) वितरण करने वाले और आयात करने वाले अभिकरण को क्रमशः कितना प्रतिशत मुनाफा लेने की अनुमति है ; और

(घ) क्या इन वस्तुओं के आयात और वितरण पर राज्य व्यापार निगम का कोई नियंत्रण है और क्या वह इसके सौदे से कोई मुनाफा कमा रहा है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) म्यूरियेट आफ पोटाश का आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है और उसका वितरण मैसर्स इंडियन पोटाश सप्लाई एजेंसी, मद्रास की मार्फत किया जाता है। सल्फेट आफ पोटाश का आयात और वितरण सामान्यतः सुस्थापित आयातकों द्वारा किया जाता है।

(ख) म्यूरियेट आफ पोटाश का वर्तमान लागत बीमा भाड़ा उतराई मूल्य लगभग २५०.०० रु० प्रति टन है और विक्रय-मूल्य अवतरणी द्वार पर ३००.०० रु० प्रति टन तथा भांडागार द्वार पर ३१४.०० रु० प्रति टन है। १९६० में राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये गये सल्फेट आफ पोटाश का नौतल पर्यन्त निःशुल्क (पेटियों में बन्द माल) मूल्य २३४.०० रु० प्रति मीट्रिक टन था और अवतरणी द्वार पर विक्रय मूल्य ३२५.०० रु० प्रति टन और भांडागार द्वार पर ३५०.०० रु० प्रति टन है।

(ग) इन सारे उर्वरकों पर राज्य व्यापार निगम को १/२ परसेंट और वितरण अभिकरण को १ १/२ परसैंट लाभ उठाने की अनुमति है।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जी हां। लेकिन केवल म्यूरियेट आफ पोटाश के बारे में, क्योंकि इसका आयात केवल निगम द्वारा किया जाता है ; और सस्फेट आफ पोटाश पर राज्य व्यापार का नियंत्रण वहां तक है, जितना कि वह उसका आयात करता है ।

अखबारी कागज का अतिरिक्त कोटा

†*१०४१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, १९६१ में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के आगमन के अवसर पर विशेषांक निकालने के लिए समाचार पत्रों को अखबारी कागज का अतिरिक्त कोटा दिये जाने के लिए भारत सरकार को उनकी ओर से कोई मांगें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन से समाचारपत्र हैं और उनकी मांगों का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इन मांगों पर भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). जी हां, अभी तक केवल बम्बई के एक साप्ताहिक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अखबारी कागज का अतिरिक्त कोटा देने का अनुरोध किया गया है किन्तु इसे स्वीकार सम्भव करना नहीं पाया गया। इस निर्णय के विरुद्ध सम्बन्धित प्रकाशक से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । इस पर विचार किया जा रहा है ।

हापुड़ में साइलो-कम-एलिवेटर

†*१०४१-क. **श्री कुन्हन** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५७ में हापुड़ में साइलो-कम-एलिवेटर (अनाज रखने का यंत्रीकृत कोठार) बनाने के लिए नई दिल्ली के मैसर्स शर्मा कोछार को एक ठेका दिया गया है था ;

(ख) क्या यह काम नमूने के मुताबिक किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि निर्माण के लिए इस फर्म को जो इस्पात दिया गया था, वह बाजारों में बेच दिया गया ;

(घ) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ङ) यदि हां, ती उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) १९५६ में मैसर्ज शर्मा कोछड़ को केवल कुछ काम अर्थात हापुड़ में 'साइलो-कम-एलीवेटर' की नींव और उपढांचे के निर्माण का कार्य दिया गया था ।

(ख) जी हां । यह कार्य सामान्य रूप से विशिष्ठियों के अनुसार ही हुआ है ।

(ग) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नागा लैंड

†*१०४२. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड के नये राज्य के लिए बनायी जाने वाली मंत्रणा परिषद् बन चुकी है ;

(ख) क्या नागा राष्ट्रीय परिषद् को छोड़कर अन्य किसी जाति या समुदाय ने इस प्रकार की परिषद् बनाने का विरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो वह कौन सी जाति या समुदाय है और विरोध का क्या कारण है ; और

(घ) उस जाति या समुदाय के विरोध से नागा पहाड़ियों और त्वेनसांग क्षेत्र में शांति और व्यवस्था पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ?

†विदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (**श्री जो० ना० हजारिका**) : (क) नागालैंड के प्रशासन में गवर्नर को अन्तरिम अवधि में सहायता तथा सलाह देने के लिए अन्तरिम सभा का चुनाव लगभग पूरा हो चुका है ।

(ख) और (ग). विद्रोही और उनके समर्थक इस अन्तरिम सभा के निर्माण के विरुद्ध हैं। उनका उद्देश्य यह है कि नागा नेताओं से जो समझौता हुआ है उसकी पूर्ति में विघ्न डाला जाये और विद्रोह-आन्दोलन को जीवित रखा जाये ।

(घ) दिल्ली में समझौता होने के पश्चात विद्रोहियों ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है । किन्तु गांव वासियों ने उन के प्रचार और धमकियों का मुकाबला किया है । स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है ।

नारियल के गोले का आयात

†*१०४३. **श्री वारियर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने श्री लंका से नारियल के गोले के आयात के लिए अगली लाइसेंस अवधि से कोई लाइसेंस जारी न करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†वाणिज्य मंत्री श्री (**कानूनगो**) : (क) अगली अवधि के लिए लाइसेंस सम्बन्धी नीति की घोषणा १ अप्रैल को की जायेगी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आकाशवाणी से संसदीय कार्यवाही की समीक्षा

*१०४४. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राघेलाल व्यास :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से संविधान द्वारा निर्धारित राज-भाषा में संसदीय कार्यवाही की समीक्षा प्रसारित करना बन्द कर दिया गया है क्योंकि कुछ समय से अंग्रेजी में समीक्षा बन्द हो गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि संसदीय कार्यवाही की हिन्दी में समीक्षा के बारे में कोई प्रतिकूल टीका-टिप्पणी नहीं हुई थी ;

(ग) संसदीय कार्यवाही की समीक्षा अंग्रेजी में पुनः आरम्भ हो जाने पर भी हिन्दी में समीक्षा आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सुविधा उपलब्ध करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुविधा जनता को कब तक उपलब्ध की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ङ). संसद की कार्यवाही की समीक्षा का प्रसारण गत वर्ष मुल्तवी कर दिया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि जब तक ऊंचे दर्जे के समीक्षकों की सेवायें हमें उपलब्ध न हों, तब तक इन समीक्षाओं को जारी रखना ठीक न होगा। उस समय तक इस संबंध में एक चुनाव समिति बनी थी जिसे कोई उपयुक्त उम्मीदवार न मिला । अब एक उपयुक्त व्यक्ति मिल गया है, इसलिये अंग्रेजी समीक्षा फिर से जारी कर दी गई है । इसी प्रकार हिन्दी समीक्षा भी जल्दी ही जारी कर दी जायेगी।

दिल्ली में निष्क्राम्य सम्पत्ति

†*१०४५. **श्री मुहम्मद ताहिर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २ दिसम्बर, १९६० के दिल्ली के एक दैनिक पत्र "अलजमियत" के पृष्ठ ६, स्तम्भ ४ में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिस में "मुसलमानों की सम्पति हड़पने के लिये कस्टोडियन का एक नया आक्रमण" का उल्लेख किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कस्टोडियन ने पूरी पूरी जांच और साक्ष्य के बाद दिल्ली में कई मुसलमान परिवारों की सम्पति को गैर-निष्क्रांत घोषित किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निष्क्रान्त सम्पति प्रबन्ध संशोधन अधिनियम, १९५४ के अधीन कोई भी व्यक्ति ७ मई, १९५४ के बाद किये गये किसी भी कार्य के कारण निष्क्रान्त व्यक्ति घोषित नहीं किया जायेगा ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) , (ख) और (ग) के उत्तर हां में हों, तो दिल्ली में उन अनेक मुसलमान परिवारों को जिनकी सम्पति कस्टोडियन ने उचित

---

†मूल अंग्रेजी में

जांच और साक्ष्य के बाद अंतिम रूप से गैर-निष्क्रान्त घोषित की थी नये नोटिस क्यों जारी और तामील किये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ). कस्टोडियन द्वारा ७ अप्रैल, १९५५, अर्थात १९५४ के संशोधिन अधिनियम के अधीन किसी भी सम्पत्ति को निष्क्राम्य सम्पत्ति के रूप में घोषित करने के लिये नई कार्यवाही आरम्भ करने की अन्तिम तिथि के बाद निष्क्राम्य सम्पत्ति अधिनियम की धारा ७ के अधीन कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया था।

कुछ एक ऐसी निष्क्राम्य सम्पत्तियों के सम्बन्ध में, जो कि निष्क्राम्य सम्पत्ति अधिनियम की धारा १६ और २७ के अधीन केन्द्रीय सरकार अथवा कस्टोडियन जनरल द्वारा मुक्त कर दी गयी थी, बाद में यह ज्ञात हुआ कि वे गलत व्यक्तियों द्वारा पररूपधारण द्वारा अथवा ग़लत बयानी से मुक्त करायी गयी थी ; केवल इन्हीं सम्पत्तियों के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जा रहा है ।

अधिक ऊंचाई पर गुब्बारों को उड़ान

†*१०४६. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अणुशक्ति विभाग अगले वर्ष के आरम्भ में ऊंचाई पर गुब्बारों की उड़ान के लगभग ५० प्रयोग करने के लिये अमरीकी अणुशक्ति विभाग के साथ सहकार्य कर रहा है ;

(ख) इन प्रयोगों का क्या उद्देश्य है ; और

(ग) ये प्रयोग कहां किये जायेंगे ?

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां । यह परियोजना अमरीकी सरकार द्वारा अमरीकी विमान बल और अमरीकी अणुशक्ति आयोग के ज़रिए और भारत सरकार (अणुशक्ति विभाग द्वारा) संयुक्त रूप से प्रारम्भ की गई है ।

(ख) उस के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(१) (क) भिन्न कण वातिलयनों के समतापमण्डलीय वितरण[1] और प्राकृतिक तथा कृत्रिम उद्भव की वायुमण्डलीय रेडियो सक्रियता तथा (ख) अन्तगोलार्ध तथा परिवर्ती मण्डल[2] के मिश्रण तथा गणना के सम्बन्ध में अध्ययन के लिये समतापमण्डलीय भिन्न कण सम्बन्धी सामग्री इकट्ठा करना ;

(२) प्राथमिक ब्रह्माण्ड किरणों (प्राइमरी कास्मिक रेज़) के उद्भव और उनकी शक्तियों के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिये फोटोग्राफिक एमल्शन और इलेक्ट्रानिक काउण्टरों के द्वारा प्राथमिक ब्रह्माण्ड किरणों का निरीक्षण करना;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Stratospheric Distribution of Particulate Aerosols.

[2] Troposphere–Stratosphere.

(३) उक्त अवलोकन के साथ साथ अन्य अन्तरिक्ष शास्त्र सम्बन्धी पैरामीटरों का निर्धारण करना, जैसे कि समताप मण्डलीय वायु वेग, और उस के रूप, दबाव-की ऊंचाई, तापांश, आर्द्रता, तथा प्रजारक[1] का केन्द्रीयकरण ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद में ।

गौहाटी रेडियो स्टेशन में सेंध

†*१०४७. { श्री अ० मु० तारिक :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि ३ दिसम्बर, १९६० की रात को गौहाटी रेडियो स्टेशन में सेंध लगा कर चोरी की गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम का नुकसान हुआ और सरकार ने क्या कार्यवाही की या करने का विचार है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). २ दिसम्बर, १९६० के प्रातःकाल को गौहाटी रेडियो स्टेशन में चोरों द्वारा सेंध लगायी गयी थी और वे एक तिजोरी उठा कर ले गये जिस में १२,७९०,२७ रुपय थे । उसी समय सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों और पुलिस को सूचित कर दिया गया था । पुलिस ने उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और उन से बहुत सा सामान बरामद कर लिया ।

उस रेडियो स्टेशन पर, जो कि शहर से कुछ दूरी पर है, सुरक्षा संबंधी अधिक प्रबन्ध करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । आकाशवाणी के प्राधिकारियों ने कुछ समय पूर्व इस स्टेशन पर सशस्त्र पुलिस की गार्ड की आवश्यकता के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट किया था ।

लंका को कपड़े का निर्यात

†*१०४८. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि लंका ने भारत से भारतीय सरांग और सरांग के कपड़े आदि के आयात पर निर्बन्धन लगाये हैं जो भारतीय कपड़े के आयात पर पूरा पूरा प्रतिबन्ध लगाने के बराबर है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : लंका सरकार ने १ दिसम्बर, १९६० से सरांगों और सरांग कपड़े के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। लंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस बारे में लंका सरकार से बातचीत शुरू कर दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Ozone.

कत्चा थिवूद्वीप

†*१०४९. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या प्रधान मंत्री ३० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कत्चा थिवू द्वीप के कब्जे के बारे में अब वास्तविक स्थिति मालम की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

पूर्वी जर्मनी में भारतीय पत्रकारों की गिरफ्तारी

†*१०५०. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ अक्तूबर, १९६० को पूर्व जर्मन पुलिस ने चार भारतीय पत्रकारों को हैम्बर्ग के पास सीमा पार करते हुये गिरफ्तार कर लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उस घटना का व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां ।

(ख) फेडरल जर्मन सरकार के निमंत्रण पर एक दल पश्चिमी जर्मनी का दौरा कर रहा था । जब वे पश्चिमी जर्मनी/पूर्वी जर्मनी की सीमा पर लबेक में थे, तो उस दल ने अपने पश्चिमी जर्मनी पथ प्रदर्शक के परामर्श के विरूद्ध सीमा पार करके पूर्वी जर्मनी में प्रवेश करने का निर्णय कर लिया । जब वे सीमा पर पहुंचे तो पूर्वी जर्मनी सीमांत नियंत्रण चौकी द्वारा पूछताछ के लिये वे रोक दिये गये और बाद में उन्हें दाखिल होने की अनुमति नहीं दी गयी ।

(ग) पूर्वी जर्मनी सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर दिया गया जिसने उस घटना के संबंध में खेद प्रकट करते हुये यह समझाया है कि क्योंकि उस दल के पास वैध बीसा नहीं थे, इसलिये उसे दाखिल नहीं होने दिया गया ।

संचालित दौरों के लिये सम्वाददाताओं का चुनाव

†*१०५१. श्री क० उ० परमार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचालित दौरों के लिये किस प्रकार और किस ढंग से संवाददाता चुने जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ दौरों के लिये अधिक पुराने संवाददाताओं को शामिल नहीं किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सभी संवाददाताओं को बराबर बराबर अवसर देने के उद्देश्य से उचित प्रक्रिया बनाने के लिये कुछ कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (घ). देश के अन्दर ही विकास परियोजनाओं के संचालित दौरों के लिये संवाददाताओं का चुनाव करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाता है कि किस क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है, समाचार पत्र का कितना प्रभाव है, उन संवाददाताओं को पहले कितने अवसरों पर साथ जाने का मौका दिया जा चुका है। इसी प्रकार की कुछ अन्य बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। अंग्रेजी के समाचार पत्रों के साथ ही साथ भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को भी ध्यान में रखा जाता है और सामान्यतया समाचार पत्रों से कहा जाता है कि वे स्वयं अपने संवाददाताओं को नामजद करें अथवा इस संबंध में उनसे परामर्श किया जाता है। संवाददाताओं का चुनाव करते समय केवल दिल्ली के ही स्वीकृत संवाददाताओं को नहीं चुना जाता और न ही केवल पुराने संवाददाताओं को चुना जाता है। चुनाव करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि उससे पहले कितने अवसरों पर उस समाचार पत्रों अथवा संवाददाताओं को मौके दिये जा चुके हैं तथा यथासंभव अधिक से अधिक समाचार पत्रों को अवसर दिये जा सकें।

बागान कर्मचारियों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन

†*१०५२. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान कर्मचारियों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय के अनुसमर्थन का निश्चय करने में सहायता के लिये तथ्य मालूम करने वाली जांच शुरू हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां।

(ख) सभी राज्य सरकारों तथा संबंधित मंत्रालयों को एक 'प्रोफोर्मा' भेजा गया है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय में बागान के रूप में वर्गीकृत फसलों की काश्त की जोतों का आकार और नियोजन की रूपरेखा के संबंध में जानकारी मांगी गयी है।

रूमानिया को लौह अयस्क की बिक्री

†*१०५२-क. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तेल छिद्रण उपकरण के बदले में दीर्घकालीन आधार पर रूमानिया को लौह अयस्क बेचने के संबंध में उसके साथ बातचीत कर रही है ;

(ख) बातचीत में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) प्रस्तावित करार का क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). रूमानिया से एक प्रतिनिधिमंडल आया है। ब्यौरे के बारे में बताना लोक हित में नहीं है क्योंकि बातचीत अभी तक चल रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

निष्क्रान्त कृषिभूमि के अभिलेख

†*१०५३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **पुनर्वास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से यह आग्रह किया है कि लगान के अभिलेखों का आदान प्रदान शीघ्र किया जाये ताकि दोनों सरकारें निष्क्रांत व्यक्तियों को खेती की जमीनें देने का काम समाप्त कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पाकिस्तान सरकार की क्या राय है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पु० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). भारत और पाकिस्तान की कार्यान्विति समिति की हाल ही की बैठक में दोनों ही सरकारों ने शेष राजस्व रिकार्डों के तबादले के कार्य को तेजी के साथ करना स्वीकार कर लिया है ।

भारत में निर्मित साइकिलें

†२१२२. { **श्री पांगरकर** :
" { **श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त से ३१ अक्तूबर, १९६० तक भारत में राज्यवार कितनी साइकलें तैयार की गयी थीं; और

(ख) उक्त अवधि में कितनी साइकलें निर्यात की गई थीं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) राज्य	१ अगस्त से ३१ अक्तूबर, १९६० तक तैयार की गयी साइकलें
बिहार	७,२८१ (लगभग)
बम्बई	२६,९५५
दिल्ली	१८,०३८ (लगभग)
मद्रास	५७,९२८
पंजाब	७९,८७१
उत्तर प्रदेश	९,७०१
पश्चिमी बंगाल	५१,२८०
कुल	२,५१,०५४

छोटे पैमाने के कारखानों में तैयार की गयी साइकलों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) अगस्त और सितम्बर, १९६० में १६४ साइकलों का निर्यात किया गया था । सितम्बर के बाद के निर्यात संबंधी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

हैदराबाद में कांच की चादरों का कारखाना

†२१२३. **श्री रामी रेड्डी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में कांच की चादर बनाने का कोई कारखाना स्थापित करने का कोई विचार है ;

(ख) उस कारखाने की कितनी उत्पादन-क्षमता होगी और उस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) उस कारखाने के संबंध में और क्या क्या ब्योरा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). सरकार हैदराबाद में कांच की चादरों के कारखाने की स्थापना के बारे में एक सुझाव पर विचार कर रही है । वह सुझाव अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है और इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का प्रेजीडेन्ट्स एस्टेट डिवीजन

†२१२४. **श्री तंगामणि** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रेजीडेंट्स एस्टेट डिवीजन की वायुअनुकूलित वर्कशाप में वर्गवार कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: जानकारी निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	वर्ग	कर्मचारियों की संख्या
१	एयर कन्डीशनिंग मेकेनिक . . .	१
२	पम्प ड्राइवर . . .	५
३	खलासी	८

कांगो में भारतीय

†२१२५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कांगों में कितने भारतीय राष्ट्रजन हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सरकार के पास इस संबंध में कोई निश्चित आंकड़े नहीं हैं, परन्तु अनुमान के अनुसार वहां पर भारतीय सशस्त्र बलों के ७७९ कर्मचारियों और भारतीय राजनयिक मिशन के ४ सदस्यों के अतिरिक्त लगभग १५० अन्य भारतीय राष्ट्रजन हैं ।

मद्रास में अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना

†२१२६. **श्री धर्मलिंगम** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन मद्रास की अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अधीन मद्रास राज्य सरकार को कितना ऋण दिया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या मद्रास सरकार द्वारा उस राशि का पूरा पूरा लाभ उठाया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) २४७.६० लाख रुपयों में से, जो कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में मद्रास को अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार ऋण के रूप में आवंटित किये जायेंगे, राज्य सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में १९२.६० लाख रुपये इस्तेमाल कर लिये हैं। शेष ५५.०० लाख रुपये १९६०–६१ के लिये आवंटित कर दिये गये हैं।

(ख) उक्त राशि में से मद्रास सरकार ने वास्तव में जून, १९६० तक २०१.९० लाख रुपये कुल खर्च किये थे।

मद्रास तथा उत्तर प्रदेश में हथकरघा मजदूर

†२१२७. **श्री धर्मलिंगम** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मद्रास और उत्तर प्रदेश के हथकरघा मजदूरों के गृह-निर्माण के लिये कितनी कितनी राशि निर्धारित की गयी है ;

(ख) उन द्वारा अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ग) उन दोनों राज्यों में कितने मकान बनाने की योजना है और अभी तक कितने बनाये जा चुके हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मद्रास का औद्योगिक विकास

†२११८. **श्री धर्मलिंगम** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य का औद्योगिक सर्वेक्षण करने के संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). ज्ञात हुआ है कि मद्रास सरकार ने राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् के द्वारा मद्रास राज्य का एक प्रविधिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया है। इस संबंध में भारत सरकार के पास ब्योरे नहीं हैं।

मद्रास में उद्योगों की स्थापना

†२१२९. **श्री धर्मलिंगम** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ से १९६० में मद्रास में २ लाख रुपयों से अधिक पूंजी के उद्योगों की स्थापना के संबंध में कितने सुझाव प्राप्त हुये थे ; और

(ख) कितने उद्योगों के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन लाइसेंस के आवेदन के लिये मूल शर्त यह है कि आवेदन करने वाली पार्टी के पास उस उद्योग के लिये कम से कम १० लाख रुपयों की पूंजी होनी चाहिये। अतः २ लाख तथा उसके अधिक की पूंजी के उद्योगों के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) प्रति मास दिये जाने वाले लाइसेंस के ब्योरे 'उद्योग व्यापार पत्रिका' में प्रकाशित किये जाते हैं।

उड़ीसा के बोलंग के नमक का कारखाना

†२१३०. श्री का० च० जेना :
श्री भागवत साहू :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालासोर जिले के बोलंग स्थान पर सहकारी आधार पर एक नमक का कारखाना प्रारम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह कब प्रारम्भ किया गया था और उसका वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(ग) अधिक नमक के उत्पादन के लिये प्रोत्साहन देने के लिये और उत्पादित नमक के परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिये सरकार की ओर से क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मैसूर में मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना

†२१३१. श्री सिदय्या : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में (१) अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना तथा (२) मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के लिये मैसूर राज्य को कितनी राशि दी गयी है ; और

(ख) १९५९–६० और १९६०–६१ में उक्त योजनाओं के अधीन कितनी प्रगति हुई है ?

†निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८९]।

मैसूर में राजसहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

†२१३२. श्री सिदय्या : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ के लिये मैसूर की राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन कोई राशि आवंटित की गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस योजना के अधीन कितने मकान बनाये जा र हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) १९६०–६१ में राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के लिये मैसूर सरकार को २२ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं ।

(ख) जब से यह योजना प्रारम्भ की गयी थी, उस समय से अर्थात् सितम्बर, १९५२ से कुल ९,७२३ मकानों के निर्माण के लिये मंजूरी दी गयी थी । ३० सितम्बर, १९६० तक उनमें से ६,५३५ मकान बनाये जा चके हैं। शेष ३,१८८ मंकानों का निर्माण किया जा रहा है या प्रारम्भ किया जाने वाला है ।

ग्राम्य गृह निर्माण परियोजना

†२१३३. श्री सिद्दय्या : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजना के अधीन १९६०–६१ के लिये मैसूर राज्य को कुल कितनी राशि आवंटित की गयी है ;

(ख) क्या सरकार ने मैसूर राज्य को सारी राशि अदा कर दी है ; और

(ग) अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) २०.३५ लाख रुपये (जिसमें ग्राम्य गृह-निर्माण विभाग[1] के लिये ०.३५ लाख रुपयों का सहायक अनुदान भी सम्मिलित है) ।

(ख) मई, १९५८ में प्रारम्भ किये गये नये तरीके के अनुसार सारे वर्ष के लिये निर्धारित की गयी केन्द्रीय सहायता की राशि में से तीन चौथाई राशि अर्थोपाय पेशगियों के रूप में नौ बराबर मासिक किस्तों में राज्य सरकार के हवाले कर दी जाती है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के निकट इसका अन्तिम समायोजन कर लिया जाता है ।

(ग) मैसूर सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार १९९९ मकानों के निर्माण के लिये १०५ ग्रामों के लिये ३६.३० लाख रुपयों की ऋण सहायता दी गयी थी, जिनमें से सितम्बर, १९६० तक ११.४२ लाख रुपये दिये जा चुके थे । उस दिन तक ३६६ मकान तो पूरे तैयार हो गये थे और १६३३ मकान तैयार किये जा रहे थे ।

त्रिपुरा में सहकारी समितियां

†२१३४. श्री दशरथ देव : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा परीक्षा प्राधिकारियों ने त्रिपुरा के पुनर्वास केन्द्रों में स्थापित समितियों द्वारा भ्रष्टाचार तथा अनियमित कार्यों के संबंध में कोई शिकायत की है ;

(ख) यदि हां, तो उन समितियों के क्या क्या नाम हैं ;

(ग) किस प्रकार की शिकायतें की गयी हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Rural Housing Cell.

(घ) भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के समाप्त करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :(क) से (घ). जी, हां। कुछ एक आपत्तियां की गयी थीं। त्रिपुरा प्रशासन की राय में इन आपत्तियों से यह तात्पर्य नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है या कोई अनियमितता हुई है। प्रशासन का मत है कि यह मामूली सी बातें हैं।

तिब्बती शरणार्थियों का नेफा में बसाया जाना

†२१३५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री ३० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बती शरणार्थियों को नेफा में भालुचपुंग में बसाने के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उस क्षेत्र के सामान्य विकास के लिये अभी तक कितनी राशि खर्च की गयी थी; और

(ग) वह कार्य कब पूरा होगा ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) बसाने की भूमि तक के लिये पहुंचने की सड़क को पुन: पक्का कर दिया गया है और शरणार्थियों के लिये रहने के स्थान भी बना दिये गये हैं। ६० रोगियों के लिये एक अस्पताल भी बनाया जा रहा है। वनस्पति तथा फल उगाने का काम प्रारम्भ कर दिया गया है और वन काटने का काम किया जा रहा है। शरणार्थियों को तिब्बती और हिन्दी सिखाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और ७०० विद्यार्थियों के लिय एक स्कूल स्थापित किया जा रहा है। मार्गस्थ कैम्प में एक सहकारी दूकान भी खोल दी गयी है।

(ख) नवम्बर, १९६० के अन्त तक ५,४३,००० रुपये।

(ग) इस वर्ष अधिक वर्षा के कारण प्रगति के कार्य में बाधा पड़ गयी है। आशा है कि मूल योजना के अनुसार कार्य १९६२–६३ में पूरा हो जायेगा।

पुस्तकों का आयात

†२१३६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में पुस्तकों के आयात के लिये कितने परमिट जारी किये गये हैं ; और

(ख) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ४६२।

(ख) ३,७३,१८,७६४ रुपये।

इनमें विमानों के संधारण, मरम्मत तथा ओवरहाल से संबंधित पुस्तकें सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि उनके अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब सरकार के कर्मचारियों के आवास के लिए ऋण

†२१३७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पंजाब सरकार को अपने कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के वास्ते अब तक ऋण के रूप में कोई सहायता दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता दी गयी है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने मकान बनाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) पंजाब सरकार ने, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये किराये के मकानों की योजना के अन्तर्गत पेश की गयी ऋण सहायता का लाभ न उठाने का फैसला किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पंजाब में औद्योगिक एकक

†२१३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९६० में अब तक स्थापित किये गये औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं ;

(ख) इसके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी रकम मंजूर की गयी है ;

(ग) वस्तुतः कितना धन व्यय किया गया है ; और

(घ) १९६१ में शुरू किये जाने वाले औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) यह जानकारी एकत्र करना सम्भव नहीं है। किन्तु यदि माननीय सदस्य इस बात पर बल देंगे कि उद्योग (विनियमन तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं, तो उन्हें यह जानकारी प्रदान की जा सकती है ।

(ख) और (ग). गैर-सरकारी औद्योगिक एककों के लिये कोई रकम मंजूर नहीं की जाती ।

(घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

सरकारी कर्मचारियों के लिए निवास स्थान

†२१३९. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ दिसम्बर, १९६० को केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी डी–१ और डी–२ श्रेणी के निवास-स्थान प्राप्त करने के अधिकारी थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त कर्मचारियों में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो १-१२-६० को 'एफ' और 'ई' श्रेणी के निवास-स्थानों (नियमित) में रह रहे हैं ; और

(ग) क्या उन कर्मचारियों को, जो अपनी श्रेणी से निचली श्रेणी के नियमित निवास-स्थानों में रह रहे हैं, आवेदन करने पर उच्च श्रेणियों के विशेष निवास-स्थान प्राप्त हो सकते हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). १-१२-६० को डी०-१ और डी०-२ श्रेणियों के निवास-स्थानों में रहने के लिये क्रमश: ११८७ और १८८१ पदाधिकारी पात्र थे। इनमें से जिन पदाधिकारियों को डी-१ श्रेणी के निवास-स्थानों में रहने का अधिकार था, उनमें से १५ 'एफ' (नियमित) श्रेणी के निवास-स्थानों में रह रहे थे और १०८ 'ई' (नियमित) श्रेणी के निवास-स्थानों में। जिन कर्मचारियों को 'डी-२' श्रेणी में रहने का अधिकार प्राप्त था, उनमें से ९० 'एफ' (नियमित) श्रेणी के निवास-स्थानों में रह रहे थे और ३०६ 'ई' (नियमित) श्रेणी के आवास-स्थानों में।

(ग) जी नहीं। 'विशेष' निवास स्थान का अलाटमेंट विशेष निवास नियम, १९५० के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है। ये नियम उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते जिन्हें 'नियमित' निवास-स्थान मिले हुए हैं।

ट्रांसमिटरों का निर्माण

†२१४०. **श्री न० म० देब** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेडियो स्टेशनों के लिये ट्रांसमिटरों के निर्माण की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने को कहां स्थापित करने की प्रस्थापना है ; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). मैसर्स भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर का विचार अखिल भारतीय रेडियो द्वारा अपेक्षित मध्यम तरंग प्रसारण ट्रांसमिटरों के निर्माण का है। इस पर होने वाले व्यय का ब्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं है।

भारतीय चाय पर पश्चिमी जर्मनी में कर

†२१४१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मन सरकार ने यह बात स्वीकार कर ली है कि इस समय भारतीय चाय पर उस देश में जो भारी आन्तरिक कर तथा शुल्क लगे हुए हैं, उनमें कुछ कमी कर दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी की जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) अभी तक तो नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऊनी उद्योग का आधुनिकीकरण

२१४२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ७ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऊनी उद्योग के पुनर्वास व आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्यकारी दल ने जो रिपोर्ट दी थी उस पर विचार करने और उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के काम में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर अब भी विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में छतवाले पंखे

२१४३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री ७ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली व नई दिल्ली के दो कमरों वाले सरकारी क्वार्टरों में छतवाला दूसरा पंखा लगाने का जो प्रश्न विचाराधीन था, उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : अभी तक अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है ।

प्रशासन व्यवस्था का पुनर्गठन

२१४४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या योजना मंत्री १६ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में कमिश्नरियों, जिलों तथा सबडिवीजनों का वैज्ञानिक आधार पर अथवा सघन प्रशासन के दृष्टिकोण से पुनर्गठन करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

योजना उपमंत्री (श्री इला० नं० मिश्र): विभिन्न राज्यों में कमिश्नरियों, जिलों तथा सबडिवीजनों के पुनर्गठन में जो प्रगति हुई है वह संक्षेप में इस प्रकार है :—

आंध्र प्रदेश:

पहले बताया गया था कि सारे राज्य में राष्ट्रीय प्रसार सेवा स्कीम चालू हो जाने के बाद ही जिलों और डिवीजनों के पुनर्गठन के विषय में विचार किया जायेगा । इसके आगे कोई प्रगति नहीं हुई है ।

असम :

सन् १९५७ में कोकराजहार सबडिवीजन बनाने के बाद कोई प्रगति नहीं हुई ।

बिहार :

सहरसा और धनवाद के दो नये जिले और तीन नये सबडिवीजन पुराने जिलों की सीमाओं में हेर-फेर करने के बाद बनाये गये थे । बाकी पुनर्गठन अभी विचाराधीन है और कोई फैसला नहीं हुआ है ।

बम्बई :

भतपूर्व बम्बई राज्य में १९५० में देसी रियासतों के मिलाने के पश्चात् कुछ जिलों का पुनर्गठन किया गया था। जिन जिलों में कार्य भार अधिक था अथवा क्लैक्टर को अन्य महत्व-पूर्ण कार्य करने थे वहां अतिरिक्त कलैक्टर नियुक्त किये गये। जिन सब डिवीजनों में कार्य भार अधिक था वहां डिवीजनल कमीशनरों को सबडिवीजन बनाने का आधिकार दिया गया। मेहसाना तथा वनस्कंध नामक दो जिलों का पुनर्गठन किया गया। मान्दई जिले का राजुरा तालुका चन्दा के कलैक्टर और रनागुपुर के कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। पंच महल जिले के कुछ गांव बड़ौदा जिले में और बड़ौदा जिले के कुछ गांव पंचमहल जिले में अदल-बदल कर दिये गये। राजकोट डिवीजन का पुनर्गठन किया गया। जिला अहमदाबाद के दो गांव जिला सुरेन्द्रनगर में मिला दिये गये। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से पहले ६ जिलों के बहुत से गांवों/महलों/तालुकों को एक जिले से दूसरे जिले में मिला दिया गया। सूरत जिले को बम्बई डिवीजन से निकाल कर अहमदाबाद डिवीजन में मिला दिया गया।

भूतपूर्व बम्बई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो राज्यों में बांटन से पूर्व निम्न-लिखित परिवर्तन किये गये :

(क) १ अप्रैल, १९६० से अहमदाबाद के कमिश्नर का कार्यालय अहमदाबाद से बड़ौदा बदल दिया गया।

(ख) ३० अप्रैल, १९६० से पृथक जलगांव डिवीजन समाप्त कर दिया गया और उसका एक अतिरिक्त जिला बनाकर बम्बई डिवीजन में मिला दिया गया।

(ग) १ अप्रैल, १९६० से जिला थाना तालुका अम्बरगांव के ७७ गांवों में से ५० गांवों को जिला सूरत में मिला दिया गया और इस तालुका के बाकी २७ गांवों को तालुका दहानु जिला थाना में मिला दिया गया।

(घ) २८ अप्रैल, १९६० से जिला धूलिया के तालुका नकापुर और तालुका नन्दुरवार में से प्रत्येक से ३८ गांव ले कर जिला सूरत के तालुका सौंगध में मिला दिये गये।

(ङ) २८ अप्रैल, १९६० से जिला धूलिया के तालुका अकलकुआ के ३७ गांव और तालुका तलौदा के ४३ गांव जिला बरोच के तालुका सगवारा में मिला दिये गये।

(च) २८ अप्रैल, १९६० से बम्बई डिवीजन का जिला डांगस् अहमदाबाद डिवीजन में मिला दिया गया।

१९६० के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार अहमदाबाद डिवीजन के १० जिलों तथा राजकोट डिवीजन के ७ जिलों को बम्बई राज्य से अलग कर गुजरात नामक पृथक राज्य का निर्माण किया गया।

भूतपूर्व बम्बई राज्य के बाकी ४ डिवीजन (बम्बई, पूना, नागपुर और औरंगाबाद) जिनके ३६ जिले हैं अब महाराष्ट्र राज्य कहलाता है।

१ अक्तूबर १९६० से जिला बरोच के तालुका सगवारा को सगवारा महल तथा निजार महल एवं उच्छल महल नामक अन्य दो महलों में परिवर्तित कर दिया गया है। पूर्व सगवारा तालुका से कुछ गांव (५३) और पूर्व सोंगध तालुका से (३८) गांव नये महल निजार में परिवर्तित कर दिये गये हैं। ये परिवर्तन प्रशासनिक सुविधा के लिये किये गये हैं।

अहमदाबाद डिवीजन का कार्यालय—अहमदाबाद से बड़ौदा बदल दिया गया है और इस प्रकार अहमदाबाद डिवीजन का नाम बड़ौदा डिवीजन रख दिया गया है ।

महाराष्ट्र :

१ मई, १९६० को महाराष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया।

तत्पश्चात इस में निम्नांकित परिवर्तन किये गये :—

(क) जिला सांगली के तीन तालुकों का असमान वर्गीकरण कर दिया गया था उनका १ अगस्त, १९६० से व्यवस्था योग्य ३ सब डिवीजनों में पुन:वर्गीकरण कर दिया गया ।

(ख) २१ अक्तूबर १९६० से जिला कोल्हापुर का एक अतिरिक्त सब डिवीजन बनाया गया । और वर्तमान तालुकों का ३ सब डिवीजनों में वर्गीकरण कर दिया गया है ।

(ग) पूना डिवीजन के दो जिले जो दक्षिणी सतारा तथा उत्तरी सतारा के नाम से पुकारे जाते थे, २१ अक्तूबर, १९६० से उनका नाम फिर से सांगली जिला तथा सितारा जिला कर दिया गया ।

(घ) बम्बई डिवीजन के दो जिले जिनका नाम पूर्वी खानदेश तथा पश्चिमी खानदेश था उनका नाम २१ अक्तूबर, १९६० से क्रमश: जिला जलगांव तथा जिला धूलिया कर दिया गया है ।

जम्मू-कश्मीर :

जैसा पहले बताया जा चुका है प्रत्येक जिले में पृथक समितियों का निर्माण किया गया है जो सामुदायिक विकास खण्डों की वर्तमान सीमाओं की जांच कर के स्थानीय परिस्थितियों और खण्डों के अन्दर पटवारी हलकों के बराबर विभाजन को दृष्टि में रखकर आवश्यकतानुसार खण्डों की सीमाओं में परिवर्तन की सिफारिश करेंगी।

केरल :

यह पहले बताया जा चुका है कि भूतपूर्व ट्रावनकोर कोचीन क्षेत्र में अलेप्पी और इरनाकुलम नामक दो जिलों का निर्माण किया गया । पूर्व मालाबार जिले के कासरगोद तालुका के स्थान पर कन्नानोर, कोजीकोद, पालघाट नामक तीन जिलों का निर्माण किया गया है ।

मध्य प्रदेश :

कमिश्नरियों, जिलों और सबडिवीजनों के पुनर्गठन करने की दशा में अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

मद्रास :

जैसे पहले बताया जा चुका है मद्रास सरकार के सामने अपने जिलों की सीमा में हेर-फेर करने का कोई प्रस्ताव नहीं । उन्होंने ९ जिलों में भू राजस्व (लैण्ड रेवेन्यू) तथा सामान्य प्रशासन चलाने के लिये राजस्व अधिकारी नियुक्त करने का निश्चय किया है । कलैक्टर भू राजस्व का प्रधान होने के नाते इन अधिकारियों के कार्य की देखभाल करता रहेगा।

१२ राजस्व जिलों को २१ विकास जिलों में बांट दिया गया है और इन में से प्रत्येक जिले की एक जिला विकास समिति बना दी गयी है। इसके आगे कोई सूचना नहीं मिली है ।

मैसूर :

१ अक्तूबर, १९६० से दक्षिण कनारा जिले में मंगलौर नामक एक सब-डिवीजन बना दिया गया है ।

उड़ीसा :

गंजाम जिले में से पर्लाकिमेदी नाम का एक नया सबडिवीजन बना दिया गया है । २६-१-५९ से भुवनेश्वर नाम का एक नया सबडिवीजन बना दिया गया है पर्लाकिमेदी सबडिवीजन के रामगिरि उदयगिरी तालुके के तम्बा क्षेत्र को बरहामपुर सबडिवीजन में मिला दिया गया है ।

नरसिंहपुर, नयागढ़, बमरा और नीलगिरी के भूतपूर्व रियासती जिले जिनमें क्रमशः कटक, पुरी, सम्बलपुर और बालासोर के जिलाधीश ही पदेन जिलाधीश होते थे अब १ अक्तूबर १९५९ से समाप्त कर दिये गये हैं और उन्हें क्रमशः कटक, पुरी, सम्बलपुर और बालासोर के नियमित जिलों में मिला दिया गया है ।

१ फरवरी, १९६० से कटक जिले के भूतपूर्व रियासती सब डिवीजन बमरा नरसिंहपुर और तिगरिया को, और पुरी जिले के भूतपूर्व रियासती सबडिवीजन खंडापाड़ा, दस पल्ला और राणपुर को विलीन कर क्रमशः कटक और पुरी जिले के अथागढ़ और नाया गढ़ सब डिवीजनों में मिला दिया गया है ।

कटक और पुरी के कुछ क्षेत्रों की अदला-बदली के विषय में विचार किया जा रहा है । परन्तु यह १९६१ की जनगणना के पश्चात ही किया जायेगा ।

पंजाब :

निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं :—

(१) प्रत्येक जिले को सबडिवीजनों में बांटने के निश्चयानुसार राज्य सरकार ने एक तहसील की सीमा को एक इकाई मानकर ५२ तहसीलों को लेकर ४२ सबडिवीजनें बनायी हैं ।

(२) जिला कपूरथला को पटियाला डिवीजन से हटाकर जलन्धर डिवीजन में मिला दिया गया है ।

(३) तहसील कंडाघाट पटियाला से हटाकर जिला शिमला में मिला दी गयी है ।

(४) तहसील नालागढ़ पटियाला से अम्बाला जिले में मिला दी गई है ।

(५) पिन्जौर-कानूनगो क्षेत्र जो अभी तक जिला पटियाला की कंडाघाट तहसील में था अब अम्बाला जिले की कालका सब तहसील में मिला दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(६) सब-तहसील नथाना को फिरोजपुर से हटाकर भटिंडा जिले में मिला दिया गया है ।

(७) जिला लुधियाना के बहादुर गढ़ गांव को जिला संगरूर में और जिला कांगड़ा के कौसार गांव को जिला होसियारपुर में मिला दिया गया है ।

(८) जिला करनाल की सब तहसील गुहला के सात गांव अम्बाला जिले की अम्बाला तहसील में मिला दिये गये हैं ।

(९) लाहौल और स्पीति के वजीरियों को लेकर जो अबतक जिला कांगड़ा, सबडिवीजन कल्लू, सब-तहसील लाहौल के भाग से लाहोल स्पीति नामक जिले का निर्माण किया गया है जिसका मुख्य कार्यालय केंलोंग में है ।

(१०) कांगड़ा जिले की सबडिवीजन कुल्लू की लाहौल सबतहसील में लाहौल और स्पीति की वजीरियों को लेकर लाहौल और स्पीति नाम की दो नयी तहसीलें बनायी हैं, जिनके मुख्यालय क्रमश: लोंग और काजा में होंगे ।

राजस्थान :

फिलहाल राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि अप्रैल १९६० के बाद जब तक १९६१ की जनगणना समाप्त न हो जाये तहसीलों तथा, जिलों की सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाये ।

उत्तर प्रदेश :

गोरखपुर जिले को बांटकर देवरिया और गोरखपुर नामक दो जिले बना दिये गये हैं। बहरामपुर और टिहरी गढ़वाल जिलों का निर्माण इन रियासतों के उत्तर प्रदेश में विलीन होने के बाद किया गया था । भूतपूर्व चमौली, पिथौरागढ़ और उत्तर काशी की सीमाओं में कुछ हेर फेर कर इन्हें जिलों में परिवर्तित कर दिया गया है । २४ फरवरी, १९६० से इन तीनों जिलों के १२ सबडिवीजनों को लेकर उत्तराखण्ड नामक कमिश्नरी का निर्माण किया गया है ।

पश्चिमी बंगाल :

खण्डों को प्रशासनिक इकाई मानकर तथा एक या एक से अधिक खण्डों का एक सब-डिवीजन बनाकर, सारे प्रशासनिक संगठन का पुनर्गठन किया जा रहा है । सर्किल आदि वर्तमान प्रशासनिक इकाई खण्ड बनते ही समाप्त कर दी जायेंगी ।

पांच सबडिवीजन लेकर कच्छ-बिहार नाम के जिले का गठन किया गया है । विलीन होने के पश्चात् कुछ और क्षेत्र मिलाकर चन्द्रनगर का एक सबडिवीजन बना दिया गया है । २४ परगना जिले को बांटने की स्कीम का क्रियान्वयन धीरे धीरे किया जा रहा है । सबसे पहले आठ नये पुलिस-स्टेशन बनाये जायेंगे जिनके लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं । इन्होंने अभी कार्य करना आरम्भ नहीं किया है क्योंकि अभी थानों की इमारतें बैरकें, रहने के लिये मकान इत्यादि बनने हैं ।

विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती कालकाजी (दिल्ली)

†२१४५. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** कार्य मंत्री ७ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालकाजी में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित बस्ती के नक्शे आदि तैयार करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) विस्थापित व्यक्तियों को अलाटमेंट करने के लिये किस विधि का अनुसरण किया जायेगा ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) सरकार जमीन का उपयोग सम्बन्धी सलाहकार समिति ने अभी हाल ही में बस्ती की विन्यास योजना पर विचार किया था। समिति ने कुछ तब्दीलियों की शर्त के साथ इस योजना को मंजूर कर लिया था और अब इस पर दिल्ली के नगर निगम की विन्यास उप-समिति द्वारा मंजूरी दी जानी है ।

(ख) भूमि-खंडों के अलाटमेंट के किसी तरीके का निश्चय अभी नहीं किया गया ।

राष्ट्रीय इमारत-निर्माण संगठन

†२१४६. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के राष्ट्रीय इमारत-निर्माण संगठन ने केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन से गृह-निर्माण सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन ने राष्ट्रीय इमारत-निर्माण संगठन की इस बारे में क्या सहायता की है ;

(ग) क्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो किन गांवों में और किन राज्यों और क्षेत्रों में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). छः विभिन्न राज्यों में ६ गांवों में प्रदर्शनार्थ मकान बनाने के सिलसिले में, राष्ट्रीय इमारत-निर्माण संगठन द्वारा जलवायु सम्बन्धी जानकारी इकट्ठी करने के लिये सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। जिन गांवों में प्रदर्शनार्थ मकान बनाये जा रहे हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

१. मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में किशनपुर ।

२. राजस्थान के जिला जोधपुर में बोरुंडा ।

†मूल अंग्रेजी में

३. उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में नौरसपुर ।

४. आसाम के गोहाटी जिले में बरकत-अरबारी ।

५. आंध्र के जिला खामेमेथ में मेल्लारम ।

६. पश्चिमी बंगाल के जिला पश्चिम दिनाजपुर में बाहिन ।

पंजाब के फीरोजपुर जिले में बादल नामक गांव में भी ऐसा ही सर्वेक्षण किया गया था ।

काफी-उत्पादकों को ऋण

†२१४७. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ के बजट में रखे गये ३,५०,००० रुपये में से रजिस्टर्ड काफी-उत्पादों को ऋण देने के लिये क्या शर्तें निर्धारित की गयी हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

रजिस्टर्ड काफी उत्पादकों को जिन शर्तों पर ऋण मंजूर किये जाते हैं, उनमें मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(एक) ऋण केवल रजिस्टर्ड काफी-उत्पादकों को दिया जा सकता है, जिनके पास कम जमीन हों, जैसे :—

(१) ५ से २५ एकड़, यदि रोबस्ता काफी की खेती होती हो, अथवा ।

(२) ५ से ५० एकड़, यदि अरेबिका काफी की खेती होती हो ।

(दो) ऋण मुख्यतया छोटे पैमाने पर गहन खेती के लिये तथा खेती के क्षेत्र में विस्तार करने के लिये दिये जाते हैं । बन्धक पर रखी सम्पत्ति पर कोई पुराना भार चुकाने के लिये इस ऋण में से ३० प्रतिशत तक राशि अग्रिम के रूप में दी जा सकती है ।

(तीन) इस ऋण से लाभ उठाने वाली काफी-एस्टेट्स को बोर्ड के पास, ऋण की प्राथमिक प्रतिभूति के तौर पर रहन रखा जायेगा । यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त प्रतिभूति के लिये अतिरिक्त जायदाद भी रहन रखी जा सकती है ।

(चार) यह ऋण निम्नलिखित दरों पर मंजूर किये जाते हैं :—

(१) गहन खेती के लिये :

अरेबिका . . .	५००—१००० रुपये प्रति एकड़
रोबस्ता . . .	३७५—८०० रुपये प्रति एकड़ ।

(२) विस्तार के लिये :

अरेबिका . .	१००० रुपये प्रति एकड़
रोबस्ता . . .	७५० रुपये प्रति एकड़

†मूल अंग्रेजी में

(पांच) मंजूरशुदा राशि कर्जमन्द को इकट्ठी नहीं दे दी जाती बल्कि ३ अथवा ५ वार्षिक किस्तों में दी जाती हैं ।

(छः) ऋण की वसूली भी वार्षिक किस्तों में होती है । गहन खेती के लिये दिये गये ऋण के मामले में यह छठे वर्ष से शुरू होती है और विस्तार-कार्य के लिये दिये गये ऋण के मामले में ७वें वर्ष से शुरू होती है। और पांच वर्षों में पूरी होती है ।

(सात) ब्याज की दर ६½ प्रतिशत प्रतिवर्ष है । देय तिथि पर ऋण की अदायगी न करने पर, ब्याज की अदायगी न होने की अवधि के लिये ब्याज ९ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अदा करना पड़ेगा ।

(आठ) विस्तार कार्य के लिये सहायता उन्हीं एस्टेट्स को मिलेगी, जहां एक एकड़ में ३ हंडरवेट से कम उत्पादन होता हो ।

चेरापूंजी कोयला खान

†२१४८. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री ९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चेरापंजी कोयला खान क्षेत्र में श्रम अपीलीय न्यायधिकरण के पंचाट को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : पंचाट को क्रियान्वित कराने के लिये उठाये जाने वाले कदमों पर सरकार विचार कर रही है ।

दूसरी अखिल भारतीय कृषि श्रमिक जांच

†२१४९. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री पांगरकर :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी अखिल भारतीय कृषि श्रमिक जांच की रिपोर्ट पेश कर दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की उपपत्तियां क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखा जा रहा है ।

पत्रकारिता के डिप्लोमे

†२१५०. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन लोगों के पास पत्रकारिता के डिप्लोमे हैं, उनके रोजगार के लिये कोई सुविधा नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री अरविंद अर्ले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तरी पूर्वी सीमान्त अभिकरण (नेफा) का इतिहास

†२१५१. श्री सुबिमल घोष : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का ऐतिहासिक अनुसंधान विभाग उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण (नेफा) के अधिकृत इतिहास के मसौदे पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक प्रकाशित होने की संभावना है ; और

(ग) इस इतिहास-पुस्तक का लेखक कौन है और इसका लेखन किस सामग्री के आधार पर किया गया है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :(क) से (ग). उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण प्रशासन का अनसंधान विभाग पुराने कागजात, दस्तावेजों और रिकार्डों के आधार पर उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण का एक अधिकृत इतिहास तैयार कर रहा है। उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण प्रशासन का ऐतिहासिक अनुसंधान अधिकारी के निरीक्षण में यह कार्य हो रहा है। मसौदे का लगभग भाग पूरा हो चुका है। अनुमान है कि यह पुस्तक वर्ष १९६१–६२ के दौरान प्रकाशित हो जायेगी।

तम्बाकू

†२१५२. श्री अरविन्द घोषाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात करने के उद्देश्य से भारत में बढ़िया किस्म के तम्बाकू का उत्पादन करने के लिये अभी हाल ही में कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मंडियों में जिस किस्म के तम्बाकू की मांग है, उसका कोई अनुमान लगाया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों को खालस बीजों के वितरण और नई किस्मों के बीजों के प्रचलन के लिये, जिनसे अधिक उत्पादन हो सकता हो, कदम उठाये जाते हैं। पश्चिम जर्मनी के तम्बाकू विशेषज्ञों की सहायता से उन किस्मों के तम्बाकू का उत्पादन करने के बारे में प्रयोग किये जा रहे हैं, जिनकी पश्चिम जर्मनी में मांग है।

(ख) विभिन्न देशों में तम्बाकू की जिन किस्मों की मांग है, भारतीय निर्यातकों को सामान्यतः इसका पता है। इसके साथ साथ विदेशों में स्थित अपने वाणिज्यिक प्रतिनिधियों से हमें समय समय पर रिपोर्टें प्राप्त होती रहती हैं।

दिल्ली में छोटे पैमाने के उद्योग

†२१५३. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से उद्योगों को अन्य स्थानों पर ले जाने के बारे में विन्यास योजना और अलाटमैंट नीति के ब्योरे तैयार कर लिये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ये ब्योरे क्या हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) तथा (ख). दिल्ली निगम ओखला की औद्योगिक बस्ती की विन्यास योजना को तैयार कर रहा है। उसको अन्तिम रूप दिये जाने तक इस योजना का ब्योरा नहीं बताया जा सकता। अभी तक अलाटमैंट नीति का निर्धारण नहीं किया गया। विन्यास योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात, जिससे कि भूमि खंडों की संख्या, क्षेत्र और मूल्य का पता लगेगा, दिल्ली प्रशासन इस नीति का निश्चय करेगा।

विशाखापत्तनम में जहाजों के डीजल इंजन कारखाना

†२१५४. श्री रामी रेड्डी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री तंगामणि :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विशाखापत्तनम में जहाजों के डीजल इंजन का कारखाना स्थापित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) इस प्रस्तावित कारखाने की क्षमता और लागत कितनी है ; और

(ग) इस प्रस्थापना के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). भारत सरकार जहाजों के डीजल इंजन का निर्माण करने की एक प्रस्थापना पर विचार कर रही है। यह योजना अभी प्रारम्भिक दौर में ही है और इस योजना को तीसरी पंच वर्षीय योजना में शामिल करने के बारे में सरकार द्वारा अभी निर्णय किया जाना है। अभी इस परियोजना अथवा इसके स्थान के बारे में कोई निश्चय नहीं किया गया अतः किसी राज्य सरकार द्वारा अनुरोध करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खजूर और मेवों का आयात

†२१५५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६० के पहले आठ महीनों में फारस की खाड़ी और मध्य पूर्व के अन्य देशों से जहाजों द्वारा खजूरों तथा मेवों का कितना आयात किया गया ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री नवीशचन्द्र) : जहाजों द्वारा आयात की जाने वाली खजूरों और मेवों का हिसाब मात्र में नहीं बल्कि मूल्य के रूप में रखा जाता है। जनवरी अगस्त, १९६० में इन देशों से ३३·६७ लाख रुपये की खजूरें तथा सूखे फलों (मेवों) का आयात किया गया।

नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली में संसद सदस्यों के फ्लैट्स का निर्माण

†२१५६. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली में संसद् सदस्यों के फ्लैट बनाने के उद्देश्य से जमीन खाली कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) जमीन कब तक खाली कराली जायेगी और निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): (क) और (ख). नार्थ एवेन्यू में संसद सदस्यों के फ्लैट निर्माण करने के लिये जो स्थान निर्धारित किया गया है, उस पर आजकल आर्मी ट्रांसपोर्ट कम्पनी का कब्जा है। प्रतिरक्षा मंत्रालय इस प्रतिष्ठान के लिये वैकल्पिक जगह का निर्माण कर रहा है और अनुमान है कि जून, १९६२ के अन्त तक यह बन कर तैयार हो जायेगी। इसके पश्चात नार्थ एवेन्यू में स्थान खाली हो जायेगा। प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा यह स्थान छोड़ने के पश्चात् ही केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संसद सदस्यों के फ्लैट निर्माण का कार्य अपने हाथ में लेगा।

जूतों का निर्यात

†२१५७. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूस से आगरे के जूतों की और सप्लाई के आर्डर मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जूतों का संभरण करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). रूस के क्रय संगठन ने यह संकेत दिया है कि वह १९६१ में संभरण के लिये राज्य व्यापार निगम को ३ लाख जोड़े जूतों का आर्डर देंगे। उन पार्टियों के साथ, जिनके नमूने रूसियों द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं और जो रूस को प्रायः जूते भेजा करते हैं, कीमतों, जूतों की किस्म की एक रूपता, निरीक्षण व्यवस्था और माल भेजने के कार्य-क्रम के बारे में बातचीत की जा रही है।

हज यात्रा

†२१५८. श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में हैदराबाद के श्री जहीर यार जंग सपत्नीक मक्का की यात्रा पर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो वे दक्षिण अरेबिया के विभिन्न स्थानों पर कितनी कितनी अवधि के लिये ठहरे थे ;

(ग) क्या यह सच है कि वे अन्य देशों को भी गये थे ;

(घ) क्या यह सच है कि इस व्यक्ति ने इससे पहले भारत से बहुत सा धन चोरी छिपे बाहर भेजने की कोशिश की थी ; और

(ङ) क्या इस बार इस व्यक्ति ने दक्षिण अरेबिया से वापसी पर भारत में चोरी छिपे सोना लाने की कोशिश की थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) जद्दा में स्थित हमारे राजदूतावास से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वह जद्दा, मक्का, और मदीना में कुल मिलाकर डेढ़ महीना ठहरे थे ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी, हां, १९५२ में ।

(ङ) जी नहीं, जहां तक सरकार को ज्ञात है।

बम्बई पत्तन हज समिति

†२१५९. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६० में बम्बई पत्तन हज समिति के सभापति द्वारा बम्बई से जद्दा तक वापसी के लिये एक ओर की यात्रा के लिये टिकट बुक किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बम्बई हज समिति बड़ा मुनाफा कमा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). पत्तन हज समिति, बम्बई ने जद्दा से बम्बई तक हवाई जहाज से एक ओर की यात्रा के लिये ६२ टिकटें बुक कराई थीं ।

(ग) और (घ). पत्तन हज समिति का उद्देश्य यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है। पिछली बार इसने बम्बई में यात्रियों के लिये कपड़े और अनाज की व्यवस्था की थी। इस प्रबन्ध के खर्चे को पूरा करने के लिये लोगों से पैसा लिया गया था जिससे ११,९७६ रु० का लाभ हुआ था। यह लाभ कुल विनियोजन का ४ प्रतिशत है। यह धन समिति की हज निधि में डाल दिया गया था, जिसका उपयोग यात्रियों की भलाई के लिये होता है।

हेरो भंगा योजना

†२१६०. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एस० केनिंग, २४ परगना में हेरो भंगा शरणार्थी पुनर्वास योजना के भाग २ को मंजूरी दे दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब शुरु होगा ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० भास्कर) : (क) और (ख). जी नहीं। जब राज्य सरकार से यह योजना अन्तिम स्वरूप में प्राप्त होगी, तब उस पर विचार किया जायेगा।

रेडियो कार्यक्रमों का रिले

†२१६१. श्री बी० चं० शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने उन लोगों के लाभ के लिये, जिनके पास रेडियो नहीं हैं, खबरों, गीतों आदि का रिले की किसी योजना की प्रस्थापना भेजी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस प्रस्थापना पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (घ). जी नहीं । पंजाब सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं भेजी है ।

पंजाब के पहाड़ी जिलों के लिये विकास कार्यक्रम

†२१६२. श्री वी० बं० शर्मा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष १९५९–६० के दौरान पंजाब के पहाड़ी जिलों के लिये मंजूर किये गये विशेष विकास कार्यक्रम के अधीन किये गये कार्यों और उन पर किये गये व्यय का ब्यौरा प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस बारे में एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) वर्ष १९६०–६१ के लिये बनाये गये कार्यक्रम का क्या स्वरूप है ?

†योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) और (ख). पंजाब के पहाड़ी जिलों के लिये विशेष विकास कार्यक्रम के लिये पृथक रूप से आवंटन केवल १९६०–६१ में किया गया था ।

(ख) राज्य सरकार से जानकारी प्रतीक्षित है ।

बरेली में खेलकूद के सामान का उद्योग

†२१६३. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरेली के खेल कूद के सामान उद्योग को विदेशी और भारतीय बाजारों की कमी के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

काशनोरी गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा कब्जा

†२१६४. श्री रघुनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र पाकिस्तानियों ने ३ नवम्बर, १९६० को युद्ध विराम रेखा की भारतीय और पूंछ क्षेत्र में एक वीरान गांव पर कब्जा कर लिया ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) पाकिस्तानी सशस्त्र व्यक्तियों ने पूंछ क्षेत्र में युद्ध विराम रेखा की हमारी ओर किसी गांव पर कब्जा नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चेकोस्लावाकिया के साथ व्यापार करार

†२१६५. **श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३ नवम्बर, १९६० को प्राग में चेकोस्लोवाकिया और भारत के बीच हस्ताक्षर हुये त्रि-वर्षीय व्यापार तथा भुगतान करार की क्या शर्तें हैं ?**

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): व्यापार तथा भुगतान करार की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

(क) भारत और चेकोस्लोवाक सामाजिक गणराज्य के बीच सामान का आदान प्रदान संतुलित आधार पर होगा ।

(ख) दोनों देश एक दूसरे को सीमा-शुल्क के बारे में अत्यधिक हितकारी राष्ट्रीय व्यवहार देने को सहमत हो गये हैं, अगरचे वे रियायतें किसी अन्य करार के विरूद्ध न हों जो दोनों सरकरों में से किसी ने भी पहले किसी अन्य देश के साथ किया हो ।

(ग) दोनों देशों के बीच सब भुगतान गैर-परिवर्तनीय भारतीय रुपये में किया जायेगा ।

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद्

†२१६६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ८ नवम्बर, १९६० को इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद के अध्यक्ष द्वारा दिये गये वक्तव्य का पता है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंजीनियरी सामान के भारतीय निर्यातकों के समक्ष समस्याओं पर विचार करने के लिये सरकार को एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करनी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) और (ख). जी, हां । पिछले कुछ समय से इस मामले पर हम ध्यान दे रहे हैं और अगस्त, १९६० में हुई निर्यात संवर्द्धन मंत्रणा परिषद की पिछली बैठक में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि निर्यात संबंधी समस्याओं पर उच्च स्तर पर विचार किया जायेगा । इस बारे में मंत्रिमंडलीय सचिव के सभापतित्व में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों की हाल ही में एक बैठक हुई थी ।

एमरी फिलेट[1]

†२१६७. **श्री कुन्हन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पी० वी० इमल्शन' के आयात के लिये, जो 'एमरी फिलेट' बनाने के लिये आवश्यक कच्चा सामान है, लाइसेंस देने के बारे में आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने लाइसेंस दिये गये और कब दिये गये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Emeri fillet

(ग) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९६० में बम्बई में एक कारखाने में 'एमरी फिलेट' का उत्पादन बन्द हो गया और श्रमिक बेकार हो गये क्योंकि आयात लाइसेंस समय पर नहीं दिये गये थे ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख) वर्ष १९६० में 'एमरी फिलेट' बनाने के लिय 'पी० वी० इमल्शन' के आयात के लिये लाइसेंस देने के लिये केवल मेसर्स ग्रीवस ड्रोन्सफील्ड प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई से दो आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे और उनको एक २८–१०–१९६० और दूसरा ३–१२–१९६० को लाइसेंस दे दिये गये ।

(ग) जी, हां । यद्यपि इसने मार्च, १९६० में आवेदन पत्र दिया था, वे सितम्बर, १९६० तक आवश्यकता का प्रमाण पत्र पेश नहीं कर सके क्योंकि केवल उसी के आधार पर लाइसेंस दिया जा सकता था ।

बम्बई के एक उद्योगपति के विरुद्ध आरोप

†२१६८. { श्री डी० ए० मेहदी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने २५ सितम्बर, १९६० को बम्बई के 'ब्लिट्ज' समाचार पत्र में बम्बई के एक उद्योगपित, श्री कृष्ण राज ठाकरसे के विरूद्ध लगाये गये गम्भीर आरोप देखे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन आरोपों में कुछ सचाई है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) यह समझा जाता है कि श्री ठाकरसे ने बम्बई में उच्च न्यायालय में एक मानहानि का दावा दायर किया है और अब यह मामला न्यायाधीन है ।

एयर मार्शल मुखर्जी की मृत्यु

†२१६९. श्री आसर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर मार्शल मुखर्जी की मृत्यु का समाचार भारत में लगभग बारह घंटे देर से प्राप्त हुआ ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) समाचार है कि एयर मार्शल मुखर्जी की मत्यु ८ नवम्बर, १९६० को भारतीय समय के अनुसार सायं साढ़े सात बजे हुई । अगले कुछ घंटों में एक अस्पताल में उन्हें जीवित करने का प्रयत्न किया गया । जब ये प्रयत्न असफल रहे तो दूतावास ने उनकी मृत्यु के ४ घंटे बाद भारतीय समय के अनुसार रात्रि ११.५० बजे एक कोड तार दिल्ली भेजा । तार यहां पर अगली सुबह भारतीय समय के अनुसार ४.१५ बजे प्राप्त हुआ । फिर इसके कोड का पता लगाया गया और इसकी बातों को सुबह बता दिया गया । अतः उसमें कोई अनूचित विलम्ब नहीं हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिस्तौलों के आयात और खुदरा विक्रय मूल्य

†२१७०. श्री झूलन सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिस्तौलों और अन्य आग्नेय अस्त्रों के आयात और खुदरा विक्रय मूल्य में अधिक अन्तर के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) विशेष किस्मों के पिस्तौलों के आयात मूल्य क्या हैं और उनके खुदरा विक्रय मूल्य क्या हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) बाजार में अस्त्रों और शस्त्रों के ऊंचे मूल्य के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तिब्बत के साथ व्यापार

२१७१. श्री पद्म देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बत से इस वर्ष कितनी ऊन, पशम, भेंड़ें, खालें, नमदे और गलीचे रामपुर (हिमाचल प्रदेश) में बिकने के लिये लाये गये ;

(ख) तिब्बत के लोगों का भारतीय व्यापारियों के साथ कैसा बर्ताव रहा ; और

(ग) सरकार ने उन लोगों को फिर से बसाने के लिये क्या प्रबन्ध किया है ? जिनका निर्वाह तिब्बत के साथ व्यापार से होता था ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) व्यापार-संबंधी जो आंकड़े सरकार के पास सुलभ हैं, उन के अनुसार इन वस्तुओं का बहुत थोड़ा आयात हुआ है ।

(ख) चीनी अधिकारीगण तिब्बती लोगों को भारतीय व्यापारियों के साथ किसी प्रकार का सम्पर्क रखने के लिए प्रोत्साहन नहीं देते और इसलिए तिब्बती लोग भारतीयों से नहीं मिलते ।

(ग) हिमाचल प्रदेश के प्रशासन ने प्रभावित व्यापारियों के पुनर्वास के लिए योजनाएं बना ली हैं और उन पर अमल किया जा रहा है ।

कताई मिलों के लिये लाइसेंस

†२१७२. श्री सुब्बया अम्बलम् : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५९ और १९६० में अब तक कताई मिलों को लाइसेंस देने के बारे में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी मद्रास सरकार ने सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन में से कितनों को लाइसेंस दिये गये हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). अधिनियम के अधीन लाइसेंस के लिये सभी आवेदन-पत्रों पर सदैव सम्बन्धित राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किये जाते हैं। इन समेत किसी भी कताई मिल को दिये गये लाइसेंस की सूची हर महीने उद्योग-व्यापार पत्रिका में प्रकाशित की जाती है । जिस में उपक्रम का स्थान भी बताया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा विज्ञापन

†२१७३. **श्री संगण्णा :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों को कोई विज्ञापन दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उन समाचार पत्रों के क्या नाम हैं; और

(ग) इस बारे में किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नस्कर)** : (क) जी, हां ।

(ख) (१) महाकौशल, रायपुर

(२) दण्डकारण्य समाचार, जगदलपुर

(३) दण्डकारण्य टाइम्स, जेपुर

(४) प्रजातंत्र, कटक

(ग) सामान्यतः वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है ।

बिहार में अल्प आय वर्ग आवास योजना

†२१७४. **श्री भोजनाथ विश्वास :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो पंच वर्षीय योजना-कालों में बिहार के लिये अल्प आर्य-वर्ग आवास योजना के अधीन कितनी धन राशि आवंटित की गयी है ; और

(ख) अब तक वास्तव में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ।

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) बिहार सरकार को अल्प आय वर्ग आवास योजना की क्रियान्विति के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में १० लाख रुपये और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २७०.२३ लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी थी।

(ख) राज्य सरकार ने बताया है कि प्रथम योजना में उनका १० लाख रुपये का व्यय हुआ और द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में अभी तक उनका व्यय १७३ लाख रुपये का हुआ है ।

न्यूनतम मजूरी

†२१७५. **श्री एन्थनी पिल्लै** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से बड़े पत्तन अधिकारियों द्वारा काम पर लगाये गये अकुशल श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन मजूरी निर्धारित की गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या चालू बढ़े हुए निर्वाह-स्तर को ध्यान में रखते हुए उन में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) जी, हां ।

(ख) इस समय एक वर्गीकरण और श्रेणीकरण समिति बड़े पत्तनों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-स्तरों में परिवर्तन करने के प्रश्न की जांच कर रही है । समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन अधिसूचित मजूरी की दरों में परिवर्तन करने का प्रश्न लिया जायेगा ।

जहरीली कीटनाशक दवाइयां बनाने वाले कारखाने

†२१७६. **श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जहरीली कीटनाशक दवाइयां बनाने वाले कारखानों में घातक दुर्घटनाओं की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कारखानों में जोखिम को कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आविद अली) : (क) मद्रास राज्य की सरकार ने बताया है कि वहां दो घातक दुर्घटनायें हुयीं एक १९५९ में और दूसरी १९६० में । किसी अन्य सरकार ने ऐसी किसी दुर्घटना के बारे में नहीं बताया है ।

(ख) कारखानों में जहरीली कीटनाशक दवाइयां के बनाने और रखने के बारे में जोखिम पर नियंत्रण रखने के लिये कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा ८७ के अधीन आदर्श नियम बनाये गये थे और उन्हें अपनाने के लिये राज्य सरकारों को भेज दिया गया था । मद्रास की राज्य सरकारें समेत सम्बन्धित राज्य सरकारें आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं ।

चाय सम्बन्धी कार्यकारी दल

†२१७७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये कार्यकारी दल का प्रतिवेदन निकट भविष्य में प्रकाशित किया जायेगा ; और

(ख) कार्यकारी दल की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) कार्यकारी दल चाय के उत्पादन के लिये योजना बनाने और तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिये बनाया गया था । कार्यकारी दल के प्रतिवेदन को प्रकाशित करने का विचार नहीं है ।

(ख) यह प्रतिवेदन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में और योजना आयोग में विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लिमिटेड

†२१७८. डा० सुशीला नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक विशेषज्ञ समिति ने १० जनवरी, १९५७ के अपने प्रतिवेदन में हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड की क्षमता १० फरमेन्टर से तत्कालीन पेनिसिलीन टेक्नोलोजी के स्तर पर ३०० लाख मेगा यूनिट बताई थी;

(ख) क्या यह सच है कि रूसी विशेषज्ञों ने २६ मई, १९५६ के अपने प्रतिवेदन, खंड १, में संयन्त्र की क्षमता १२ फरमेन्टर के साथ ४०० लाख मेगा यूनिट बताई ह ;

(ग) क्या यह भी सच है कि चेकोस्लोवैक पेनिसिलिन संयंत्र के मैनेजिंग डायरेक्टर, डा० हादिनर ने, वर्ष १९५९ में १६ फरमेन्टर के साथ ६०० लाख मेगा निट प्रतिवर्ष की क्षमता दी है ; और

(घ) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स ने वर्ष १९५८–५९, १९५९ और १९६० में अब तक कितने उत्पादन लक्ष्य की घोषणा की और इन में से प्रत्येक वर्ष में वास्तव में कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया, कितने फरमेन्टर स्थापित किये गये और आयात किये गये क्रिस्टल्स और कच्ची पेनिसिलीन से कितनी पेनसिलीन तैयार की गयी और क्या हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स के वार्षिक प्रतिवेदन में दिये गये लक्ष्य विशेषज्ञों द्वारा दिये गये लक्ष्यों से भिन्न हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९०]।

प्रागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड

†२१७९. श्री रामी रेड्डी: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में प्रागा टूल्स कारपोरेशन की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है ;

(ख) अतिरिक्त कितनी क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ग) विस्तार कार्यक्रम कब आरम्भ किया जायेगा और यह कब पूरा होगा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग). प्रागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड दो प्रावस्थाओं में अपने कार्य के विस्तार करने में लगे हुए हैं। प्रथम प्रावस्था इस की वर्तमान क्षमता बढ़ाने, अतिरिक्त संयंत्र और मशीन लगाने, मशीनी औजार निर्माण से शुद्ध कार्य को पृथक करने और कारखाने का अच्छे ढंग से नक्शा बनाने के लिये है । इस प्रावस्था पर कार्य किया जा रहा है ।

विस्तार की दूसरी प्रावस्था में विदेशी प्रविधिक सहयोग से नयी चीजों का निर्माण जैसे लेथ चक्स, ड्रिल, चक्स, टूल और कटर ग्राइन्डर्स शामिल हैं । इस

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य के लिये भारत सरकार ने प्रागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड को निम्नलिखित तीन सार्थों के साथ प्रविधिक सहयोग करने के लिये स्वीकृत दे दी है :

(१) मेसर्स एफ़ प्राट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, ब्रिटेन ।

(२) मेसर्ज़ कीरने एंड टेकर-सी० वी० ए० लिमिटेड, ब्रिटेन ।

(३) मेसर्ज ए० ए० जोन्स एण्ड शिपमेन लिमिटेड, ब्रिटेन ।

बड़े पैमाने के उद्योग

†२१८०. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली शहर में भीड़ भाड़ कम करने और भूमि पर दबाव कम करने के विचार से राजधानी के ५० मील व्यास के भीतर अतिरिक्त बड़े पैमाने के औद्योगिक यूनिटों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय विचार कर रहा है ।

तूतीकोरिन क्षेत्र में नमक

†२१८१. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तूतीकोरिन क्षेत्र में कड़ाहों में रखा बड़ी मात्रा में नमक बरबाद हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना नमक बरबाद हुआ; और

(ग) उस के क्या कारण हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) २ ½ लाख मन

(ग) इस क्षेत्र में २१ अक्तूबर, से १५ नवम्बर, १९६० तक लगभग २५ इंच भारी वर्षा होने के कारण ।

रायल इंडिया, पाकिस्तान और सीलोन सोसायटी

†२१८२. श्री कालिका सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरानी इण्डिया सोसायटी को रायल इण्डिया, पाकिस्तान और सीलोन सोसायटी नाम दिया गया है ;

(ख) क्या यह रायल सोसायटी रायल कामनवेल्थ सोसायटी से भिन्न है ; और

(ग) क्या इस सोसायटी से 'रायल' शब्द निकालने का सुझाव देने का भारत का प्रस्ताव है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां । यह सोसायटी वर्ष १९१० में 'इण्डिया सोसायटी' के नाम से बनायी गयी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

बाद में वर्ष १९४४ में रायल की उपाधि दी गयी और फिर इसका नाम 'रायल इंडिया सोसायटी' हो गया । वर्ष १९५० में इसका नाम बदल कर 'रायल इण्डिया, पाकिस्तान और सोलोन सोसायटी रखा गया' ।

(ख) जी, हां, रायल कामनवेल्थ सोसायटी भिन्न संस्था है ।

(ग) जी, नहीं । 'रायल' शब्द ब्रिटिश साम्राज्य के एक आयोग द्वारा दिया गया है जो सहायता बतलाता है और उसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है । यह उपाधि अन्य कई निकायों को भी प्रदान की गयी है जैसे रायल सेन्ट्रल एशियाई इन्स्टिट्यूट, रायल ज्योग्राफिकल सोसायटी, रायल सोसायटी आफ़ आर्टस् आदि ।

ग्वालियर रेयन सिल्क मेन्यूफैक्चरिंग एण्ड वीविंग कम्पनी, केरल

†२१८३. श्री कालिका सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ग्वालियर रेयन सिल्क मेन्युफैक्चरिंग एण्ड वीविंग कम्पनी ने एक ब्रिटिश फर्म को एक भाप-उत्पादक संयंत्र (स्टीम जेनरेटिग प्लांट) लगाने के लिये आदेश दिये हैं ;

(ख) क्या विशेष रूप से बनाये गये संयंत्र में एक बिडरम बायलर यूनिट होगा जो कोयला, तेल, कोयला और बांस के बुरादे से जलाया जा सकेगा अथवा तेल और बांस के बुरादे द्वारा; और

(ग) क्या भारत में बांस के बुरादे को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की संभाव्यता का परीक्षण कर लिया गया है और यदि हां, तो कैसे और किस हद तक परीक्षण किया गया ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी, हां । फर्म ने इसकी परियोजना के लिये मशीनों का संभरण करने के लिये एक ब्रिटिश फर्म को आर्डर दिये हैं परन्तु इसका डिजाइन और संबंधित व्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) कुछ गैर सरकारी पक्ष बांस के बुरादे को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की संभाव्यता की जांच कर रहे हैं और इस के परिणामों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

प्रैस संवाददाता

†२१८४. श्री क० उ० परमार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा कितने (१) भारतीय और (२) विदेशी प्रैस संवाददाताओं को मान्यता दी गयी है ;

(ख) उन में से कितनों को सरकारी आवास स्थान प्राप्त हैं और कितनों को प्रैस एसोसियेशन की ओर से आवास स्थान प्राप्त हैं; और

(ग) उस संबंध में सरकारी नीति क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) भारतीय समाचार पत्रों / समाचार एजेन्सियों के १०७ संवाददाताओं को और विदेशी समाचार पत्रों / समाचार एजेंसियों/ प्रसारण संगठनों के ७३ प्रतिनिधी संवाद दाताओं को मान्यता दी गयी है ।

(ख) एस्टेट आफिस की ओर से यथा संभव उन मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को आवास स्थान दिये जाते हैं जिन्हें आवास स्थान की आवश्यकता है और जिन के आवेदन पत्र की प्रैस एसोशियेशन द्वारा सिफ़ारिश की गयी है या प्रैस सूचना ब्यूरो द्वारा भेजी गयी है । अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ५७ मान्यता प्राप्त प्रैस संवाददाताओं को सरकारी आवास स्थान दिये जा चुके हैं और उन में से ३८ व्यक्तियों को स्थान प्रैस ऐसोसियेशन की ओर से दिये गये हैं।

(ग) निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का एस्टेट आफिस इस सम्बन्ध में आवास स्थान की उपलब्धि तथा अन्य बातों के साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि क्या वह संवाददाता अन्य प्रकार से अपने लिये मकान का इन्तजाम कर सकता है या नहीं ।

सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया सम्बन्धी भत्ता

†२१८२. श्री रामगरीब : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी मकान नहीं लेते हैं, मकान किराया भत्ता पाने के अधिकारी ह ते हैं और यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई शर्तें भी हैं;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी आवास स्थानों को 'सरेंडर' करने और मकान किराया भत्ते के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी ; और

(घ) क्या ऐसे मामलों में मकान किराया भत्ता स्वयमेव दे दिया जाता है याकि इस के लिये सम्बंधित कर्मचारी को आवेदन करना पड़ता है, और यदि हां, तो किस का निर्णय अन्तिम माना जाता है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) समय समय पर सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुसार ही मकान किराया भत्ता दिया जाता है । सामान्य पूल आवास स्थान में से प्राप्त स्थान की वापिसी पर ये भत्ते केवल दिल्ली/नई दिल्ली में ही दिये जाते हैं, परन्तु शर्त यह है कि उस कर्मचारी ने उस स्थान को कम से कम ६ मास तक अपने पास अवश्य रखा हो । यदि ६ मास की अवधि से पहले ही स्थान वापिस कर लिया जाये तो उस स्थिति में स्थान की आवंटन तिथि से ६ मास तक की तिथि तक के लिये मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता ।

(ख) और (ग). सभा-पटल पर अपेक्षित आदेशों की एक प्रति रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९१]

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र पर एस्टेट आफिस डायरेक्टर द्वारा "स्थान नहीं है" प्रमाण पत्र जारी करने पर प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा मकान किराया भत्ता दिया जाता है ।

सूचना और प्रसारण मंत्री को यात्राभत्ता

†२१८६. श्री क० उ० परमार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्री को १९५७, १९५८, १९५९, और १९६० में अभी तक यात्रा भत्ते के रूप में कितनी राशि दी गयी है ; और

(ख) इन वर्षों में वे कहां कहां गये थे ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९२]

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का आगमन

२१८७ { श्री पद्म देव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६० से १ दिसम्बर, १९६० तक पूर्वी पाकिस्तान से कितने हिन्दू भारत में बसने के लिये आये ;

(ख) हिन्दुओं के इस आगमन को रोकने के लिये भारत सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) इसी अवधि में कितने हिन्दू पाकिस्तान को लौट गये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ८७९१ ।

(ख) इस के दो पहलू हैं: पहला तो यह है कि प्रवास प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स) जारी न किए जायें, सिवाय इस के कि जब कोई मजबूत और सहानुभूतिपूर्ण (कम्पैशनेट) आधार मौजूद हों । यही अब किया जा रहा है । अन्यथा, कहीं ज्यादा लोग आने लगेंगे । दूसरा यह कि पाकिस्तान सरकार को इस के लिए राजी किया जाय कि वह ऐसी हालतें पैदा करे जिन में लोगों को भारत आने की इच्छा ही न हो । हम पाकिस्तान सरकार का ध्यान बराबर इन कठिनाइयों की ओर दिला रहे हैं जिन्हें पूर्व पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक जाति के लोक अनुभव करते हैं, विशेषकर स्थानीय अधिकारियों की ऐसी किसी भी कार्यवाई की ओर उनका ध्यान दिलाया जाता है जिस से इस विषय पर भारत पाकिस्तान करारों का उल्लंघन होता है ।

(ग) कोई नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक एकक

†२१८८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या हाल ही में कई प्रमुख और माध्यम औद्योगिक कारखाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) १९६० में कितने और किस किस उद्योग के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ग) राज्यवार कितने कितने लाइसेंस दिये गये हैं ;

(घ) १९६१ में कितने और किस किस उद्योग के लिये लाइसेंस दिये जायेंगे ; और

(ङ) क्या ये लाइसेंस देते समय सरकार द्वारा घोषित उस नीति को ध्यान में रखा गया है कि धन केवल कुछ एक व्यक्तियों के हाथों में ही इकट्ठा न हो जाय।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). जनवरी से नवम्बर, १९६० तक नये औद्योगिक कारखानों की स्थापना के लिये (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन ५८७ लाइसेंस दिये गये हैं। इन लाइसेंसों के सम्बन्ध में ब्यौरे जिनमें यूनिटों के नाम, स्थान, वहां निर्मित की जाने वाली वस्तुओं तथा निर्माण क्षमता के बारे में जानकारी निहित है, उद्योग तथा व्यापार पत्रिका में समय समय पर प्रकाशित किये जाते हैं ;

(घ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन ये लाइसेंस भेजे गये आवेदन पत्रों का पूर्व परीक्षण करने के बाद ही दिय जाते हैं। इस लिये इसी समय यह बताना संभव नहीं है कि १९६१ में कितने और किस किस उद्योग के लिये लाइसेंस दिये जायेंगे ।

(ङ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन ये लाइसेंस १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प में निर्धारित नीति के अनुसार ही दिये जाते हैं, कई नय उद्योगकर्त्ताओं को निरन्तर प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

मूंगफली तेल का निर्यात

२१८९. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः महीनों में मूंगफली के तेल के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार इसका निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) तथा (ख). देश में ऊंचे भाव रहने तथा विदेशों में कड़ी प्रतिस्पर्धा होन के कारण मूंगफली के तेल के निर्यात में कमी हुई है ।

(ग) मूंगफली के तेल के प्रति टन निर्यात के साथ ३ $^{1}/_{2}$ टन मशीन से पेरी गयी मूंगफली की खली का निर्यात भी जोड़ दिया गया था । मूंगफली की खली के निर्यात से अच्छा लाभ

---

†मूल अंग्रेजी में

होता है और इसलिये निर्माताओं को अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर मूंगफली का तेल बेचने में जो घाटा रहता है वह पूरा हो जाता है । चूंकि चालू वर्ष में देश की और संसार की कीमतों के बीच अन्तर और बढ़ गया है इस कारण और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सारे निर्यातकों से इस आशय के टण्डर मांगें गये थे कि वे मूंगफली के तेल के प्रति टन निर्यात पर खोपड़ा और ताड़ के तेल का कम से कम कितना आपात करेंगे । सब से कम टेंडरों पर मूंगफली के तेल का निर्यात करन की मंजूरी दे दी गई है तथा प्रति टन मूंगफली के तेल के साथ $^{1}/_{4}$ टन खोपड़ा भी अतिरिक्त रूप में सम्बद्ध रहेगा। हाल ही में पुराने आयातकों के लिये यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे १·२५ हंडरवेट जावित्री, २·५ हंडरवट तेजपात, दालचीनी और लौंग तथा ७·५ हंडरवेट सुपारी के आयात के बदले १ टन मूंगफली का तेल या ४ टन टेपिओका के आटे का निर्यात करेंगे । मूंगफली के तेल का निर्यात बढ़ाने के लिये अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

नई दिल्ली में हाल ही में बनाई गई नई दुकानों का आवंटन

†२१९०. **श्री बालकृष्णन्** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर बनायी गयी नयी दूकानों के पूरे के पूरे ब्लाक अभी तक खाली पड़ हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन आवेदन-कर्त्ताओं का जो कि प्रतीक्षा सूची में हैं, इन दूकानों के आवंटन में क्यों देर की जा रही है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) हाल ही में नयी दिल्ली की छः सरकारी बतिस्यों में दूकानें बनायी गयी हैं । किदवई नगर का, मार्केट जो कि नवम्बर, १९५९ में पूरा हो गया था, ६ अप्रैल, १९६० को नई दिल्ली नगरपालिका समिति द्वारा ले लिया गया था और सिवाय ४० दुकानों के शष सभी दूकानों को आवंटित कर दिया गया है । शेष बाजार भी, जो कि अभी हाल ही में पूरे हुए हैं, शीघ्र ही स्थानीय निकायों के हवाले कर दिये जायेंगे ।

(ख) किदवई नगर के मार्केट में ४० दूकानें खाली पड़ी हैं क्योंकि रायसीना रोड के ३२ दूकानदारों ने न्यायालय से इंजंक्शन (वाद कालीन व्यादेश) ले लिये हैं और पुराने किले के ६ दूकानदारों द्वारा आवंटन से इन्कार कर दिया है । शेष मार्केटों की दूकानों का आवंटन कब्जा प्राप्त करने पर स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा ।

उर्वरक का उत्पादन

†२१९१. **श्री सोमानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में उर्वरक कारखानों की कितनी निर्धारित क्षमता होगी और कितना प्राक्कलित उत्पादन होगा ;

(ख) उन कारखानों को कितनी क्षमता के लिये लाइसेंस दिये गये हैं और कितने समय तक पूरा उत्पादन होने लग पड़ेगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में कोई योजना है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९३]

(ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यों में नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्ज कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में लाइसेंसों के लिये कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। लगभग सभी सुपर फास्फट कारखाने गैर सरकारी क्षेत्र में ही हैं।

पूल गारंटी निधि

†२१९२. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है कि बागान श्रमिक गृह-निर्माण योजना के अधीन एक पूल गारन्टी निधि स्थापित की जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के क्या क्या उद्देश्य हैं ; और

(ग) इस निधि का उपयोग कैसे किया जायेगा ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी, हां।

(ख) यह निधि इसलिय रखी जा रही है ताकि इस योजना के अधीन बागान को ऋण देने के लिय उन द्वारा निर्धारित सुरक्षा सम्बन्धी उपबन्धों को ढीला करने के परिणाम स्वरूप वापिस न मिल सकने वाले ऋणों की राशि की क्षति पूर्ति की जा सके।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९४]

पुनर्वास मंत्रालय में छंटनी

†२१९३. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास मंत्रालय के २९ फरवरी, १९६० से छंटनी में निकाल दिये गये कर्मचारियों को २९ फरवरी, १९६० के बाद का भी देय अवसान अवकाश दे दिया गया था ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को अवसान आवकाश अवधि के सम्बन्ध में भी वेतन दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). छंटनी में आने वाले लगभग सभी कर्मचारियों को उनकी देय बकाया राशियां अदा कर दी गयी हैं, केवल उन्हीं को अदा नहीं की गयी हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी नहीं आती है या जानकारी के बारे में कुछ गड़बड़ है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

कारों का निर्माण

†२१९४. **श्री तंगामणि** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारों के उत्पादन को १९५९ के औसत उत्पादन के अनुसार ही रखा गया है ;

(ख) १९६० के पहले नौ महीनों में प्रत्येक वर्ग जैसे कि एम्बेसेडर, फियट, स्टैंडर्ड १० और जीपों का कितना कितना निर्माण किया गया था ;

(ग) तीनों कम्पनियों में से प्रत्येक का कितना कितना अंश है ; और

(घ) बढ़ती हुई मांगों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां। १९५९ के स्तर के अनुसार उत्पादन किया गया है।

(ख) और (ग). हिन्दुस्तान एम्बेसडर, फियट '११००' और स्टैण्डर्ड '१०' नामक कारें तीन विभिन्न निर्माताओं द्वारा तैयार की जाती हैं और जीपों के लिये एक अलग कम्पनी है। प्रथम नौ महीनों में किये गये उत्पादन के सम्बन्ध में आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

हिन्दुस्तान एम्बेसडर . . .	६७४४
फियट '११००' . . .	४८०८
स्टैण्डर्ड '१०' . . .	२४६४
जीपें . . .	३८६१

(घ) जी, हां।

मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना

†२१९५. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना की कार्यान्विति के लिये १९६०–६१ के लिये मद्रास सरकार को राशि दे दी गयी है ; और

(ख) इस योजना के अधीन कितनी प्राप्ति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) चालू वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकार को ३४ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। राज्य सरकार ये सम्पूर्ण राशि ३१–३–६१ से पहले जीवन बीमा निगम से प्राप्त कर लेना चाहती है।

(ख) मद्रास सरकार ने १९५८–५९ में योजना के प्रारम्भ काल से ३० नवम्बर, १९६० तक ४१९ मकानों के निर्माण के लिये ६०·९७ लाख रुपयों का ऋण मंजूर किया है। इनमें से ३६ मकान पूर्णतया तैयार हो गये हैं और २०१ मकान तैयार हो रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

निजामुद्दीन, दिल्ली में खाली प्लाट

†२१९६. **श्री रामजी वर्मा** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन निजामुद्दीन की पूर्वी तथा पश्चिमी बस्तियों में कितने प्लाट अभी तक खाली पड़े हैं और उन्हें पुनः बेचने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : पश्चिमी निजामुद्दीन में ४५ प्लाट और पूर्वी निजामुद्दीन में ५ प्लाट ऐसे हैं जिन पर अभी तक मकान नहीं बने हैं। पुनर्वास मंत्रालय के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वह उन प्लाटों का एलाटमेंट कैन्सल कर दे और उन्हें फिर से बेच दे जहां निर्धारित अवधि के अन्दर मकान नहीं बनाया गया है। विस्थापित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय की सामान्य नीति यही है कि उन्हें निर्धारित अवधि में मकान बनाने के लिये बाध्य न किया जाये।

प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में अध्ययन

†२१९७. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी व्यवस्था की गयी है जिससे :—

(१) प्रादेशिक भेदभाव की समस्या के संबंध में निरन्तर अध्ययन किया जा सके ;

(२) क्षेत्रीय विकास के लिये उपयुक्त देशनांक तैयार किये जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). प्रादेशिक विकास की समस्याओं पर नियमित रूप से विचार करने के लिये योजना आयोग में एक प्रादेशिक विकास संबंधी कार्य दल स्थापित किया गया है, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारतीय सांख्यिकीय संस्था, और राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् इस में भाग ले रहे हैं।

सिक्किम, भूटान और नेपाल के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

†२१९८. **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि सरकार ने नये वेतन क्रमों के निर्धारण के लिये वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, तो भी सिक्किम, भूटान और नेपाल में काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को अभी तक नये वेतन नहीं दिये गये हैं और न ही उन्हें बकाया राशियां अदा की गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये राशियां कब अदा की जायेंगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि केन्द्रीय असैनिक सेवा (वेतन का पुनरीक्षण) नियम, १९६० को सिक्किम, नेपाल और भूटान में काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उन भारतीय कर्मचारियों पर लागू किया जाये या नहीं, जिन्हें प्रतिकर

---

†मूल अंग्रेजी में

भत्ता तो प्राप्त हो रहा है, परन्तु महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। उन वेतन क्रमों को पुनर्निर्धारित करने के लिये और बकाया राशियों की अदायगी के लिये आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं।

कर्मचारियों की छंटनी

†२१९९. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास मंत्रालय की समाप्ति के कारण या उसकी समाप्ति की अस्थायी कार्यवाही के रूप में दिल्ली, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में अभी तक कितने कर्मचारी निकाले जा चुके हैं और उनमें से कितनों को अभी तक रोजगार दिया जा चुका है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : पुनर्वास मंत्रालय के २८१ कर्मचारियों को छंटनी में निकाल दिया गया था और उनमें से २७६ कर्मचारियों को दिल्ली और कलकत्ते के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में पुनः नियुक्त किया जा चुका है। केवल ५ व्यक्तियों को जिनमें एक व्यक्ति अधिक वृद्ध हो गया था, दूसरे स्थानों पर नौकरी न दी जा सकी। फिर भी उनके आवेदन अन्य विभागों में नौकरी के लिये भेजे गये थे। कुछ ज्ञात नहीं है कि उनमें से कितनों को और कहां कहां नौकरी मिल गयी है।

पुनर्वास मंत्रालय का कोई भी शाखा सचिवालय त्रिपुरा में नहीं है।

छपाई की स्याही

†२२००. **श्री याज्ञिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में देश में छपाई की स्याहियों का निर्माण बहुत बढ़ गया है, और उनका आयात बहुत घट गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अखिल भारतीय मुद्रण स्याही निर्माता संस्था ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि स्वदेशी स्याही निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिये मुद्रण स्याही के आयात पर पूर्णरूपेण प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ; और

(ग) क्या सरकार ने देश में स्याही के निर्माण के लिये आवश्यक कच्ची सामग्री पर आयात प्रशुल्क को कम करने का निर्णय कर लिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) अखल भारतीय मुद्रण स्याही निर्माता संस्था ने निवेदन किया है कि मुद्रण स्याही के आयात पर निर्बंधन लगा दिये जायें। धीरे धीरे उनके आयात में कमी की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

नेपा मिल्स

†२२०१. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंच वर्षीय योजना में नेपा मिल्स के विस्तार के संबंध में कोई कार्यक्रम है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस फैक्टरी में हाल ही में १०० टन प्रति दिन की निर्धारित उत्पादन क्षमता से अधिक का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है ; और

(घ) उस स्थिति में उत्पादन के बारे में कितने विस्तार की अनुमति दी जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). नेपा मिल्स की उत्पादन क्षमता को ३०,००० से ६०,००० टन प्रतिवर्ष तक बढ़ा देने की योजना तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये मंजूर कर ली गयी है। इस विस्तार योजना पर लगभग ४ करोड़ रुपयों का खर्च आयेगा। ब्योरे वार कार्यक्रम अभी तैयार नहीं किया गया है। कारखाने में तीन दिन उत्पादन १०० टन प्रति दिन की निर्धारित क्षमता से बढ़ गया था। उनका ब्योरा निम्नलिखित है :—

	टन
३१ जुलाई, १९६०	१००·६६
२३ अगस्त, १९६०	१०८·३३
१४ सितम्बर, १९६०	१०१·७८

तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये आवंटित राशियों का उपयोग

†२२०२. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने का विचार रखता है जोकि इस बात का ध्यान रखेगी कि सभी राज्य तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में विभिन्न परियोजनाओं के लिये निर्धारित राशियों का पूरा पूरा उपयोग करें ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं और निर्देश पद क्या क्या होंगे ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में छोटे पैमाने के उद्योग

†२२०४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शाहदरा की लघु उद्योग संस्था से इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि शाहदरा के फैक्टरी क्षेत्र में एक अलग उद्योग दफ्तर खोला जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी क्वार्टरों का वर्गीकरण

†२२०५. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब महंगाई भत्ते को भी वेतन में मिला दिया गया है, नयी दिल्ली के आवास स्थानों के आवंटन के लिये कर्मचारियों के वर्गीकरण के लिये वेतन क्रमों के हिसाब से वर्गों का पुनरीक्षण करने का कोई विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इससे सरकारी राजस्व में वृद्धि होने की कोई आशा है ; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक कर दिया जायेगा ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) से (ख). यह पहले ही फैसला किया जा चुका है कि जनरल पूल के आवास स्थानों के वर्गीकरण की दृष्टि से वर्तमान पद्धति को न बदला जाये ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सरकारी बस्तियों में सामाजिक कार्य

†२२०६. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्वार्टरों में कर्मचारियों के परिवारों की स्त्रियों द्वारा किसी भी सामाजिक कार्य करने जैसे कि शिशु स्कूल, सिलाई की कलासें, बच्चों के लिये नृत्य आदि की क्लासें चलाने की अनुमति नहीं दी जाती ; और

(ख) यदि हां, तो क्या स्वयं सरकार द्वारा इस प्रकार की सुविधायें देने का कोई विचार है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख). सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को जो क्वार्टर दिये जाते हैं, वे केवल मात्र रहने के लिये दिये जाते हैं, अन्य कार्यों के लिये नहीं, फिर भी कुछ एक स्थानों पर सरकारी स्थान शिशु स्कूलों या गृह कल्याण केन्द्रों के रूप में इस्तेमाल किये जा रहे हैं जहां सिलाई, कढ़ाई आदि का काम सिखाया जाता है ।

भारत-पाकिस्तान व्यापार

†२२०७. श्री कोरटकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान भारत को भारत द्वारा सीमेन्ट और लोहे के सम्भरण के बदले पूरे मल्य की रूई देने को राजी हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पिछले अक्तूबर महीने तक भारत सीमेन्ट और लोहे की आधी मात्रा का संभरण करने में असफल रहा है और इस कारण पाकिस्तान से रूई के आने में कमी की संभावना है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार करार की संधि १ के अन्तर्गत स्व-संतुलित आधार पर बहुत सी वस्तुओं के बिनिमय की व्यवस्था है जिनका हिसाब गैर-परिवर्तनीय भारतीय रुपये में रखा जाना है । पाकिस्तान द्वारा देने में कच्ची रूई भी एक वस्तु है । भारत से दी जाने वाली वस्तुओं में सीमेंट, लोहा और इस्पात भी शामिल हैं । कुछ कारणों से सीमेंट, लौहे और इस्पात का संभरण कुछ कम किया गया है और उनका तेजी से संभरण करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । इससे पाकिस्तान से रूई के आयात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में पाकिस्तानियों द्वारा ढोरों को ले जाया जाना

†२२०८. श्री दशरथ देब : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ अक्तूबर, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में त्रिपुरा के सीमा क्षेत्र से पाकिस्तानी कितने ढोर हांक ले गये ;

(ख) कितने मामलों में ढोर हांक कर ले जाने वालों पर मुकदमा चलाया गया ; और

(ग) पाकिस्तानियों द्वारा हांक कर ले जाने से त्रिपुरा के ढोरों को संरक्षण देने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) २२१।

(ख) तीन ।

(ग) सीमा पर गश्त बढ़ा दी गयी है और गांव रक्षण दल बनाये गये हैं। भारतीय और पाकिस्तानी पदाधिकारियों के बीच राज्य स्तर पर ढोरों को हांक ले जाने के बारे में एक दूसरे को जानकारी देने और उपचारात्मक उपाय करने के लिये समय समय पर सम्मेलन भी होते हैं ।

विक्रम देव कालिज, कोरापुट (उड़ीसा)

†२२०९. श्री संगण्णा : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा कोरापुट (उड़ीसा) जिले में विक्रम देव कालिज को कुछ वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गयी है ; और

(ग) यह सहायता किस लिये दी गयी है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नाश्कर) : (क) दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा विक्रम देव कालिज, जेपुर को अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गयी है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भुसांडपुर में विस्थापित परिवार

†२२१०. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री १८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भुसांडपुर बस्ती के बाढ़ पीड़ित विस्थापित परिवारों में बांटने के लिये मंजूर की गयी एक लाख रुपये की रकम अब तक २६७ परिवारों में बांट दी गयी है ;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक कितनी रकम बांटी गयी है ; और

(ग) पीड़ित परिवारों में बाकी बिना बांटी रकम कब बांटी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) से (ग). पीड़ित परिवारों को ६६,६५३ रुपये की रकम बांटी जा चुकी है और बाकी रकम के ३१ मार्च, १९६० तक बांटे जाने की आशा है ।

चाय पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि

†२२११. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने भारत सरकार से चाय पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने का अनुरोध किया है ताकि आसाम को उच्चतम न्यायलय के चाय पर वहन शुल्क को अवैध करार देने के निर्णय के परिणामस्वरूप होने वाली आय की कमी की क्षतिपूर्ति हो जाये ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

पश्चिम जर्मनी द्वारा भारतीय चाय का आयात

†२२१२. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम जर्मनी द्वारा १९५७, १९५८, १९५९ और १९६० में अभी तक कितनी भारतीय चाय का आयात किया गया है ;

(ख) उपरोक्त अवधि में उस देश में प्रचार और चाय परिषद् के संधारण में कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ग) हाल में हैनोवर में हुए गृहिणियों के मेले में भारत का स्टाल लगावे में कितना व्यय हुआ ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क).

वर्ष	मात्रा (दस लाख पौंडों में)
१९५७	५७·२
१९५८	६०·८
१९५९	५८·८

जहां तक १९६० का सम्बन्ध है, पश्चिम जर्मनी में जनवरी से अगस्त तक विभिन्न देशों से ९०.८ लाख पौंड चाय आयात की गई परन्तु विभिन्न उत्पादक देशों की पृथक् पृथक्

†मूल अंग्रेजी में

मात्रायें अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। जनवरी से सितम्बर, १९६० तक भारत से पश्चिम जर्मनी को २५ लाख पौंड का निर्यात हुआ था।

(ख)

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	भारत का पश्चिम जर्मन चाय प्रचार नियम को अंशदान	चाय बोर्ड द्वारा पश्चिम जर्मनी में अन्य संवर्धन कार्य पर किया गया व्यय
	(रुपयों में)	(रुपयों में)
१९५६-५७	३,३८,४३८	४,३५४
१९५७-५८	३,५०,४६०	१,८९८
१९५८-५९	३,५०,४३९	१,२८९
१९५९-६०	३,५०,०४०	१,२५८

१९६०-६१ के लिये अद्यतम आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) मेले में भाग लेने की व्यवस्था पश्चिम जर्मन चाय प्रचार निगम द्वारा की गई थी। प्रदर्शनी में न भारत सरकार ने भाग लिया और न चाय बोर्ड ने।

अमरीका को भारतीय चाय का निर्यात

†२२१३. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७, १९५८, १९५९ और १९६० में अब तक कुल कितनी भारतीय चाय का अमरीका को निर्यात किया गया ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में, वर्ष-वार, उस देश में चाय परिषद् के संधारण और प्रचार पर कुल कितनी लागत आयी ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क)

वर्ष	मात्रा (लाख पौडों में)
१९५७	२८३·५
१९५८	३०३·४
१९५९	२८५·१
१९६० (जनवरी से सितम्बर)	२०२·२

†मूल अंग्रेजी में

(ख)

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	अमरीका की चाय परिषद् को भारत का अंशदान	अमरीका में अन्य संवर्द्धनात्मक कार्यों पर चाय बोर्ड द्वारा किया गया व्यय
	(रुपयों में)	(रुपयों में)
१९५६–५७ .	२८,६८,१३५	५४,३०१
१९५७–५८	१२,२१,३६२	५,२९१
१९५८–५९ . .	२३,४१,९७१	१,०६९
१९५९–६०	११,९७,४८३	३६,२८९

चालू वित्तीय वर्ष के लिये ठीक आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकार

†२२१४. श्री संगण्णा : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(घ) इस समय दण्डकारण्य विकास परियोजना में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कितने पदाधिकारी काम कर रहे हैं ;

(ख) प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में, पृथक् पृथक्, सेवा-निवृत्ति के बाद कितने पदाधिकारी पुनः रखे गये, और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क)

प्रथम श्रेणी	४८
द्वितीय श्रेणी	८९
कुल	१३७

(ख) प्रथम श्रेणी ३

द्वितीय श्रेणी ५

(ग) लोक हित में उचित रूप से अर्हता-प्राप्त काम कर रहे पदाधिकारी नियुक्ति के लिये उपलब्ध नहीं थे।

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी प्रेस कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†२२१५. **श्री अरविंद घोषाल :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी प्रेस कर्मचारियों को सन्तरागाची, पश्चिम बंगाल में क्वार्टर दिये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो वे कब पूरे किये जायेंगे और उन पर कितनी लागत आयेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, कलकत्ता को सन्तरागाची ले जाने की योजना में प्रेस की इमारत के पास कुछ प्रतिशत प्रेस कर्मचारियों के लिये एक आवास बस्ती बनाने की व्यवस्था है ।

(ख) इस योजना के तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा होने की आशा है । अभी तक आवास बस्ती की लागत के पृथक् प्राक्कलन तैयार नहीं किये गये हैं ।

शोरे की खरीद

†२२१६. **श्री राम गरीब :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि गैर-सरकारी उद्योगों से शोरा खरीदा जाये ;

(ख) वर्ष १९६० में अब तक कितना शोरा खरीदा गया और यह किन उद्योगों से खरीदा गया ; और

(ग) शोरा किस लिये खरीदा जाता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) शोरे की सरकारी आवश्यकता की मात्रा संभरण तथा निबटारा महा निदेशालय द्वारा व्यापारियों से मूल्य-सूची आमंत्रित करने के बाद खरीदी जाती है ।

(ख) शून्य ।

(ग) यह मुख्य विस्फोटक पदार्थ बनाने और आतशबाजी के उद्योगों में काम आता है ।

काफी का निर्यात

†२२१७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः महीनों में काफी के निर्यात में कहां तक प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : नवम्बर, १९६० को समाप्त होने वाले छः महीनों में निर्यात के लिये ८४४७ टन की मात्रा बेची गयी ।

सिलाई की मशीनों का निर्यात

†२२१८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः महीनों में सिलाई की मशीनों के निर्यात में कहां तक प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : अप्रैल, सितम्बर, १९६० की अवधि में ८,९४,२७१ पये मूल्य की १०,८२७ सिलाई की मशीनों (घरेलू और औद्योगिक) का निर्यात किया गया जबकि वर्ष १९५९ में इसी अवधि में ५,३८,०६७ रुपये मूल्य की ४३६९ सिलाई की मशीनों का निर्यात किया गया था ।

मनीपुर का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण

†२२१९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यवहार आर्थिक गवेषणा परिषद ने मनीपुर के प्रौद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय व्यवहार आर्थिक गवेषणा परिषद ने मनीपुर के प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण को हाल ही में अन्तिम रूप दिया है जिसका प्रतिवेदन सरकार को शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

मनीपुर में सीमेंट और इस्पात की कमी

†२२२१. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में सरकारी और गैर-सरकारी दोनो क्षेत्रों में इमारतों और पुलों के निर्माण पर सीमेंट और इस्पात के न मिलने अथवा कमी के कारण बहुत बड़ा आघात हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जावेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) . एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९५]**

मनीपुर में नमक का मूल्य

†२२२२. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में नमक का मूल्य ९ रुपये प्रतिमन से बढ़ कर २० पये प्रति मन हो गया है और हाल ही में चोर बाजारी बहुत बढ़ गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो चोर-बाजारी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). नवम्बर, १९६० के दूसरे सप्ताह में मनीपुर प्रशासन ने बताया कि स्थानीय रूप से नमक के चालू मूल्य अधिक हैं। यह मनीपुर के नमक व्यापारियों द्वारा मनीपुर को आवंटित कोटे के न उठाये जाने के कारण हुआ। मनीपुर प्रशासन के परामर्श से नमक विभाग द्वारा मनीपुर को ५७०० मन नमक भेजने के लिये कार्यवाही की गयी है। मनीपुर प्रशासन के परामर्श से मनीपुर को और संभरण करने के लिये भी व्यवस्था की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र और गुजरात में शक्ति चालित करघे

†२२२३. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न केन्द्रों में आज तक अधिकृत या अनधिकृत रूप से शक्ति द्वारा चालित करघों की क्या संख्या है और सूती धागे और गैर-सूती धागे केन्द्रों में पृथक् पृथक् कितने करघे हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

†२२२४. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का नाम ब्रिटेन के युद्ध अपराधियों की सूची में है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां से नाम निकलवाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). इस मामले में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । तथापि, ब्रिटेन में हमारे उच्चायुक्त के जरिये यथा संभव जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

गाय तथा बछड़ों की खाल का निर्यात

२२२४-क. { **डित ब्रजनारायण "ब्रजेश"** :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७, १९५८ और १९५९ में और ३१ अक्तूबर, १९६० तक गायों व बकड़ों की कितनी खालें किस किस देश को निर्यात की गईं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : एक विवरण साथ में न थी है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९६]** ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

व्यापार चिह्न पंजीयनालय का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं व्यापार तथा पण्य चिह्न अधिनियम, १९५८ की धारा १२६ के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये व्यापार चिह्न पंजीयनालय के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—२५५०/६०]**

संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: मैं श्री दातार की ओर से संविधान के अनुच्छेद ३२३(१)

---

†मूल अंग्रेजी में

के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग का दसवां प्रतिवेदन ।

(दो) १९५९–६० में आयोग की सलाह को न मानने के कारण बतलाने वाला ज्ञापन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—२५५१/६०]

खेतिहर मजदूरों के बारे में दूसरी जांच का प्रतिवेदन, कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन, तथा भारतीय श्रम सम्मेलन की कार्यवाही

†श्री आबिद अली : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारत में खेतिहर मजदूरों के बारे में दूसरी जांच का प्रतिवेदन (खंड १—अखिल भारत) ।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६७ ।

(तीन) नई दिल्ली में २४ और २५ सितम्बर, १९६० को हुये भारतीय श्रम सम्मेलन के अट्ठारहवें अधिवेशन की कार्यवाही का सारांश ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—२५५२/६०, २५५३/६० और २५५४/६०]

बाट तथा माप के प्रमाप (भू-क्षेत्रफलों को बदलना) नियम

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : मैं बाट तथा माप के प्रमाप अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८७४ में प्रकाशित बाट तथा माप के प्रमाप (भू-क्षेत्रफलों को बदलना) नियम, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—२५५५/६०]

राज्य-सभा से संदेश

†सचिव : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि लोक-सभा द्वारा क्रमशः ९ दिसम्बर, १९६० तथा १४ दिसम्बर, १९६० को पारित वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक, १९६० तथा अधिमान प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक, १९६० को राज्य सभा ने अपनी क्रमशः ९ दिसम्बर, १९६० तथा १४ दिसम्बर, १९६० की बैठकों में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पिचहत्तरवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पिचहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

लोक लेखा समिति

इकत्तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री वर्मन** (कूच बिहार–रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १९५८–५९ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६० के बारे में लोक लेखा समिति (१९६०–६१) का इकत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर-पूर्वी सीमांत एजेंसी में दास प्रथा का प्रचलन

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : नियम, १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी में दास प्रथा का प्रचलन ।"

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं ।

वक्तव्य

उत्तर-पूर्वी सीमांत एजेंसी में दास प्रथा प्राचीन काल से चली आती हुई उस समय की घरोहर है, जब कि गांवों तथा आदिम जातियों के बीच आपसी झगड़े होना एक सामान्य बात थी । लोग कई कारणों से दास बनाये जाते थे । उन्हें युद्ध में बन्दी बनाया जाता था, उन्हें खरीदा जाता था, या उन्हें ऋण चुकाने के लिये रखा जाता था । कुछ लोग दास पैदा ही होते थे । कभी लोग समाज के विरूद्ध कोई गम्भीर अपराध करने तथा उसके एवज में जुर्माना अदा न कर सकने के कारण भी दास बना लिये जाते थे ।

परन्तु दासों के साथ आम तौर से कुटुम्ब के सदस्यों का सा व्यवहार किया जाता है और अधिकांश दास स्वयं अपने मालिकों का आश्रय तथा संरक्षण छोड़ कर स्वतंत्र जीवन बिताने को राजी नहीं । कुछ घरों में वे कुछ वर्षों बाद परिवार के सदस्य ही बन जाते हैं । परिवार का स्वामी उनके भोजन, वस्त्र और आश्रय की व्यवस्था करता है । वह उनका विवाह करता है । कुछ क्षेत्रों में दास को आय का एक अंश रखने का भी अधिकार होता है ।

१९२६ में हुये दासता अभिसमय में भारत सरकार भी एक संविदाकारी पक्ष है, उसके उपबन्ध नेफा में १९३८ से लागू हुये । यह निश्चय किया गया था कि दासता के सभी स्वरूपों का उन्मूलन

---

†मूल अंग्रेजी में

करने के लिये शीघ्रातिशीघ्र निश्चित कदम उठाये जायें। हमारे संविधान में दास रखने की अनुमति नहीं है। सरकार इस बुराई को दूर करने का यथासंभव प्रयत्न कर रही है। जहां आवश्यकता समझी गई, वहां दासों को उनके स्वामियों से छड़ाने के लिये नकद प्रतिकर भी दिया गया है। इस प्रयोजन के लिये चालू वर्ष में २५,००० रुपये की राशि रखी गयी है। पोलिटिकल आफिसरों को यह अधिकार दिया गया है कि वे एक दास को मुक्त करने के लिये ५०० रु० तक की रकम दे सकते हैं।

१९५० से १९५९ के दौरान सरकार के प्रयत्नों से १६० दासों को मुक्त किया जा चुका है। नेफा में अभी कई सौ दास बाकी रह गये हैं।

अक्तूबर, १९६० में नेफा प्रशासन के ज्येष्ठ अधिकारियों की बैठक में यह निश्चय किया गया कि जो थोड़े से दास नेफा में बाकी रह गये हैं उनकी स्वतंत्रता के लिये प्रभावशाली कदम उठाये जायें। इस संबंध में जो सुझाव दिये गये थे उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(क) यदि कोई दास सरकारी कर्मचारी हो जाये तो उसे अपनी मुक्ति के लिये नियमित बचत करने का प्रोत्साहन दिया जाये ;

(ख) यदि कोई दास भाग जाय तो सरकार उस से उस के मालिक के पास पहुंचाने में किसी प्रकार की सहायता न करे ;

(ग) यदि कोई दास किसी रूढिगत मामले में फंस जाये तो स्थानीय अधिकारियों को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि ऐसा कोई निर्णय न किया जाये जिस से दास के ऊपर मालिक का अधिकार और भी दृढ़ हो जाये ;

(घ) यदि किसी दास का स्वामी किसी रूढिगत मामले में फंस जाये और उसे कुछ जुर्माना देना पड़े तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि उस के एवज में वह दास को मुक्त करदे ;

(ङ) यदि दासों का कोई स्वामी सरकारी सहायता प्राप्त करने का पात्र हो जाये तो यह सहायता इसी शर्त पर दी जाये कि वह एक या अधिक दासों को उस के एवज में मुक्त करेगा ;

(च) सीमान्त क्षेत्रों में शरणार्थियों को तब तक शरण दी जाये जब तक कि वे अपने साथ लाये गये दासों को मुक्त न कर दें;

(छ) दासों के किसी भी स्वामी को किसी प्रकार की वैतनिक सरकारी नौकरी न दी जाये ; और

(ज) १५ अगस्त, १९४७ के पश्चात् पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में दास नहीं बनाया जा सकता है और उस तिथि के पश्चात् से दासों के हस्तान्तरण को भी वैध नहीं माना जायेगा ।

यथा संभव इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि नेफा से दासता जल्दी से जल्दी समाप्त कर दी जाये । इस संबंध में स्थिति को गंभीर नहीं कहा जा सकता है, न ही सरकार को इस कार्य में असफलता ही प्राप्त हुई है, जैसा कि स्थगन प्रस्ताव में कहा गया है । दासों को मुक्त करने का कार्य अनिवार्य रूप से धीमे धीमे ही होगा क्योंकि यदि किसी दास को स्वतंत्र किया जाये और उस के (किसी किसी मामले में उस के स्वामी के भी) पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गयी तो इस से एक और समस्या खड़ी हो जायेगी ।

[श्रीमती लक्ष्मी मेनन]

शिलांग में अभी हाल में किये गये निश्चयों (जिनका सारांश ऊपर दिया गया है) से यह स्पष्ट होगा कि विशेषत: सीमा के उस पार हुई दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्य में शीघ्रता करने की आवश्यकता को पूरी तरह महसूस किया गया है ।

कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : सभा को ज्ञात है कि भारतीय कपड़ा मिल संघ और सरकार के बीच अगस्त में हुई बात चीत के फलस्वरूप संघ द्वारा स्वेच्छा पूर्वक मूल्यों के विनियोजन की एक योजना स्वीकार की गयी और सरकार की स्वीकृति से घोषित की गयी । इस योजना के अधीन विभिन्न प्रकार के कपड़े के लिये मिलों से चलते समय की अधिकतम कीमतें उल्लिखित कर दी गयीं । इन्हें अगस्त १९५९ में प्रचलित बाजार दर से अधिक मंजूर शुदा प्रतिशत वृद्धि के रूप में उल्लिखित किया गया है । विहित प्रतिशत इस प्रकार है :—

मोटा कपड़ा	२५ प्रतिशत
मध्यम प्रकार का घटिया कपड़ा	२२ प्रतिशत
मध्यम प्रकार का बढ़िया कपड़ा	१८ प्रतिशत
बारीक कपड़ा	११ प्रतिशत
बहुत बारीक कपड़ा	९ प्रतिशत

इस योजना के अधीन मिलों में बने हुए सारे कपड़े पर मिलों से चलते समय की और बिक्री की कीमतों को छाप दिया जायेगा । बिक्री की कीमतें मिलों से चलते समय की कीमतों में व्यापारियों के लिये १५ प्रतिशत का मुनाफा छोड़ कर निकाली गयी हैं । इसी प्रकार विभिन्न नम्बरों के सूत की कीमतें भी उल्लिखित कर दी गयी हैं ।

तीन महीने पूर्व जो मैं ने पहला वक्तव्य दिया था उस समय से स्थिति में इन अर्थों में सुधार हुआ है कि किसी प्रकार के कपड़े की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । बारीक तथा बहुत बारीक कपड़े की दरों में कुछ कमी ही दिखायी दी है । कुछ अंशों तक यह कमी मध्यम प्रकार के बढ़िया कपड़े में भी हुई है । इस प्रकार के कपड़े बाजार में भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ द्वारा विहित अधिकतम कीमतों से कम में बिक रहा है । इस में संदेह नहीं है कि विशेषत: गांवों में मोटे तथा मध्यम प्रकार के घटिया कपड़े में उस सीमा तक कमी नहीं दिखायी दी है जो कि अन्य प्रकार के कपड़े में दिखायी दी है ।

व्यापारियों के लिये जो १५ प्रतिशत का मुनाफा छोड़ा गया है उस से थोक तथा फुटकर व्यापारियों ने असंतोष जाहिर किया है । मुझे उन के कई अभ्यावेदन और शिष्ट मंडल प्राप्त हो चुके हैं । इसका यह परिणाम हुआ है कि थोक व्यापारियों

---

†मूल अंग्रेजी में

ने मिलों से कपड़ा नहीं उठाया है तथा फुटकर व्यापारियों ने भी उपेक्षा जाहिर की है। इसका फल यह हुआ है कि मिलों में लगभग ४ लाख गांठें जमा हो गयीं हैं।

हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं तथा भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ से इस संबंध में बात चीत कर रहे हैं। बातचीत सफल रही है और निम्नलिखित कार्यवाही करने का फैसला किया गया है।

संघ ने कीमतों में अग्रेत्तर कमी करने का निश्चय किया है। अगस्त १९५९ में प्रचलित बाजार दरों की तुलना में संशोधित वृद्धि का प्रतिशत अब इस प्रकार रहेगा। मोटा २० प्रतिशत, मध्यम प्रकार का घटिया १७ प्रतिशत, मध्यम प्रकार का बढ़िया १३ प्रतिशत, बारीक ८ प्रतिशत, बहुत बारीक ६ प्रतिशत। इस से सितम्बर में निश्चित कीमतों की तुलना में अग्रेत्तर कमी की गयी है। मेरा यह प्रयत्न रहा है कि मोटे तथा माध्यम प्रकार के घटिया कपड़े के मूल्य में जिसका प्रयोग जन साधारण द्वारा किया जाता है अग्रेत्तर कमी की जाये। अतः हमने संघ से कहा था कि इस वर्ग के कपड़ों में तीन बिन्दु की अग्रेत्तर कमी की जाये। संघ इस बात से सहमत हो गया है। इन वर्गों का चुनाव प्रत्येक मिल के लिये कपड़ा आयुक्त तथा संघ के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। इन वर्गों के अन्तर्गत आने वाली कपड़े की मात्रा कुल मात्रा का २५ प्रतिशत होगी। मुझे विश्वास है इस से अधिकांश उपभोक्ताओं को काफी रियायत मिलेगी।

मिलों का कपड़ा इस वक्तव्य के बाद से संशोधित कीमतों पर निकाला जायेगा। जिस कपड़े पर अभी कीमतें नहीं छापी गयी है, उस पर संशोधित कीमत के आधार पर कीमतें छापी जायेंगी। कीमतों की समस्या सुदीर्घ काल के लिये केवल अधिक उत्पादन और अधिक संभरण के आधार पर ही हल हो सकती है। संभरण की वृद्धि करने के लिये यह आवश्यक है कि वर्तमान उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाय। संघ इस बात पर राजी हो गया है कि वह सभी कपड़ा मिलों से तीन पारी काम करने को कहेगा जिस से उत्पादन में कम से कम १० प्रतिशत वृद्धि हो। कुछ मिलों में तीसरी पारी में काम होने लगा है अन्य मिलों में तीसरी पारी में काम होने लगेगा। आशा है कि चार से छः सप्ताहों के भीतर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर ली जायेगी। सरकार को विश्वास है कि इस संबंध में आवश्यक कपास की मात्रा भी उपलब्ध हो सकेगी। कपड़ा आयुक्त मिलों में कपड़े की मात्रा पर निरंतर नजर रखेंगे। जिस से कि मांग के अनुसार कपड़े का संभरण होता रहे और इस संबंध में किसी प्रकार का व्यवधान न होने पावे।

कपड़ा मिलों से उपभोक्ताओं तक कपड़े के निरंतर संभरण के लिये व्यापारियों का सहयोग आवश्यक है। सरकार ने उन के अभ्यावेदनों पर विचार किया है और वह इस बात पर सहमत हो गयी है कि मिल से चलते समय कपड़े के मूल्यों पर मुनाफे की छूट को १५ प्रतिशत से बड़ा कर १८ प्रतिशत कर दिया जाये।

१९५९ के अन्त और १९६० के प्रारम्भ में कपड़े की कीमतों में वृद्धि के मुख्य कारण यह थे कि कच्ची रूई की कीमत में वृद्धि हो गयी थी और मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति के फलस्वरुप कपड़ा मिलों में मजूरी बढ़ गयी थी। रुई के मूल्यों के बढ़ने का कारण यह था कि १९५९–६० में भारत की कपास की फसल खराब हो गयी थी।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

पिछले दो मौसमों से इस वर्ष कपास की फसल अच्छी है । अनुमान है कि इस फसल में हमें ४८ से ५० लाख गांठें प्राप्त होंगी जब कि पिछले वर्ष हमें केवल ३७ लाख रुई की गांठें प्राप्त हुई थीं।

रुई बाजार में आने लगी है और जनवरी तक देशी फसल का अधिकांश भाव बाजार में आने लगेगा । सरकार विदेशी रुई के आयात में भी वृद्धि करने का विचार कर रही है जिस से कि आपात काल के लिये उपयुक्त भंडार एकत्र किया जा सके । इस स्थिति में यह आशा है कि उत्पादन में निःसंदेह वृद्धि होगी । इसका बाजार तथा उसकी दरों पर निश्चित प्रभाव पड़ेगा ।

सरकार ने दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह किया है कि सूती कपड़ों की फुटकर और मिल से चलने वाली उचित कीमतों को निश्चित करने का प्रश्न प्रशुल्क आयोग को सौंप दिया है । मुख्य निदेश मद यह हैं कि विभिन्न प्रकार के सूत और कपड़े की उत्पादन लागत निश्चित की जाय तथा उनकी मिल से चलने की उचित कीमत निश्चित की जाये । इस के अतिरिक्त आयोग से यह भी कहा गया है कि वह कीमतों में समय समय पर ऐसे परिवर्तनों का भी सुझाव दें जिस से कि उत्पादन के अधीन आने वाले तत्वों यथा रुई और अन्य बातों की कीमतों के उतार चढ़ाव पर भी ध्यान दिया जा सके । निदेश पद पर्याप्त व्यापक हैं और आयोग के प्रतिवेदन से सरकार को कपड़े की कीमतों तथा संबंधित विषयों के संबंध में दीर्घकालीन नीति निश्चित करने में सहायता मिलेगी ।

सूत की कीमतों पर भी विचार किया जा रहा है लेकिन मैं आशा करता हूं कि वे कीमतें भी इस प्रकार निश्चित की जायेंगी कि वे कपड़े के संशोधित मूल्यों के समकक्ष ही होंगी ।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार कपड़े का उत्पादन बढ़ाना चाहती है , क्या प्रशुल्क आयोग से सूत की कीमतें कम करने के संबंध में भी विचार करने को कहा जायेगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मेरे विचार से निदेश पद में यह बात भी शामिल है, तथापि मैं इस संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने पर विचार करूंगा ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : क्या सरकार मध्यम तथा मोटे प्रकार के कपड़े के मूल्यों में की गई कटौती से संतुष्ठ है, यदि नहीं तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं बता चुका हूं कि रुई बाजार में आनी प्रारम्भ हो गयी है । फरवरी के अन्त या मार्च के मध्य तक सारी रुई बाजार में आ जायेगी । अनुमान है कि फसल काफी अच्छी हुई है । अतः इस समय जो कुछ भी किया गया है वह काफी संतोषजनक प्रतीत होता है । माननीय सदस्य को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि मोटे तथा मध्यम प्रकार के घटिया कपड़े पर, जिसका सर्वसाधारण द्वारा प्रयोग किया जाता है, १७ प्रतिशत की कटौती हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि कपड़े के मूल्य में वृद्धि रुई की कमी के कारण हुई, अब क्योंकि सभी मिलों को उपयुक्त मात्रा में रुई उपलब्ध हो सकेगी तो क्या सरकार मिलों को कपड़े की कीमतों को अगस्त, १९५९ के स्तर तक ही बनाये रखने के लिये कहेगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : स्थिति में उस सीमा तक सुधार नहीं हुआ है । कीमतों की वृद्धि के कुछ अन्य कारण भी हैं। मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्विति होने से भी मजूरी में वृद्धि हुई है । देशी रुई के दाम काफी ऊंचे हैं और विदेशी रुई के दाम तो काफी ऊंचे हैं। अतः कीमतों को अगस्त, १९५९ के स्तर तक कम करना संभव नहीं हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या कपड़े की कीमतों में केवल २० प्रतिशत ही कमी होगी और आगे कोई कमी नहीं होगी जब कि रुई के सम्बन्ध में स्थिति में काफी सुधार हो गया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैंने यह बताया है कि फिलहाल के लिये यह कीमतें निश्चित की गई हैं। इसके लिये कोई सीमा नहीं रखी गई है। आशा यह है कि जैसे जैसे रुई की स्थिति में सुधार होगा वैसे बाजार तथा कपड़े की कीमतों पर इसका प्रभाव परिलक्षित होगा। कीमतों के गिरने की काफी आशा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कीमतें स्वयं ही २५ प्रतिशत से और अधिक गिर जायेंगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं आशा करता हूं कि कीमतें गिरेंगी तथापि कीमतों का गिरना रुई की स्थिति और कपड़े के उत्पादन पर निर्भर करता है। वे विशेष प्रकार के कपड़े के उत्पादन में २५ प्रतिशत वृद्धि करने को तैयार हो गये हैं। मैं आशा करता हूं कि कीमतें नीचे गिरेंगी ।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** (मद्रास उत्तर) : कपड़े की कीमतों में जो २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसमें से २३ प्रतिशत इस कारण हुई कि रुई के मूल्य बढ़ गये थे, अतः जब रुई की स्थिति में सुधार हो गया है तो कपड़े की कीमतों में ५ प्रतिशत से कहीं अधिक कमी होनी चाहिये ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह कमी किसी में ५ प्रतिशत होगी किसी में ८ प्रतिशत। रुई की स्थिति में अभी अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। पिछली बार जब सभा में इस विषय पर चर्चा हुई थी तो सरकार ने सूती कपड़ा मिल संघ से कपड़े की कीमतों में २० प्रतिशत कमी करने को कहा था। वे यह कमी करने को राजी हो चुके हैं। कुछ कपड़ों में जिनका प्रयोग सर्वसाधारण के द्वारा किया जाता है यह कमी ३ प्रतिशत और भी अधिक की गई है।

†**श्री दामानी** (जालोर) : क्या पट्टा उद्योग और रबर उत्पादों के प्रयोग में आने वाले कपड़े पर दाम नहीं छापे जायेंगे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मेरे विचार से उन में भी दाम छापे जायेंगे ।

†**श्री रंगा** : क्या यह समझना चाहिए कि रुई की न्यूनतम कीमत में अग्रेतर कमी नहीं की जायेगी, विशेषतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रुई की कीमतें पहिले ही काफी कम हैं और अन्य वस्तुओं में मूल्य में काफी वृद्धि हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : रुई के अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों का प्रश्न बिल्कुल दूसरा है। कुछ भी हो इस वर्ष के लिये कीमतें निश्चित हो चुकी हैं।

†सरदार इकबाल सिंह (फीरोजपुर) : क्या यह सही है कि सरकार को रूई नियंत्रण आदेश के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, क्या रूई की गांठों का अर्जन करने सम्बन्धी आदेश से पंजाब के किसानों को हानि हो रही है?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले पर मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे तो मैं अवश्य उसकी जांच करूंगा।

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिये कोई निश्चित तारीख रखी गयी है? क्या उस प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर सरकार रुई की कीमतों इत्यादि सभी बातों पर विचार करेगी?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : मेरे विचार से इस प्रतिवेदन को प्राप्त करने की कोई निश्चित तारीख नहीं रखी गयी है।

†श्री यादव नारायण जाधव (मालेगांव) : क्या यह सच है कि मिलों के पास अभी कपड़े की बहुत बड़ी मात्रा पड़ी हुई है, तथापि माननीय मंत्री ने कहा है कि कुछ विशेष प्रकार के कपड़े का उत्पादन बहुत बढ़ाया जायेगा, क्या इसका आशय यह है कि तीसरी योजना के लक्ष्यों को अगले वर्ष ही प्राप्त कर लिया जायेगा?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : तीसरी योजना के लिये बहुत ऊंचा लक्ष्य रखा जायेगा। जहां तक वर्तमान मात्रा का सम्बन्ध है हम इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं कि वह मात्रा तत्काल उठा ली जायेगी। वस्तुतः व्यापारियों ने अभी तक बहुत असहयोग एंव उपेक्षा का रवेया अपनाया था। अब कपड़ा उठा लिया जायेगा और अगले कुछ महीनों से मिलों में कपड़ा जमा नहीं होने पायेगा।

भारी बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारी बंडलों पर निशान लगाना अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनमति दी जाये।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारी बंडलों पर निशान लगाना अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†श्री राज बहादुर : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम सन् १९४८ में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के औद्योगिक संस्थानों को मध्यवर्ती और दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करने के लिये एक संस्था की स्थापना करना था। इस अधिनियम का संशोधन १९४९, १९५२, १९५५ और १९५७ में किया गया था। पिछली बार जो संशोधन किये गये थे उनका उद्देश्य विदेशों से आयातित पूंजीगत माल के बारे में आस्थगित भुगतानों के बारे में निगम को गारंटी देने का प्राधिकार देना और निगम द्वारा उधार लेने के अधिकारों को बढ़ाना था।

पिछले वर्ष निगम के व्यापार में जो महत्वपूर्ण विकास हुआ है वह उसके ३० जून १९६० को समाप्त होने वाले वार्षिक प्रतिवेदन में स्पष्ट है, और वह प्रतिवेदन कुछ सप्ताह पूर्व सभा पटल पर रखा गया था। मैं सभा का ध्यान विशेष रूप से इस बात की ओर दिलाती हूं कि इस निगम ने १७.९२ करोड़ रुपये के ऋणों का समर्थन किया है और १९५५-५६ में सब से अधिक अर्थात १५.१३ करोड़ रुपये के ऋण दिये। गत वर्षों की अपेक्षा पिछले तीन वर्षों में निगम को अधिक लाभ हुआ है। निगम को रक्षित निधि में भी काफी वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों में निगम ने केन्द्रीय सरकार को २५ लाख रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी उस सहायता के मद में लौटा दिये हैं जो उसे पहले के कुछ वर्षों में प्रत्या भूतित लाभांश के भुगतान के लिये दी गई थी। सभा को इस बात की भी जानकारी होगी कि इस निगम के बनने के बाद से पहली बार इसे अमरीकी सरकार की विकास ऋण निधि से भारत के औद्योगिक संस्थानों को सहायता देने के लिये १०० लाख डालर मिले हैं।

निगम ने जो प्रगति की है तथा तीसरी योजना में जो काम इस निगम को करना है उसको दृष्टि में रख कर यह आवश्यक है कि उद्योगों को विस्तृत काम करने के लिए इस संगठन को आवश्यक साधन उपलब्ध किये जायें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर यह विधेयक तैयार किया गया है और इस उद्देश्य की व्याख्या इस विधेयक में उद्देश्य और कारणों का जो विवरण संलग्न है उस में स्पष्ट किया गया है।

अब जो संशोधन किये जाने वाले हैं मैं उनका संक्षेप में वर्णन करूंगी। अधिनियम की धारा २३ में संशोधन करने का विचार है जिससे इस निगम के कार्य क्षेत्र का विस्तार बढ़ जायेगा। वर्तमान विधि के अनुसार निगम को ऐसे ऋण मंजूर करने के तो अधिकार हैं जो औद्योगिक प्रतिष्ठान सावजनिक रूप से लेते हैं परन्तु वह ऐसे ऋण मंजूर नहीं कर सकता जो ऐसे प्रतिष्ठान बैंकों से लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक औद्योगिक संस्थान जिसने अपनी सारी आस्तियां निगम के पास रहन रख दी हैं उसे बैंकों से ऋण न मिले। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है और उचित भी प्रतीत होता है कि ऐसे उपयुक्त मामलों निगम की प्रत्याभूति के आधार पर उन्हें ऋण मिल जाये। फिर निगम के पास आजकल यह भी प्राधिकार है कि वह विदेशों से आयातित पूंजीगत माल के लिये आस्थगित भुगतानों

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

की गारंटी दे लेकिन वह भारत में बने पूंजीगत काल के अस्थगित भुगतानों की कोई गारंटी नहीं ले सकता अास्थगित भुगतानों की गारंटी के क्षेत्र में देश में बने पूंजीगत माल को भी शामिल कर लेना वांछनीय प्रतीत होता है ।

व्यापारी क्षेत्रों से यह मांग उठी है कि भारतीय औद्योगिक प्रतिष्ठान अमरीका के निर्यात आयात बैंक जैसी संस्थाओं के उधार का जो प्रबन्ध करते हैं निगम को उनकी गारण्टी करने का अधिकार होना चाहिये । निगम को केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन रहते हुए विदेशी मुद्रा के ऋणों के सम्बन्ध में गारण्टी दे सकने का अधिकार देकर इस मांग को पूरा करने का विचार है ।

वर्तमान उपबन्धों के अनुसार निगम को यह प्राधिकार है कि वह अलग अलग संस्थानों के भांडार तथा अंशों के जारी करने को अधोलिखित कर सकता है लेकिन वह इन बातों के लिये प्रत्यक्ष धन लेने को प्रतिवारित कर सकता है । औद्योगिक प्रगति के स तेज विकास को देखते हुए यह विचार किया गया है कि भारतीय वित्त निगम जैसी संस्था बनाने से जिसे पूंजी देने का प्रत्यक्ष अधिकार है, लोगों में विश्वास की भावना उत्पन्न होगी। इस के अलावा यदि औद्योगिक संस्थान अन्य साधनों से रुपया एकत्रित कर सकते हैं तो ऋण आदि के लिये निगम पर उनकी निर्भरता भी कुछ अंशों में कम हो जायेगी। इसलिये यह विचार किया गया है कि इस अधिनियम में संशोधन किया जाये । ताकि वह पंजी निर्गमों में प्रत्यक्ष रूप से धन लगा सके ।

निगम के बहुत से कामों में से एक महत्वपूर्ण काम औद्योगिक संस्थानों को दीर्घकालीन ऋण देना है । इन ऋणों पर सम्पूर्ण अवधि के लिय निश्चित ब्याज की दर ली जाती है । जब किसी संस्था ने अपने क्षमता के अनुकूल निगम से ऋण लिया है और उसे काफी लाभ हुआ है तथा उस ने अच्छे खासे लाभांश की घोषणा की है तो ऐसी स्थिति में उस संस्था की समृद्धि में निगम को भी उपयुक्त अंश मिलना चाहिये उपयुक्त ही प्रतीत होता है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिये यह विचार किया गया है कि निगम उपयुक्त मामलों में ऋण सम्बन्धी इस प्रकार के प्रबन्ध कर ले कि वह जो ऋण देगा उसे ऋण लेने वाले प्रतिष्ठान की अंशपूंजी में परिवर्तित किया जा सकेगा। इस सिलसिले में मैं यह भी बता देना चाहती हूं कि इस प्रकार का ऋण देना भी भारतीय वित्त निगम द्वारा व्यवहार में लाया जा रहा है ।

इस विधेयक के द्वारा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का यह विचार है कि अधिनियम की वर्तमान धारा २४ के अनुसार निगम किसी प्रतिष्ठान विशेष को १ करोड़ रुपये से अधिक के ऋण देने अथवा सहायता देने, अथवा अग्रिम राशि देने अथवा ऋण पत्रों को खरीदने आदि की गारंटी उस समय तक नहीं दे सकता जब तक कि केन्द्रीय सरकार उस ऋण के व्याज सहित वापसी की गारंटी नहीं दे देती । सरकार निगम की अंशदायी पूंजी के २० प्रतिशत की मालिक है । सरकार निगम को समय समय पर सहायता ऋण देती है । इस के अलावा सरकार निगम द्वारा भारतीय बाजारों में जारी किये गये बोंडों की गारन्टी भी लेती है । सरकार ने अमरीका की विकास

ऋण निधि से निगम के द्वारा जो विदेशी राशि ऋण स्वरूप ली है उसकी भी गारंटी दी है । अतः अलग अलग संस्थानों द्वारा १ करोड़ रुपये से अधिक निगम से ऋण लेने में सरकार की गारंटी का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता । अतः जब भी यह निगम किसी एक प्रतिष्ठान को १ करोड़ से अधिक राशि का ऋण देगा तो केन्द्रीय सरकार को गारंटी देनी होगी, धारा २४ के इस उपबंध को समाप्त करने का विचार है । फिर भी केन्द्रीय सरकार ऐसे लेन देन पर समुचित नियंत्रण रखेगी। इस समय सभा के सामने जो संशोधन है उस में इस बात का उपबंध है कि निगम इस प्रकार के बड़े बड़े ऋणों के मामले में सरकार की अनुमति पहले ही से ल लेगा ।

इस विधेयक के द्वारा एक संशोधन यह भी किया जा रहा है कि इस निगम से वितीय सहायता प्राप्त करने के पात्र औद्योगिक प्रतिष्ठानों की परिभाषा में कोल्ड-स्टोरेज उद्योग को भी सम्मिलित किया जाये । सभा इस विधेयक के इस उपबंध का भी स्वागत करेगी जिसके द्वारा धारा ४२ में यह व्यवस्था की जा रही है कि सरकार नियम भी बना सके ।

इनके अतिरिक्त कुछ संशोधन और भी हैं जो या तो छोटे हैं अथवा प्रारूप रचना सम्बन्धी हैं। आशा है कि सभा इस विधेयक पर विचार करेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री प्रभात कार का एक संशोधन है ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को दोनों सदनों की ३० सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये और जो अगले सत्र के प्रथम दिन तक अपना निर्णय दे ।

यह संशोधन विधेयक औद्योगिक वित्त निगम को एक नया अधिकार पत्र देता है अतः इसे संयुक्त समिति को सौंप दिया जाना चाहिये ताकि इसके सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके ।

यह नया संशोधन अधिनियम निगम को यह अधिकार देगा कि वह औद्योगिक प्रतिष्ठानों बैंकों से जिसमें, सहकारी बैंक भी सम्मिलित हैं अग्रिम सहायता लेने की गारन्टी दे सके तथा देश में बनी हुई मशीन आदि खरीदने की भी गारंटी दे। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि इस विधेयक के उपबन्ध के अधीन निगम गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर से वही भूमि का अदा करने जा रहा है जो पुराने ज़माने में पूंजी के सभी लेन देन में गारंटी देकर शराफ या बनिया किया करता था ।

भारतीय वित्त निगम की स्थापना इस दृष्टि से की गई थी कि वह औद्योगिक प्रतिष्ठानों की कठिनाई को दूर करने में सहायता दे ताकि उनको अपना कारोबार चलाने में सहायता मिले । इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण को यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि किसी समवाय के सभी वित्तीय मामलों में यह निगम गारंटी देने का काम करेगा । निगम ऋण तो अवश्य देगा लेकिन सम्पत्ति को रहन में रख कर । इसके बाद यदि वित्त की आवश्यकता पड़ती है तो समवाय बैंक से ऋण ले अथवा अग्रिम सहायता की मांग करे । ऐसी स्थिति में निगम गारंटी देगा क्योंकि प्रतिभूति दिये बिना समवाय को ऋण आदि मिलना संभव नहीं है । लेकिन कभी स्थिति आ जाती है कि अमुक समवाय निगम द्वारा गारंटी दिये जाने के बाद बैंक से लिये गये ऋण का भुगतान नहीं कर पाता तो बैंक के उस ऋण का भुगतान निगम को करना पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभात कार]

अपने देश में बनी हुई मशीन आदि की खरीद के लिये भी निगम गारंटी देगा। समझ में नहीं आता कि क्यों निगम गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों क सम्पूर्ण सहायता देगा। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि अगर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सभी धन गैर-सकारी उद्योग में निगम ने लगाया तो फिर उस उद्योकग में गैर-सरकारी पूंजी क्या होगी। मेरा विचार है कि निगम धन तो अवश्य देगा और इस बात की गारंटी भी लेगा कि समवाय समृद्ध हों और उसके अंशधारियों को लाभांश दिया जाये। शुरू में इस प्रयोजन के लिये निगम की स्थापना नहीं की गई थी।

अंशों की खरीद सम्बन्धी उपबन्ध का मैं स्वागत करता हूं। इस प्रकार लाभ में से निगम को भी कुछ अंश मिलेगा लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि ऋणों को अंशों में बदल दिया जाये। समवाय द्वारा लिये गये ऋण को अंशों के मूल्य में बदलने वाला उपबन्ध बहुत महत्वपूर्ण बात है अतः उस पर अच्छी तरह विचार किया जाना चाहिये।

इस संशोधन के फलस्वरूप औद्योगिक वित्त निगम का काम तो अवश्य ही बढ़ जायेगा किन्तु इससे निगम के हित को हानि पहुंचेगी क्योंकि निगम को धन वसूल करने में कुछ जटिलतायें उत्पन्न हो जायेंगी। और इस प्रकार निगम को हानि भी होगी।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा है यह प्रथा अमरीका में व्यवहार में लाई जा रही है लेकिन मेरा निवेदन है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, गैर-सरकारी पूंजी, तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कार्य को देखदे हुए औद्योगिक वित्त निगम को यह कार्य देना ठीक नहीं है। अतः इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

यदि गारंटी लेने सम्बन्धी अधिकार दिया ही जाना है तो इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित व निर्धारित नियम होने ही चाहियें। संसद को बताया जाना चाहिये कि किन परिस्थितियों में गारंटी दी जायेगी। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि खंड ६ के अधीन यह परन्तुक क्यों रखा गया है। मेरे विचार में निगम को शराफ या बनिया जैसे अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये। अतः मेरा सुझाव है कि यह विधेयक संयुक्त समिति को भेजा जाये।

†श्री वारियर (त्रिचूर) : औद्योगिक वित्त निगम के स्वरूप को अवश्य बदला जाना चाहिये यह निगम उससे बहुत पहले बना था जब हमने अपनी अर्थ व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप स्वीकार किया था।

यह सच है कि निगम ने बहुत अच्छी प्रगति की है। और इसको कुछ लाभ भी हुए हैं। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे उदाहरण भी सामने आये हैं कि ऋण लेने वालों ने अपने दायित्व को पूरी तरह नहीं निभाया है और निगम को उनकी पूरी आस्तियां लेनी पड़ी हैं। निगम का यह कहना तो ठीक है कि इन आस्तियों से सम्पूर्ण दायित्व का निपटारा हो जायेगा लेकिन जब तक ये आस्तियां बिक नहीं जाती या उनका नीलाम नहीं हो जाता तब तक तो निगम को अपने यहां इन्हें रखना होगा।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं]

सलाहकार संस्था तथा निदेशक बोर्ड के गठन में हमारी अर्थ व्यवस्था में हुए परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तन किया जाना चाहिये। इन सभी संस्थानों में कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं के

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिनिधियों को रखा जाना चाहिये। निदेशक बोर्ड में कर्मचारियों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है।

यह निगम किसी न किसी रूप में ९९ प्रतिशत सरकारी धन से चलाया जाता है। मेरा निवेदन है कि करदाताओं के धन को गलत ढंग से विनियोजित नहीं करने दिया जाना चाहिये। इस धन को बुनियादी उद्योगों में लगाया जाना चाहिये न कि कपड़ा और चीनी के उद्योगों में। ये उद्योग ही निगम से अधिक ऋण ले रहे हैं। इस निगम को केरल तथा उड़ीसा जैसे अर्द्ध विकसित क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद करनी चाहिये। जहा उद्योग है वहीं यह धन जा रहा है।

अतः मेरा निवेदन है कि इस निगम के सम्पूर्ण स्वरूप एवं उसके ढांचे में परिवर्तन किया जाना चाहिये। जिन संशोधनों का सुझाव दिया गया है वे सम्पूर्ण परिवर्तन करने में समर्थ नहीं हैं। अतः मेरा सुझाव है कि यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये।

†श्री मुरारका (झुंझुनू) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इसके दो कारण हैं। एक यह कि यह वर्तमान अधिनियम के क्षेत्र का विकास करता है दूसरे यह निगम के कार्यों को चलाने में कुछ लोच उत्पन्न करता है।

इस निगम ने जो ऋण दिये हैं एवं ऋणों का जो भुगतान किया है उन सबको देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह निगम लगातार अच्छे तथा उत्साहवर्द्धक परिणाम देता रहा है। यह एक सुप्रबन्धित निगम है। अतः इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। इसका प्रबन्ध भी बहुत अच्छा है। इसने अपना वार्षिक प्रतिवेदन परीक्षित लेखाओं सहित बहुत शीघ्र ही सभा में प्रस्तुत कर दिया है। जो कि एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। दूसरे इसने अपने प्रतिवेदन में विस्तृत जानकारी दी है।

इस निगम ने अब तक २१ उद्योगों को ऋण दिये हैं और कुल मिलाकर यह ऋण की राशि ८४ करोड़ के आती है। जिन जिन संस्थाओं को इस निगम द्वारा ऋण दिया गया है उनको देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह उद्योग केवल पुराने उद्योगों को ही अधिकतर ऋण नहीं देता जो कि पहले से अच्छी तरह जमे हुए हैं। उसमें सन्देह नहीं है कि सहकारी संस्थाओं को ऋण दिये गये हैं पर सहकारी समितियों को सहायता करने की सरकार की नीति है।

जब हमने जनता से औद्योगिक उपक्रमों द्वारा लिये जाने वाले ऋणों की गारंटी करने के सिद्धान्त को मान लिया है तो वाणिज्यिक बैंकों से लिये जाने वाले ऋणों की भी गारंटी करने में कोई हानि नहीं है।

मध्यम श्रेणी के उद्योगों के मामले में ५० प्रतिशत के उपबन्धों को ढीला कर दिया जाना चाहिये। यदि ऐसा कर दिया जाये तो इससे निगम को अधिक नमनीय ढंग से काम करने में सहायता मिलेगी। मध्यम श्रेणी के उद्योगों की परिभाषा योजना आयोग ने की है। ऐसा करने के लिये अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसके लिये सरकार की ओर से एक निदेश की ही आवश्यकता है।

निगम को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह किसी नये समवाय के अंश प्रत्यक्षतः क्रय कर सके। इसमे तो य होगा कि यदि समवाय को लाभ हुआ तो निगम को भी लाभ होगा और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

यदि उसे हानि हुई तो निगम को भी हानि उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर निगम खाली उधार ही देता है तो निगम के ऋण अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित रहेंगे और इस प्रकार निगम की स्थिति काफी अच्छी रहेगी।

निगम द्वारा अभी तक सार्वजनिक समवायों को ही ऋण दिये जाते हैं। लेकिन भारतीय समवाय अधिनियम में अभी हाल में किये गये संशोधन के अनुसार गैर समवाय भी सार्वजनिक समवाय जैसे हो जायेंगे। अतः मेरा सुझाव यह है कि इन गैर सरकारी समवायों को भी ऋण दिये जाय।

एक सुझाव और भी है कि निगम को उन बैंकों को दिये जाने वाले ऋणों की गारंटी करनी चाहिये, जो विदेशों में भारत में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के लिये पूंजीगत उपस्कर खरीदने के लिये, अग्रिम धन देते हैं। इससे उद्योगों को बहुत सहायता मिलेगी।

गत १२-१३ वर्षों में इस निगम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और बहुत ही प्रगति की है। निश्चय ही इसके लिये इस निगम का प्रबन्ध एवं सरकार बधाई की पात्र है।

अन्त में एक निवेदन और करता हूं कि लाभ हानि लेखा को देखने से पता चलता है कि निगम के चैयरमैन का वेतन उसके जनरल मैनेजर की अपेक्षा कम है। व्यापारिक दृष्टि से यह ठीक नहीं है कि एक अधीनस्थ कर्मचारी का वेतन वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक हो।

†श्री रंगा (तेनालि) : निगम के बारे में श्री मुरारका द्वारा प्रकट किये गये विचारों से मैं पूर्णतः सहमत हूं। परन्तु इसके साथ साथ दो तीन और सुझाव भी देना चाहता हूं।

सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा केन्द्रीय सरकार को काफी अधिकार दिये जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करेगी जिससे किसी को भी कुछ कहने का, आलोचना करने का अवसर नहीं मिलेगा।

मैं अपने मित्र की इस बात से सहमत हूं कि इस निगम को अविकसित क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिये। वस्त्र उद्योग जैसे उद्योग जिससे पर्याप्त लाभ हो रहा है, को सहायता देने के बारे में निगम को सोचना भी नहीं चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि इस निगम के कार्यकलापों के फलस्वरूप चीनी उद्योग तथा सीमेंट उद्योग को बड़ा लाभ हुआ है। परन्तु मेरा निगम को सुझाव है कि उद्योगों को सहायता देते समय उसे इसका अवश्य ध्यान देना चाहिये कि सहायता पाने वाले उद्योगों में इतना अधिक उत्पादन न हो जाये जिससे हमें लागत से भी कम मूल्य पर उस वस्तु का निर्यात करना पड़ जाये।

मैं चाहता हूं कि सरकार छोटे पैमाने के तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दे। मुझे इसकी भी प्रसन्नता है कि जो संशोधन इस समय किये जा रहे हैं उनसे निगम की कार्यशक्तियां बढ़ जायेंगी।

परन्तु इसके साथ मुझे इस उपबन्ध के बारे में कुछ शंका है कि निगम का सहारा चाहने वाले समवायों के अंशतया भांडार, निगम खरीद सकेगा। मैं चाहता हूं कि इस उपबन्ध पर पुनः विचार किया जाना चाहिए क्योंकि निगम को यह अधिकार देकर समवाय के प्रबन्धकों का यह अधिकार छीना जा रहा है कि जिसको वह चाहें उसको अंशधारी बनायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सोमानी (दौसा) : सभापति महोदया, मैं इस विधेयक के उपबन्धों का सामान्यतः स्वागत करता हूं । केवल एक उपबन्ध जिसके द्वारा निगम को ऋणों को अंशों में बदलने के अधिकार दिये जा रहे हैं, से सहमत नहीं हूं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने अल्पविकसित उद्योगों को निगम द्वारा दी जाने वाली ऋण सहायता की अपर्याप्तता के बारे में कुछ प्रश्न उठाये । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि निगम का यह कर्तव्य नहीं है कि वह उद्योगों से पूछता फिरे कि उनको सहायता चाहिए अथवा नहीं । यदि अल्पविकसित उद्योग में लगा हुआ कोई व्यक्ति निगम से ऋण मांगेगा तो निगम उसे अवश्य सहायता देगा ।

मैं समझता हूं कि विधेयक में सभी उपबन्ध बहुत अच्छे हैं और निगम इन उपबन्धों के द्वारा देश का औद्योगीकरण करने में सफल होगा । मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है कि इस विधेयक को और व्यापक बना देने पर निगम तृतीय पंचवर्षीय योजना में अधिक व्यापक तथा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेगा ।

मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त उपमंत्री निगम द्वारा ऋण को अंशों में परिवर्तित करने के अधिकारों को और स्पष्ट करें । माननीय उपमंत्री ने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम में भी ऐसी ही व्यवस्था है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उस निगम में ऐसी व्यवस्था होने के कारण ही भारतीय व्यापारी उससे ऋण नहीं लेते हैं । मैं बताना चाहता हूं निगम को इस प्रकार के अधिकार देने पर गड़बड़ी होने की अधिक संभावना है । परन्तु क्योंकि विधेयक में यह खण्ड रखा जा चुका है इसलिए मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि निगम को स्पष्टतया बताना चाहिए इस खण्ड का प्रयोग बहुत ही कम होगा ।

मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार ने गारंटी वाला उपबन्ध हटा दिया है । निगम समवाय की स्थिति देख कर ही ऋण देता है इसलिए गारंटी की कोई आवश्यकता ही नहीं थी । सरकार ने इस खण्ड को हटा कर अच्छा ही किया है ।

ऐसी व्यवस्था विधेयक में है कि एक करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक के ऋणों की स्वीकृति सरकार देगी । मैं चाहता हूं कि निगम द्वारा ऐसे ऋणों की स्वीकृति पर विचार होने से पहले सरकार को इस पर विचार कर लेना चाहिए । क्योंकि इस समय प्रचलित व्यवस्था के कारण बहुत विलम्ब हो जाता है । मैं चाहता हूं कि सरकार को नीति ही ऐसी बना लेनी चाहिए कि १ करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों की स्वीकृति पर स्वयं पहले विचार कर लिया करे ।

अन्त में, मैं श्री मुरारका के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि मध्यम उद्योगों को ऋण देने के लिये उदारता दिखाई जानी चाहिए ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी (वेल्लोर) : आरम्भ में मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि ऐसा करने से केवल समय नष्ट किया जायेगा ।

इसके पश्चात् मैं निगम द्वारा समवाय के अंश तथा भांडारों में भागीदारी करने का भी विरोधी हूं । मूलतः विधेयक में यह व्यवस्था थी कि निगम का समवाय के हानि तथा लाभ से कोई सम्बन्ध नहीं होगा । परन्तु अब समवाय के अंशों में भागीदारी करके निगम एक समवाय के वाणिज्य में भी हिस्सा लेने लगेगा । मैं समझता हूं कि इससे उन उद्देश्यों के पूरा होने में ही बाधा पड़ जायेगी जिसके लिए इसको बनाया गया है । मैं इसीलिए इस सिद्धान्त का विरोध करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रा० मुनिस्वामी]

मैं समझता हूं कि ऋण देने का तथा व्यापार में भाग लेने का जो दोहरा काम निगम को करना पड़ेगा उसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे । यह तो एक प्रकार से बनिये का व्यापार हो गया । हमें तो केवल एक व्यवस्था करनी चाहिए जिससे ऋण दिया गया धन निगम को वापस मिल जाये । परन्तु यदि निगम समवाय का अंशधा ी बन जायेगा तो समवाय का दिवाला निकलने पर निगम, मैं नहीं जानता किस प्रकार अपना ऋण उगाह सकेगा क्योंकि तब तो ऋणदाता न होकर वह अंशधारी होगा और उसके साथ भी अन्य अंशधारियों के समान ही व्यवहार होगा । सरकार को यह बात समझनी चाहिए ।

एक और बात है जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । निगम ऋणों की गारंटी करता है तथा आस्थगित भुगतानों की भी गारंटी करता है । परन्तु इसके साथ साथ सरकार भी भुगतानों की गारंटी करती है । मैं समझ नहीं पाया कि कितनी राशि की गारंटी निगम की है तथा कितनी की सरकार की है । मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इसके बारे में हमें बतायें ।

मैं चाहता हूं कि इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार को एक संविहित संस्था बनाना चाहिए । इसका ध्यान रखे कि निगम की कार्यवाहियां अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो रही हैं अथवा नहीं । मैं समझता हूं कि ऐसा करने से सरकार तथा देश दोनों का भला होगा क्योंकि यह संविहित संस्था सभा में निगम के कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी और सभा में उस के बारे में बतायेगी ।

इस निगम में करोड़ों रुपये का लेन देन होगा और इसलिए इसकी जिम्मेदारियां बहुत होंगी । मैं चाहता हूं कि निगम को कम जिम्मेदारियां दी जायें जिससे इन कम जिम्मेदारियों को निगम भली प्रकार से पूरा कर सके । कभी कभी अधिक जिम्मेदारियां होने पर उनका पूरी तरह पालन नहीं हो पाता है । इसलिए निगम को समवाय का अंशधारी बनाने के अधिकार देकर, उस पर और अधिक जिम्मेदारियां नहीं लादनी चाहिए ।

मेरे माननीय मित्र ने अभी बताया कि १ करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के ऋण के आवेदन पत्रों पर सरकार को जांच के बाद निर्णय करना चाहिए । मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि निगम स्थानीय रूप से भली प्रकार जांच कर सकता है । मेरी राय में उन्हें यह सुझाव देना चाहिए था कि इन आवेदन पत्रों पर शीघ्रता से निर्णय किये जाने चाहिए ।

१९५७ से निगम ऋण दे रहा है । परन्तु ऐसा कोई साधन नहीं जिससे यह जाना जा सके कि उसने कितना तथा किस को ऋण दिया है । इसलिए मेरा सुझाव है कि जब भी निगम किसी को ऋण दे उसकी सूचना समाचार पत्रों में देदी जानी चाहिए । जिससे निगम तथा केन्द्रीय सरकार के साथ साथ जनता भी इस धनराशि के बारे में ध्यान रख सके कि उसका सदुपयोग हो रहा है अथवा दुरुपयोग हो रहा है ।

†श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा) . सभापति महोदय, आज के इस विवाद को सुन कर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य है क्योंकि जो लोग सरकारी उपक्रमों की सर्वदा आलोचना करते रहते थे वही आज इस औद्योगिक वित्त निगम की तारीफ कर रहे हैं । इससे कुछ ऐसा मालूम होता है कि औद्योगिक वित्त निगम सरकारी धन का उपयोग गैर सरकारी व्यक्तियों के भाग्य जाग्रत करने के लिए कर रहा है । इसीलिए जनता को अब यह चिन्ता हो गई है कि यह निगम वास्तव में जिस उद्देश्य पूर्ति के लिए बनाया गया था उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं श्री प्रभात कार के इस सुझाव से सहमत हूं कि इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सुझाव के औचित्य पर विचार करेगी।

कुछ सदस्यों ने यह शिकायत की कि निगम ने वस्त्र उद्योग के समान बड़े उद्योगों को सहायता दी है। जबकि उसको सुस्थित तथा सुसंगठित उद्योगों को सहायता नहीं देनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि उनकी यह शिकायत ठीक है और निगम को प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसे उद्योगों को सहायता न दे अन्यथा जनता यह समझ सकती है कि सरकार अथवा निगम सरकार के पक्षपाती उद्योगपतियों को ही सहायता देना चाहती है। निगम को यह प्रयत्न करना चाहिए कि देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करने वाले व्यक्तियों को ही सहायता दे।

श्री रुारका ने बताया कि निगम को ५० प्रतिशत धन मध्यम उद्योगों के सहायतार्थ देना चाहिए। मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं और चाहता हूं कि निगम को छोटे पैमाने के तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों को अधिक सहायता देनी चाहिए।

मेरा एक सुझाव है कि निगम जब भी किसी उद्योग को अथवा सार्थ को सहायता दे तभी उसकी सूचना जनता की जानकारी के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित करा दे। मैं समझता हूं कि इसमें कोई गोपनीयता नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ साथ ऋण लेने के आवेदनपत्रों पर शीघ्रता से निर्णय किया जाना चाहिए।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) स्पष्ट है कि औद्योगिक वित्त निगम सरकारी क्षेत्र की एक ऐसी संस्था जिसका गैर-सरकारी क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं सरकारी क्षेत्र में यह एक ऐसी संस्था है जिससे गैर-सरकारी क्षेत्र का विकास ही होता है।

यह निगम इस उद्देश्य से बनाया गया था कि योजना के अनुसार गैर सरकारी क्षेत्र का विकास किया जाये। हमें यही देखना है कि क्या हमारे यह उद्देश्य पूरे हो रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि पिछड़े हुए क्षेत्रों को निगम ने सहायता नहीं दी है। इसका उत्तर राजस्थान के मेरे साथी श्री सोमानी ने ठीक ही दिया कि निगम तो पिछड़े क्षेत्रों की सहायता करने के लिये बहुत उत्सुक है और उसने तो आगे बढ़ कर राजस्थान के मुख्य मंत्री को लिखा भी था कि राजस्थान से कोई आवेदन पत्र नहीं आये। मैं निगम को इसलिये जिम्मेदार नहीं ठहराता। लेकिन मैं सरकार को इस निगम को उचित निदेश नहीं देने पर दोषी ठहराता हूं। एक बात और बताना चाहता हूं। मैंने योजना आयोग से पूछा था कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए आयोग क्या कर रहा है। इसका उत्तर देते हुए योजना आयोग ने मुझे एक सूची भेजी जिसमें विभिन्न राज्यों में खान तथा उद्योगों के उत्पादन की प्रगति बताई गई थी। उस सूची के अनुसार पता लगा कि बम्बई में ८६,४०० लाख रुपये की वस्तुओं का निर्माण किया गया। बम्बई का नाम उस सूची में सब से ऊपर है परन्तु सब से नीचे उड़ीसा का नाम तथा उड़ीसा के ऊपर राजस्थान का नाम है जिनके बारे में बताया गया है कि इन राज्यों में क्रमशः २००० लाख रुपये तथा २३०० लाख रुपये की वस्तुयें बनाई गईं। मैं बताना चाहता हूं कि ऋण मागने के लिए इन राज्यों से आवेदन पत्र तभी मिलेंगे जब निगम कम सूद पर पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को ऋण देगा। मेरा सरकार को सुझाव है कि निगम को निश्चित तथा स्पष्ट आदेश दिये जाने चाहिए तथा इस विधेयक में इस सम्बन्ध में उपबन्ध बनाया जाना चाहिए कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए निगम इन क्षेत्रों में ऋण अन्य क्षेत्रों की तुलना में रियायती सूद की दरों पर देगा। जहां तक निगम के कार्य का

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

सवाल है, मैं यह कहने को तैयार हूं कि उसने काफ़ी अच्छा काम किया है । निदेश देने का काम निगम का नहीं, इसलिये उसके लिये मैं उसे जिम्मेदार नहीं ठहराता ।

इस के बारे में मेरे मित्र श्री मुनिस्वामी ने एक यह सुझाव दिया है कि एक संविहित संस्था बनाई जाये जो निगम की जांच करे । मैं तो समझता हूं कि निगम स्वयं एक संविहित संस्था है । हमें ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिये जिस से निगम के प्रबन्धकों के मन में इस प्रकार के भाव उठ खड़े हों कि हम उन का विश्वास नहीं करते हैं । इसलिये मेरे विचार से किसी अन्य संविहित संस्था की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मेरे मित्र स्वतंत्र दल के नेता ने अपने भाषण के आरम्भ में बताया था कि सरकार इस का ध्यान रखे कि विधेयक में दिये गये अधिकारों का दुरुपयोग न हो । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सरकार के पास इस विधेयक में बताये गये अधिकारों से कहीं अधिक अधिकार है । परन्तु मैं समझता हूं कि वह एक भी ऐसा उदाहरण नहीं बता सकते हैं जब सरकार ने उन अधिकारों का दुरुपयोग किया हो । मैं समझता हूं कि उन्हों ने यह एक अनावयश्क बात कही ।

मेरे मित्र श्री राजेन्द्र सिंह ने भी एक ऐसी ही बात कही कि निगम केवल सरकार के पक्षपाती व्यक्तियों को ही ऋण न दे । मैं चाहता हू कि वह कृपा कर के हमें ऐसे उदाहरण देते कि निगम ने सरकार के किन पक्षपाती व्यक्तियों को सहायता दी है, तो अधिक उचित होता । मैं समझता हूं कि ऐसी निराधार बातें सभा में नहीं कही जानी चाहियें ।

†**श्री नोशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । इस का उद्देश्य औद्योगिक वित्त निगम अधिकारों को बढ़ाना है । यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि यह निगम एक शक्तिशाली संस्था है बशर्ते कि इस का उचित उपयोग किया जाये और यह देश में औद्योगीकरण के विकास में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है । कुछ साम्यवादी सदस्यों ने इसलिये इस का विरोध किया है क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्रों में उद्योगों का विकास हो । इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य यह है कि इस के कार्यकरण में जो छः असमर्थतायें हैं उन को दूर कर औद्योगिक वित्त की शक्तियों का विस्तार किया जाय । मेरा मत है कि यदि ठीक ढंग से इस का उपयोग किया जाये तो यह हमारे देश में औद्योगीकरण की गति को और भी तेज करने का एक शक्तिशाली साधन बन जायेगा । अर्द्धविकसित क्षेत्रों की सहायता के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि औद्योगिक दृष्टि से अर्द्ध विकसित क्षेत्रों के विकास का प्रश्न एक नीति विषयक प्रश्न है जिस का निगम से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह मामला सीधे सरकार के साथ सम्बन्ध रखता है । सरकार का कर्तव्य है कि वह निगम को विशिष्ट निदेश दे और निगम का यह कर्तव्य है कि वह इस का पालन करे । अर्द्ध-विकसित क्षेत्र का निर्णय करना निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता । अतः इस दिशा में निगम की आलोचना निराधार है ।

निगम के प्रशासन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । ऋण ५० प्रतिशत तक लगाये गये हैं । यह तो उद्योग के लिये आवश्यकता से अधिक जमानत की मांग करने की बात हुई । इस नीति में कुछ उचित हिदायत की जानी चाहिये । सरकार को इस के लिये स्पष्ट निर्देश जारी करना चाहिये । इस के लिये मैं किसी संविहित निकाय की स्थापना के सुझाव का समर्थन नहीं कर सकता । औद्योगिक वित्त निगम ने अभी आगे चल कर काफी अच्छा कार्य करना है । तीसरी योजना में

---

†मूल अंग्रेजी में

इस का महत्व बहुत अधिक हो जायेगा । जबकि उद्योगों को महत्वपूर्ण काम करना है । इस विधेयक का उद्देश्य तो केवल यही है कि अधिनियम में वह कमियां दूर कर ली जायें जोकि पिछले अनुभव के आधार पर देखी गई हैं ।

†**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** (प्रतापगढ़) : मैं इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर केवल दो एक बातों की ओर ही सदन का ध्यान आकृष्ट कराऊंगा । निगम के लिये वित्त व्यवस्था करने और उसे चलाने की प्राय: ९९ फी सदी जिम्मेदारी सरकार ने ले रखी है । यह सुझाव बहुत ही अनुचित है कि सरकार की कुछ भी सुनवाई न की जाय । मेरा मत तो यह है कि निगम पर सरकार का अधिक नियत्रण होना चाहिये ।

जहां तक अधिकांशत: चीनी मिलों और सीमेंट के कारखानों को ऋण देने का प्रश्न है वह बिल्कुल उचित ही है । चीनी मिलों सम्बन्धी ऋण ऐसे कारखानों को दिये गये हैं जो सहकारी समितियों द्वारा चलाये जाते हैं । सीमेंट की भी देश में बढ़ते हुए इमारती कार्यों के लिये बड़ी आवश्यकता है । निर्माण कार्यों का यह अत्यावश्यक अंग है ।

यह कहा गया है कि लघु उद्योगों के लिये कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई । मेरा निवेदन है कि इस निगम की स्थापना लघु उद्योगों को सहायता देने के लिये नहीं है । अत: यह प्रश्न यहां उत्पन्न ही नहीं हो सकता । इस के अतिरिक्त सलाहकार बोर्ड में परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है । मेरा मत है कि यह बोर्ड उद्योगपतियों द्वारा नहीं चलाया जा रहा है । और इस बोर्ड का कार्य काफी सन्तोषजनक ढग से चल रहा है । उपसमिति की रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि बोर्ड का काम सन्तोषप्रद रहा है । उस का गठन भी समुचित रूप से किया गया है और कोई शिकायत उत्पन्न होने का भी कारण पैदा नहीं होता । जिन कमियों के सम्बन्ध में आम शिकायतें थीं वह विधेयक द्वारा दूर कर दी गई हैं ।

अनुसूचित और सहकारी बैंकों से ऋण की गारंटी देने के सम्बन्ध में जो सुधार किया गया है वह जरूरी था क्योंकि उस से उन प्रतिष्ठानों को चलाने के लिये धन प्राप्त करने का आसान तरीका मिल जायेगा । इस के अतिरिक्त हमारा सराहनीय उपबन्ध वह है जिस में भारत में बनी मशीनों आदि की खरीद के सम्बन्ध में गारन्टी देने की व्यवस्था की गई है । इस से मशीनों की खपत भी बढ़ेगी तथा इन के निर्माताओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा ।

पिछड़े तथा अर्द्धविकसित क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में सहायता देने के बारे में पूर्व वक्ता ने कहा है वह ठीक ही है कि इन को उपयुक्त सहायता नहीं दी गई है लेकिन उस में निगम का कोई दोष नहीं है । इस के लिये संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि इन क्षेत्रों की सहायता करने की दिशा में निगम को अधिकार प्राप्त हो जाय । यह भी गलत है कि बहुत से लोग निगम का लाभ उठा रहे हैं । मेरा निवेदन है कि निगम का कार्य बहुत शानदार रहा है और उस में जो संशोधन किये जा रहे हैं, उन का स्वागत किया जाना चाहिये ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सदन में इस विधेयक के बारे में जो श्लाघा योग्य बातें कही गई हैं, उन के लिये मैं अपना आभार प्रदर्शित करती हूं । बहुत से लाभदायक सुझाव दिये गये हैं और मैं सदन को सरकार की ओर से अथवा निगम की ओर से आश्वासन देती हूं कि उन सुझावों पर पूर्ण रूप से विचार किया जायेगा । इस सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों को भ्रांति है, मैं उसे दूर कर देना चाहती हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

प्रथम दो वक्ताओं ने कहा है कि भारतीय वित्त निगम के बोर्ड में श्रमिकों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। यह गलत बात है। यह बोर्ड ही ऋण वितरण करने सम्बन्धी नीति निर्धारित करता है। सरकार अपनी ओर से कुछ सदस्यों की नियुक्ति इस बोर्ड में करती है। उन में से एक प्रतिनिधि कर्मचारियों का भी होता है। सरकार ने एक बड़े ही महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन नेता को बोर्ड में एक निदेशक नियुक्त किया है। निदेशक बोर्ड ही निगम के कार्य-संचालन के बारे में नीति निर्धारित करता है। अतः सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि बोर्ड में प्रत्येक हित को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाय।

इस विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजे जाने के सुझाव में कुछ तुक नहीं है। क्योंकि सभा को विधेयक की विषयवस्तु पर विचार करने का पहले चार बार अवसर मिल चुका है। इसलिये विधेयक को संयुक्त समिति के सपुर्द करने की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती। इस का तो केवल एक ही परिणाम होगा कि कार्य में देरी हो जायेगी। कुछ माननीय सदस्यों का सुझाव भी है कि निगम के कार्य में तीव्रता लानी चाहिये। और इसे बड़ी लगन के साथ काम करना चाहिये। वैसे भी इस विधेयक के विविध अंगों पर विभिन्न समितियों में विचार हो चुका है। संसद की प्रवर समिति भी इस पर विचार कर चुकी है। सन १९५७ में जब इस अधिनियम का पिछली बार संशोधन किया गया था तब से इस के कार्य संचालन को देखते हुए यह निश्चय हो गया है कि निगम के लिये यह आवश्यक है कि वह औद्योगिक क्षेत्र में सहायता दे। बार बार इस के बारे में प्रश्न पूछे गये हैं सरकार ने सदैव ही उन पर अच्छी तरह विचार किया है। इस सम्बन्ध में भारत के रक्षित बैंक से तथा विभिन्न मंत्रालयों से भी परामर्श किया जा चुका है कि किस प्रकार इस का कार्यसंचालन सुगम बनाया जाये और देश की भलाई के लिये उसे तेजी से आगे बढ़ाया जाये। अब अवस्था यह है कि निगम जो भी सहायता देगा, कुछ मिला कर उस का क्षेत्र पूर्णतः इस क्षेत्र में कार्य करने वाली अन्य वित्तीय संस्थाओं के अनुरूप ही होगा। और इस के द्वारा देश की औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा। इसी उद्देश्य से तो निगम को और अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। निगम सम्बन्धी सारे सिद्धान्त में लचीलेपन की व्यवस्था की गई है।

अनुसूचित बैंकों से लिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में निगम द्वारा गारंटी दिये जाने के पर्याप्त कारण हैं। वास्तव में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये बाजार में जा कर ऋण मांगना बड़ा कठिन होता है। सामान्यतः वे बैंकों के पास ऋण मांगने जाते हैं ताकि वे औद्योगिक विकास कर सकें। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा सार्वजनिक निकायों आदि के लिये ऋण मांगना बहुत ही आसान बात है। यह तो बड़ी ही विषम स्थिति होती कि निगम बाजार से लिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में तो गारंटी दे लेकिन बैंकों से लिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में गारन्टी न दे। इस विधेयक का उद्देश्य इस कमी को दूर ही करना है। निगम में ९९ प्रतिशत पूंजी सरकार की है। यही कारण है कि निगम को १ करोड़ रुपये के ऊपर की रकम की अतिरिक्त गारंटी से मुक्त करने वाला संशोधन किया जा रहा है। निगम के २० प्रति अंश सरकार के हैं इस के अलावा वह शेष अंशों के ४ करोड़ लागत की गारंटी भी देती है। इस के अलावा वह निगम को अधिक से अधिक ऋण भी देती है। बोर्डों के प्रति गारंटी भी देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि निगम के धन एकत्रित करने का एक मुख्य साधन है। इस तरह सरकार ने २५.७४ करोड़ रुपये की गारंटी दी हुई है। अतः मैं नहीं समझती कि केवल थोड़े से प्रतिष्ठानों के हित में इस प्रकार की गारंटी का उत्तरदायित्व लेना सरकार के लिये आवश्यक है और न ही इसे उचित ही समझा जा सकता है।

श्री वारियर ने ऋणों के बारे में कहा कि यह ऋण केवल थोड़े से उन लोगों को ही दिये जाते हैं जिनके पास काफी धन है। ऐसा नहीं होना चाहिये कुछ लोगों का कहना है कि इनका प्रयोग व्यक्ति-

गत ऐश्वर्य के सृजन में किया जा रहा है । । मेरे विचार में ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता । माननीय सदस्यों ने यदि प्रतिवेदन पढ़ा हो तो उन्हें पता चल जाता कि वस्तुस्थिति क्या है । लेकिन सदस्यों की जानकारी के लिये मैं यह बता देना चाहती हूं कि ३०-६-६० तक १४६ प्रतिष्ठानों को लगभग ५०.७३ करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं । बहुत ही थोड़े आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये थे । यद्यपि अब तक ८४.६१ करोड़ रुपये स्वीकृत किय जा चुके हैं । ५०.७३ करोड़ रुपये के ऋण में से गत तीन वर्षों में निम्न प्रकार से ऋण दिया गया :

	करोड़ रुपये
१९५७-५८	८.३३
१९५८-५९	७.४८
१९५९-६०	८.४१

स्वीकृत ऋणों की स्थिति निम्न प्रकार है :

१९५७-५८	७.७९
१९५८-५९	३.७९
१९५९-६०	१७.९२

१९५७-५८ के वर्ष में ४९ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से केवल एक आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया । १९५७-५८ में जिन आवेदन पत्रों की अवधि समाप्त हो गयी थी उनकी संख्या कुल १० थी । १९५८-५९ में इस प्रकार के आवेदन पत्रों की संख्या केवल २२ थी और १९५९-६० में तो यह संख्या केवल छः थी । लेकिन इस के लिए निगम को कोई दोष नहीं दिया जा सकता । निगम के बनने के बाद से अब तक ८४.६१ करोड़ रुपयेके जो ऋण स्वीकृत हुए उसमें से ३३.८८ करोड़ रुपये भुगतान न किये जा सके । इसके लिए भी निगम को दोष नहीं दिया जा सकता । यह अन्तर निम्न प्रकार से पूरा किया गया :

	करोड़ रुपये
जो ऋण न दिये गये अथवा उपलब्ध न हो सका	१०.९५
जो ऋण इस शर्त पर स्वीकृत हुआ कि सरकार की मंजूरी से उसे दिया जायेगा, उसके लिये ३०-६-६० तक प्रतीक्षा की गयी दी जान वाली राशि	१०.४२
ऋण जिनकी आवश्यक औपचारिक कार्यवाही पूरी न हो सकी और जो दिये जायेंगे	१२.५१

स्पष्ट ही है कि निगम का इसमें दोष नहीं है कि यह राशि नहीं बांटी जा सकी, कुछ आधारभूत सिद्धान्तों का भी पालन वित्तीय संस्थाओं को करना पड़ता है, क्योंकि इस औद्योगिक वित्त निगम की ९९ प्रतिशत पूंजी सरकार की है ।

और बातों को छोड़ कर मैं प्रादेशिक भेदभाव की बात को लेती हूं जो कि कुछ एक माननीय सदस्यों द्वारा कही गई हैं । मेरा निवेदन है कि निगम से प्रादेशिक विषमता के प्रश्न पर विचार की आशा नहीं की जा सकती । क्योंकि प्रादेशिक भेदभाव औद्योगिक प्रतिष्ठानों के आधार पर होता है । निगम बिल्कुल निष्पक्ष निकाय है । इस सब का उत्तरदायित्व तो सरकार का है और सरकार इस

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

सब के प्रति पूर्णरूप से सचेत है। प्रादेशिक भेदभाव को कम करने के बारे में सदन में जो चिन्ता व्यक्त की गई है वह सराहनीय है। वह भी हमारी राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये। इस पर भी इस दिशा में माननीय सदस्यों द्वारा जो सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं उनका पूरा सत्कार किया जायेगा। फिर भी मैं सरकार की ओर से आश्वासन देना चाहती हूं कि सभा ने जो चिन्ता व्यक्त की है उस पर हम विचार करेंगे और यह ध्यान रखेंगे कि निगम के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन किये बिना और इसके दिन प्रति दिन की कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप किये बिना कोई ऐसा उपाय ढूंढेंगे कि जैसे ही आवेदन प्राप्त होंगे इस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा। निगम द्वारा जो प्रतिवेदन पत्र स्वीकृत किये जायेंगे वे वित्तीय दृष्टि से ठीक होने चाहियें। हमारी नीति हमेशा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही निर्धारित की जायेगी। बड़े बड़े ऋण सरकार के अनुमोदन से ही दिये जाते हैं अतः यह स्पष्ट है कि वह अपने नीति सम्बन्धी निर्णय को कार्यान्वित कराने के प्रति पूर्ण रूप से सचेत और गतिशील रहेगी ही। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखेगी कि वही नीति अपनाई जाये जो अन्य सरकारी कार्यवाहियों में अपनाई गई है और गैर-सरकारी निकायों को लाइसेंस इत्यादि देते हुए भी सरकार अपने इस सिद्धान्त का पूरा ध्यान रखती है। प्रादेशिक विषमता का दोष न आये इसके लिए भी प्रयत्न किया जायेगा। इसके लिये अतः किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह बात सरकार तथा भारतीय वित्त निगम के बीच वादविवाद द्वारा तय की जायेगी। निगम पर किसी प्रकार का प्रादेशिक भेदभाव लगाना उचित नहीं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : निगम पर किसी ने आरोप नहीं लगाया है, उद्देश्य यह है कि ऐसे निदेश सरकार जारी करे कि अर्द्ध विकसित क्षेत्रों में भी उद्योग और पूंजी को आकृष्ट किया जाये। इसके लिये निगम को ऐसी नीति बनानी चाहिये कि पिछड़े हुये क्षेत्रों में उद्योग का विकास हो।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस दिशा में हम से जो भी होगा वह हम अवश्य करेंगे, यह तो मैं पहले ही कह चुकी हूं।

यह बात भी गलत है कि बड़े बड़े उद्योगों को ही ऋण दिये जाते हैं। इस बात के समर्थन में श्री मुरारका जी ने युक्तियां और आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि देश के सात बड़े उद्योगों के लिए जिन ऋणों का अनुमोदन किया गया है उनमें से २५.६२ करोड़ रुपये चीनी उद्योग को, मुख्यतः सहकारी संस्थाओं को दिया गया है। इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों को कुछ न कुछ धन दिया गया है। अतः यह कहना निराधार और अनुचित है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को ही निगम धन दे रहा है। श्री मुरारका जी ने ५० प्रतिशत सीमा में कमी करने का प्रश्न उठाया है। उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि सरकार ५० प्रतिशत की सीमा को कम करने के प्रश्न पर निश्चय ही विचार करेगी। इसके लिये भी अधिनियम में सशोधन की आवश्यकता नहीं है। निश्चय ही सरकार तथा औद्योगिक वित्त निगम इस बारे में विचार करेंगे। और यह तय किया जायेगा कि हम क्या कर सकते हैं। कई मामलों में तो औद्योगिक वित्त निगम ही नियमों को कुछ ढीला कर देता। अतः इस दिशा में कि मध्यम उद्योगों के लिये क्या और अधिक किया जा सकता है, विचार करेंगे।

श्री सोमानी ने जो प्रश्न उठाया है उस सम्बन्ध में निवेदन है कि यह विधेयक किसी बैंक द्वारा दिये गये किसी ऋण विशेष के सम्बन्ध में गारंटी देने के लिये निगम को बाध्य नहीं करता। वर्तमान अधिनियम की धारा ३(२) के अन्तर्गत उसको समर्थ बनाने की व्यवस्था मौजूद है। फिर भी

---

†मूल अंग्रेजी में

निगम पूरी तरह सचेत रहेगा और आवश्यकता के समय अपने विवेक का प्रयोग करेगा। प्रत्येक मामले को व्यक्तिगत गुण दोषों के आधार पर ही लिया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि निगम के कार्यकलापों का समुचित प्रचार नहीं किया गया। परन्तु सदन को तो उस सम्बन्ध में सारे तथ्यों से परिचित करा दिया गया है। माननीय सदस्यों ने स्वयं ही इसकी प्रशंसा की है और कहा है कि समिति का प्रतिवेदन बहुत अच्छा है और उसमें सभी बातों को व्यापक रूप से दिखाया गया है। अतः इस प्रकार का आरोप ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि कोई उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि चाहें तो उनको उसकी प्रति उपलब्ध हो सकती है और इस बात का पता लगाया जा सकता है कि ऋण किस किस उद्योग को दिये गये हैं। कहा गया है कि यह ऋण बड़ी सावधानी से दिये जाने चाहियें। मेरा निवेदन है कि संसद ने निगम के काम पर काफी कड़ा नियंत्रण कर रखा है। उसी का परिणाम है कि आज स्थिति में काफी सुधार दिखाई देता है। और मैं स्वयं इसके कार्य को गत दस वर्ष से देख रही हूं। सदन ने भी निगम के कार्य की प्रशंसा की है, परन्तु १९५२ में निगम की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसकी श्लाघा की जा सके। अन्त में मैं उन तमाम माननीय सदस्यों का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने विधेयक का समर्थन किया है। मैं प्रस्तुत करती हूं कि विधेयक पर विचार किया जाय।

†**सभापति महोदय** : श्री प्रभात कार का एक संशोधन है। क्या मैं उसे मतदान के लिये रखूं।

†**श्री वारियर** : हम उस पर जोर नहीं देते।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : अब मैं खंडों को लेता हूं। खंड २ से ४ के बारे में कोई संशोधन नहीं है। मैं उन्हें मतदान के लिये एक ही साथ रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ४ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ से ४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंद ५—(धारा २३ का संशोधन)

†**श्री वारियर** : मैं अपने संशोधन संख्या १ से ७ प्रस्तुत करता हूं।

इन संशोधनों को स्वीकार करने से औद्योगिक वित्त निगम का रूप बदल जायगा। इसका लाभ यह होगा कि क्योंकि इस विधेयक को शीघ्रता से बिना संयुक्त समिति को भेजे पारित कर रहे हैं, अतः इनके कारण इस पर कुछ नियंत्रण रह सकेगा। निगम को काफी अधिकार दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

जो ऋण दिये जाते हैं उनकी समुचित गारंटी होनी चाहिये । मेरे सभी संशोधन ऐसे हैं जिनसे किसी प्रकार की हानि होने की संभावना नहीं और इससे निगम कई कष्टों और प्रभावों से बच जायेगा। मंत्री महोदय को इन्हें स्वीकार करने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिये ।

†श्री मुरारका : मुझे श्री वारियर के संशोधनों की बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। पलाई बैंक का उदाहरण ठीक नहीं है। गारंटी देने से पूर्व निगम विस्तार से सारी देख भाल करेगा। अतः इस प्रकार के किसी भी आपात की संभावना दिखाई नहीं देती जिसकी व्यवस्था करने के लिये इन संशोधनों की आवश्यकता हो ।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : एक बात स्पष्ट तौर पर समझ लेनी चाहिये कि विधेयक किसी बैंक द्वारा दिये गये किसी ऋण विशेष के सम्बन्ध में गारंटी देने के लिये निगम को बाध्य नहीं करता। यह तो निगम को गारंटी देने के लिये ही सक्षम बनाता है। और गारंटी देने से पूर्व निगम खूब अच्छी तरह से अपने विवेक से काम लेगा। जिस उपबन्ध का उल्लेख किया गया है, वह तो केवल एक समर्थ बनाने वाला उपबन्ध है। निगम गारंटी देने से पूर्व अत्यधिक सजग रहेगा और अपने विवेक का प्रयोग करेगा। जैसा कि वह अपने द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिये जाने वाले और ऋणों के बारे में सजग रहता है। अतः माननीय सदस्यों ने जो सन्देह व्यक्त किये हैं वे निराधार हैं और ऐसी कोई बात नहीं है।

ऋण को अंशों में बदल देने की बात कही गयी है। बात यह है कि आखिर निगम को कुछ तो नफा प्राप्त करना ही है। सभा ने जीवन बीमा निगम और भारत के औद्योगिक ऋण अथवा विनियोजन निगम को भी अपने ऋणों को अंशों में बदलने, अंश खरीदने और खुले बाजार में जाने की अनुमति दे दी है। इसी प्रकार हमने निगम के लिये व्यवस्था की है और उसे ऐसा करने को समर्थ बना दिया है। परन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि वह जो चाहे इस दिशा में कर सकता है। यह भी वास्तव में केवल समर्थ बनाने वाला उपबन्ध ही है, यदि निगम लाभदायक और उपयोगी समझे तो किसी समवाय के अंश खरीद सकता है। इसमें भी उसे घाटे का सौदा करने की अनुमति नहीं है यद्यपि विधेयक में यह अधिकार निगम को दिये हैं कि वह लचीला दृष्टिकोण अपना सकता है। निगम को इस बात की भी छूट दी गई है कि वह अपने ऋण का कुछ भाग अंश खरीदने अथवा ऋण पत्र खरीदने में लगा सकता है । मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि इस में कुछ खतरा भी है, परन्तु व्यापार में थोड़ा बहुत खतरा तो लेना ही होता है। परन्तु मुझे विश्वास है कि निगम एक चतुर वित्तीय निकाय की हैसियत से काफी सचेत रहेगा और काम करेगा। विधेयक के खंड ८ की धारा ४२ में संशोधन कर के यह व्यवस्था कर दी गयी है कि इस दिशा में सरकार जो निगम बनायेगी उन्हें सरकारी गजट में छापा जायेगा और ३० दिन के भीतर संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा । यदि वह नियम जनहित के विरुद्ध होंगे, तो संसद उस के विरुद्ध निर्णय ले कर उस में समुचित परिवर्तन कर सकती है। अतः इस मामले में भी संदेह की बात नहीं रह जाती। प्रस्तुत संशोधनों में सार की बात कोई नहीं है, अतः मैं उन्हें स्वीकार नहीं करती।

†सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधनों पर आग्रह करते हैं?

†श्री वारियर : जी हां ।

†सभापति महोदय : तो मैं उन सब को एक साथ मत दान के लिये रखूंगा। मैं संशोधन संख्या १ से ७ तक मतदान के लिये रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में]

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ से ७ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ६--(धारा २४ का संशोधन)

†**श्री वारियर :** मैं अपना संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं ।

चूंकि श्री प्रभातकार ने इस की अच्छी व्याख्या कर दी है, अतः इस बारे में मैं और कुछ अधिक नहीं कहना चाहता ।

†**सभापति महोदय :** क्या संशोधन संख्या ८ पर माननीय सदस्य आग्रह करते हैं ?

†**श्री वारियर :** जी नहीं ।

संशोधन संख्या ८, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।

†**सभापति महोदय :** चूंकि खंड ६, ७ और ८ के बारे में कोई संशोधन नहीं है, अतः मैं खंड ६, ७ और ८ को एक साथ मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है

"कि खंड ६, ७, और ८ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६, ७ और ८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** श्रीमन् मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्यम पत्तन विकास समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा मध्यम पत्तन विकास समिति के प्रतिवेदन पर, जो ९ सितम्बर, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

यह समिति १९५८ में नियुक्त की गई थी । इस ने अपना प्रतिवेदन अप्रैल, १९६० में प्रस्तुत किया जो ९ सितम्बर, १९६० को सभा पटल पर रखा गया । इतनी अवधि बीत जाने पर भी हमें अब तक यह पता नहीं है कि सरकार ने सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

छोटे बन्दरगाहों का विकास का विचार बहुत उत्तम है क्योंकि बड़े बड़े बन्दरगाह इतने विशालकाय हो गये हैं कि उन में फेर बदल करने से हमारा काम पूरा नहीं होगा और धनराशि भी अधिक व्यय करनी पड़ेगी।

आज हमारे सामने लौह अयस्कों के निर्यात का प्रश्न है । प्रतिवेदन में भी बताया गया है कि जापान, पूर्व योरोपीय देश लौह अयस्क के खरीददार हैं । ऐसा अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक हम ९० लाख टन लौह अयस्क का निर्यात करने योग्य हो जायेंगे । इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम मध्यम श्रेणी के कुछ बन्दरगाहों को बड़े बन्दरगाहों का रूप दें ।

आन्ध्र प्रदेश की कानाडा बन्दरगाह को लीजिये । प्रतिवेदन में भी बताया गया है कि इस बन्दरगाह का विकास किया जाना चाहिये जिस से यहां वार्षिक चार लाख टन भार को लादा उतारा जा सके । इसका विकास होना चाहिए जिस से भद्राचलम से तम्बाकू, तथा अन्य स्थानों से तिलहन और मूंगफली का निर्यात आसानी से किया जा सके । हम जानते हैं कि विजगापटनम बन्दरगाह अब दण्डकारण्ड परियोजना, तथा अन्य निर्माण कार्यों के कारण बहुत खचाखच रहने लगा है । हमें पता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र परियोजना की मशीनें आदि विज़ागापतनम बन्दरगाह पर जगह न होने के कारण नहीं उतारी जा सकीं और उन को कलकता ले जाया गया । परन्तु वहां पर भी बहुत दिनों के बाद भारी विलम्ब शुल्क देकर ही इन मशीनों को उतारा जा सका । इस कारण तथा आन्ध्र प्रदेश के खम्मम-वारंगल जिलों के लौह अयस्कों को निर्यात के कारण आवश्यक है कि काकिनाडा बन्दरगाह को बड़ा बन्दरगाह बनाया जाये । मुझे पता लगा है कि राज्य व्यापार निगम इस क्षेत्र में पांच लाख टन लौह अयस्क का निर्यात करना चाहता है । मैं नहीं जानता कि समिति के समक्ष यह बात क्यों नहीं बताई गई । इस के अतिरिक्त इस बात पर भी विचार नहीं किया गया कि सिंगरेनी कोयला खानों में लंका को कोयले का निर्यात किया जा सकता है । यह सभी क्षेत्र काकिनाडा बन्दरगाह के निकट हैं ; और इसका विकास करने पर पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा निवेदन है कि सरकार को शीघ्रातिशीघ्र काकिनाडा बन्दरगाह का विकास करना चाहिए । ऐसा करने के लिये आवश्यक है कि ४०० फीट चौड़ी और ४० फीट गहरी चार मील लम्बी एक नहर बनाई। जाये : ५ करोड़ रुपये से ६ करोड़ रुपये की लागत से ६ बर्थ बनाई जानी चाहियें; इस प्रकार की व्यवस्था कर लेने पर लौह अयस्क तथा कोयले का निर्यात बड़ी आसानी से हो सकगा ।

इस के अतिरिक्त मंगलौर बन्दरगाह का विकास करने पर भी लौह अयस्क का निर्यात करने में आसानी होगी । मैं बताना चाहता हूं कि साण्डू क्षेत्र की खानों में पूरी क्षमता से लोहा इसीलिए नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि वहां पर परिवहन साधन पर्याप्त नहीं है । मैं ने देखा है कि मद्रास विभाग में गुंत्तकल तथा गूटी स्टेशनों पर भारी मात्रा में लौह-अयस्क पड़े हैं । मैं समझता हूं कि यदि मंगलौर को बड़ा बन्दरगाह बना दिया जाये तो देश में लौह अयस्कों का निर्यात किया जा सकता है और विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है ।

तूतीकोरिन परियोजना एक अधिकृत परियोजना है क्योंकि इसका सम्बन्ध सेतुसमुद्रम परियोजना से है । इसलिए सेतुसमुद्रम परियोजना और तूतीकोरिन बन्दरगाह का विकास करने को उस क्षेत्र की परिवहन संबंधी कठिनाइयां काफ़ी हद तक दूर हो जायेंगी ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलदूग) : मैं ने इस समिति के प्रतिवेदन को पढ़ा है और मैं समिति के सदस्यों को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े गहन अध्ययन के बाद यह बताया कि कहां पर, किस कारण से तथा क्यों, मध्यम श्रेणी के बन्दरगाहों का विकास हो

भारत का तट लगभग ३,५०० मील लम्बा है परन्तु यदि हम इस तट पर बन्दरगाह की संख्या देखें तो पता लगता है कि यह संख्या अपर्याप्त है । मैं समझता हूं कि किसी देश के विकास के लिए पर्याप्त बन्दरगाहों का होना नितान्त आवश्यक है । मैं केवल मैसूर राज्य के बन्दरगाहों के विकास के बारे में ही सभा में बताऊंगा।

मैसूर राज्य की यह चिर इच्छा रही है कि मैसूर में एक बड़ा बन्दरगाह रहे। श्री विश्वेश्वरैया तथा उन के बाद के सभी लोगों ने भटकल को बड़ा बल्दरगाह बनाने का प्रयत्न किया । परन्तु कई कारणों से यह योजना सफल नहीं हो पाई । इस के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया और मैसूर राज्य को दो अविकसित बन्दरगाह, मंगलौर, और करवाड़ मिले। तभी से हम भारत सरकार पर ज़ोर डाल रहे हैं कि इन बन्दरगाहों का विकास किया जाये । इस के बारे में कई समितियां नियुक्त की गईं; जिन्होंने कई बन्दरगाहों के विकास की सिफारिश की परन्तु सरकार ने उन सिफारिशों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की । मुझे आशंका है कि कहीं इस समिति की सिफारिशों का भी यही हाल न हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहम्मद इमाम]

हम जानते हैं कि हमारे देश में बिहार, उड़ीसा तथा मैसूर राज्य के बेल्लारी और केभानागुंडी में लोहे की खानें हैं और कई देश हम से लौह अयस्क मांग रहे हैं। जापान को तो लौह अयस्क जा ही रहा है। परन्तु जापान के अतिरिक्त चैकोस्लोवाकिया पोलैंड, रूमानिया, इटली आदि अन्य देश हैं जिन्होंने लौह अयस्क की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि लौह अयस्क पश्चिमी तट के किसी पत्तन से दिया जाये। पश्चिमी तट में कारवाड़ और मंगलौर बन्दरगाह ऐसे हैं जिनका विकास होने पर भारी जहाजों को भी वहां खड़ा किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि मंगलौर से निर्यात संभव हो तो यह देश घटिया किस्म के लौह अयस्क भी खरीद सकते हैं।

इस समय लौह अयस्क लेने के लिए इन देशों को बम्बई तथा काकिनाडा जाना पड़ेगा और यह ऐसा नहीं चाहते क्योंकि एक टन पर ३० रुपये भाड़ा पए जाता है। ऐसी स्थिति में यही सर्वोत्तम उपाय है कि पश्चिमी तट पर एक बन्दरगाह बनाया जाये, और उसको रेल से मिलाया जाये जिस से लौह अयस्कों का आसानी से निर्यात किया जा सके।

हम कई वर्षों से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि हसन से मंगलौर तक १३० मील की रेलवे लाइन बना दी जाये। परन्तु सरकार हमारी मांग को ठुकराती चली आ रही है। इस के अतिरिक्त होज़पेट से गुन्तकल तक बड़ी लाइन बनाने की, गुन्तकल से रेनीगुन्टा तक तथा बंगलौर से जोलारपेट तक दोहरी लाइन बनाने की योजनायें सरकार ने बनाई हैं। इन योजनाओं को देखने पर पता लगता है कि कुछ ऐसा प्रयास किया जा रहा है जिस से पश्चिमी तट पर बन्दरगाह न बनाये जाये और लौह अयस्क पूर्वी तट पर ही ले जाये जायें। मैं बताना चाहता हूं कि यदि कारवाड़ से दुबली, कोत्तूर से हरीहर, रायद्रुग से चितलद्रुग की तीन रेलवे लाइन बना दी जायें तो १०० मील की समुद्री यात्रा बच सकती है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सरकार की, होजपट से गुन्तकल तक तथा गुन्तकल से रेनीगुन्टा तक दोहरी लाइन बनाने की तथा भारकोरम से मद्रास तक रेलवे लाइन बनाने की योजना में लगभग २१ करोड़ रुपये लगेंगे जब कि आय केवल ३.५ प्रतिशत होगी। परन्तु मैंने जो लाइनें बताई हैं उनकी लागत रेलवे बोर्ड ने १९ करोड़ रुपये बताई है और आय ८.३५ प्रतिशत बताई है इसके अतिरिक्त बन्दरगाह के विकास में १० करोड़ रुपया लगेगा और ४५ लाख रुपये वार्षिक की आय हो जायेगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को इसका विकास करना चाहिये और रेलवे लाइनों को बनाना चाहिये जिससे अधिक आय हो सके।

†श्री सूपकार (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्यम पत्तन विकास समिति ने अपने प्रतिवेदन में लौह अयस्क के निर्यात के महत्व पर अधिक जोर दिया है। समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि भारतीय लौह अयस्क निर्यात व्यापार की मुख्य मद है। और भारत अपनी किस्म के लौह अयस्क का निर्यात करने में समर्थ भी है।

†मूल अंग्रेजी में

सभी जानते हैं कि समस्त भारत में उड़ीसा में ही सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है। उड़ीसा से टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को ५० वर्षों से लोहा मिलता रहा है। अब राउरकेला और दुर्गापुर को लोहा दिया जा रहा है। जापान को प्रति वर्ष २० लाख टन लोहे अयस्क दिया जा रहा। उड़ीसा के सुकिन्डा में लगभग १३०० लाख टन लौह अयस्क है। इस क्षेत्र के निकट उड़ीसा में परदीप बन्दरगाह है।

जनवरी १९५८ में परदीप को छोटा बन्दरगाह घोषित किया गया था जबकि उड़ीसा के निवासी हम लोग भारत सरकार से १९५७ से आग्रह कर रहे थे कि इस को बड़ा बन्दरगाह बनाया जाये। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने इस बन्दरगाह के विकास को अब प्राथमिकता दे दी है।

पूना अनुसंधान केन्द्र और जापानी फर्म मैसर्स किनोशिता एण्ड कम्पनी ने परदीप बन्दरगाह के बारे में प्रयोग किए हैं जिनके बड़े सुन्दर परिणाम निकले हैं। इस बन्दरगाह की लागत ९.५ करोड़ रुपये कूती गई है। मुझे प्रसन्नता है कि इसके प्राथमिक कार्यों के लिये ९९ लाख रुपये भारत सरकार ने आवंटित किए हैं और तीसरी योजना में ५५.३० लाख रुपये रखे हैं। मैं आशा करता हूं कि यह कार्य तीसरी योजना की समाप्ति से पहले ही पूरा हो जायेगा।

परन्तु मैं चाहता हूं कि जिस शीघ्रता से इसका विकास किया जा रहा है उससे भी कहीं अधिक शीघ्रता से इसका विकास होने की आवश्यकता है जिससे उसी शीघ्रता से हम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त आज हम देखते हैं कि कलकता बन्दरगाह पर बहुत भीड़-भाड़ रहती है और बड़े-बड़े जहाज इस बन्दरगाह में नहीं घुस पाते हैं। मैं समझता हूं कि परदीप पत्तन का शीघ्र विकास हो जाने पर यह कठिनाई भी दूर हो जायेगी।

यह खेद का विषय है कि तीसरी योजना में रेलवे ने कलकत्ता-मद्रास रेलवे को सुकिन्डा खानों से मिलाने के लिए धनराशि नहीं रखी है। यह पूरी केवल १७ मील है। मैं आशा करता हूं कि परिवहन मंत्रालय रेलवे को इस लाइन को बनाने के लिये बाध्य कर देगा।

जब भी कभी पत्तनों के विकास की बात कही जाती है तभी रेलवे के विकास का प्रश्न सामने आ जाता है। रेलवे से जब लाइनें बनाने को कहा जाता है तब हमें धन की कठिनाई बताई जाती है। मैं समझता हूं कि अब वह समय नहीं है जब हमें कठिनाइयां बताई जायें। अब तो वह समय है जब देश के विकास के लिये कार्य किया जाये। यदि रेलवे लाइनें बना दी जायें तो मुझे पूरा विश्वास है कि परदीप पत्तन का शीघ्र विकास हो जायेगा और जितना धन इसके विकास में लगेगा उससे कहीं ज्यादा इस बन्दरगाह से मिल जायेगा।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया): सबसे पहले मैं मुख्य पत्तनों की बात करना चाहता हूं। वे उपेक्षित हैं और उनमें अग्रेत्तर विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बड़े खेद की बात है कि कलकत्ता जैसे बड़े बड़े पत्तन उपेक्षित अवस्था में पड़े हैं। कलकत्ता पत्तन की अवस्था तो गत १५ वर्षों में बहुत ही खराब हो गई है। दूसरे महायुद्ध से पूर्व वहां १६००० टन के जहाज भी आते जाते थे परन्तु अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहां ६००० टन के भी नहीं आ जा सकते। कारण यह है कि नदी के तल से रेत और मिट्टी हटाने वाले पन्नों की संख्या पर्याप्त नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ है कि नदी तल में और भी अधिक रेत और मिट्टी भर गई है। पानी का संभरण करने वाले झारक्का बधि का काम भी अभी आरम्भ नहीं किया गया है। इसका

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अरविन्द घोषाल]

परिणाम यह होता है कि बड़े-बड़े बन्दरगाह अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाते और इस प्रकार वे राष्ट्र की पूरी सेवा जो कि उन्हें करनी चाहिये नहीं कर पाते। अतः सब से प्रथम हमारा कर्तव्य यह होना चायिे कि इन मुख्य पत्तनों का ठीक ढंग से विकास किया जाय। और उन्हें उनकी पूरी क्षमता के अनुकूल बनाया जाये।

यह मद पत्तन विकास के सम्बन्ध में सरकार ने एक समिति की स्थापना की थी जिसने १९६० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इन अधिकांशतः पत्तनों का विकास निर्यात व्यापार अथवा कच्चे लोहे पर निर्भर करता है। सरकार का विचार है कि १९६६–६७ तक १३० लाख टन कच्चे लोहे के निर्यात करने की संभावना है। और कुछ वर्षों में यह बढ़ कर १५० टन तक हो सकता है। अतः समिति का मुख्य काम यह देखना था कि इन पत्तनों की क्षमता बढ़ कर १५० लाख टन तक हो जाये। उपरोक्त पत्तन विकास समिति ने १९ पत्तनों के विकास करने की सिफारिश की है और प्रत्येक पत्तन के विकास के लिये सुझाव दिये हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार को समुद्रतट वाले आठों राज्यों में एक एक पत्तन का विकास करना चाहिये। इसका फल यह होगा कि देश से खनिजों के निर्यात में वृद्धि होगी और दूसरे राज्यों को अपने यहां औद्योगिक विकास करने का अवसर मिलेगा। निर्यात बढ़ेगा और चौथे वस्तुओं का निर्यात मूल्य भी कम हो जायेगा। साथ ही इस प्रकार के पत्तनों के पीछे के क्षेत्रों का विकास हो जायेगा और चीजें भी कुछ सस्ती मिलने लगेगी। पत्तनों को मिलाने के लिये अपेक्षित रेल लाइनों की भी व्यवस्था करनी चाहिये। अधिकांशतः मध्यम पत्तन रेलवे लाइनों से जुड़े हुये नहीं हैं।

सरकार को इस बारे में भी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिये कि क्या हल्दिया का विकास एक बड़े पत्तन के रूप में किया जा रहा है अथवा नहीं? स्थिति यह है कि माल उतारने इत्यादि के भारी खर्चे के कारण नौवाहक इस पत्तन की ओर आने से कतराते हैं। क्योंकि वहां अधिक किराया देना पड़ता है। सरकार को चाहिये कि उन देशों की सहायता से, जो हमारे लौह अयस्क जैसी चीजें खरीदना चाहते हैं इन पत्तनों के विकास की सम्भावना पर विचार करे। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि पत्तन विकास समिति के प्रतिवेदन को शीघ्र ही कार्यन्वित किया जाना चाहिये।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा): गत दस वर्षों में इस दिशा में तीन समितियां सरकार द्वारा नियुक्त की गई हैं। दूसरी समिति ने १९४८ में सरकार को प्रथम दर्जे के पत्तन के रूप में विकसित करने की सिफारिश की। इस बात के बावजूद कि एक प्रथम श्रेणी के पत्तन के रूप में कारबार से बड़ी आशायें थीं और आशायें हैं परन्तु सरकार ने इन तमाम बातों की उपेक्षा करके मंगलौर को प्राथमिकता दी और वे उस पर १२ लाख रुपये व्यय करना चाहते थे। पता नहीं मंगलौर को प्राथमिकता क्यों दी गई। हालांकि सरकार को इस बात का पता है कि कारबार थोड़े धन और थोड़े प्रयत्नों से ही विकसित हो सकता है। ५ करोड़ के खर्च से हम यहां पश्चिमी तट की सब से सुन्दर और उपयोगी पत्तन का निर्माण कर सकते हैं। रूमानियन और इटालियनों ने भी इसके लिए सहायता देने को कहा है। परन्तु किसी बात की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मेरा निश्चित मत है कि सरकार ने इस पत्तन का विकास न करके बड़ी भारी भूल की है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्): यह तो निश्चित है कि भारत जैसे विशाल देश में पत्तनों की बहुत कमी है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह बड़े महत्व की बात है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को ही प्रस्तुत करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

समिति ने तूतीकोरन पत्तन को प्राथमिकता दी है, परन्तु इस बात को भुलाया नहीं जाना चाहिये नागापट्टम से पूर्व की ओर यात्रियों का बहुत ही आवागमन होता है। कुदालोर में निर्यात काफी बढ़ रहा है। ५ लाख टन लौह अयस्क का निर्यात होता रहा है। अब यह मात्रा बढ़ भी रही है। इस पर भी यहां कई वर्षों से कुछ नहीं किया गया। यह भी खेद की बात है कि तूतीकोरन के विकास के लिये या सेतुसमुद्रम परियोजना के लिये तीसरी योजना में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई। इसके विकसित हो जाने से ३६१ मील की दूरी कम हो जायेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सड़कों का कार्य भी इन्हीं मंत्री महोदय के आधीन है अतः मेरा निवेदन है कि कलकत्ते से कुमारी अन्तरीप तक जाने वाली सड़क का विकास किया जाना चाहिये।

†श्री गोरे (पूना) : समिति के प्रतिवेदन में लौह अयस्क के निर्यात पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। आज हमारे पत्तनों की जो अवस्था है उसे देखते हुये पता चलता है कि उस दिशा में काफी उपेक्षापूर्ण व्यवहार होता रहा है। अतः इस पृष्ठ भूमि में यह बात बड़ी सन्दिग्ध है कि क्या हम सब इस सम्बन्ध में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे।

यह तो कहना ठीक नहीं कि केवल महाराष्ट्र में ही पत्तनों का विकास होना चाहिये। मेरा मत है कि केवल कलकत्ता, मद्रास और बम्बई को पत्तनों का ही विकास नहीं होना चाहिये प्रत्युत छोटे छोटे पत्तनों को भी विकसित किया जाना चाहिये। इस बात का भेदभाव नहीं रखा जाना चाहिये कि यह पत्तन पूर्वी तट पर हो अथवा पश्चिमी तट पर हो।

महाराष्ट्र के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राज्य की प्राकलन समिति ने इस उद्देश्य के लिए ७५ लाख रुपया स्वीकृत किया परन्तु इस दिशा में केवल २ लाख रुपया ही खर्च किया गया। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि राज्य सरकारें पत्तनों के विकास के लिये आवंटित धन का पूरा पूरा उपयोग करे। इस मामले को सुनिश्चित करने के लिये, यदि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे तो हस्तक्षेप भी कर ले। ऐसा करने से अनुसूचित समय में पत्तनों का विकास सम्भव हो सकेगा।

महाराष्ट्र में रेडी नामक पत्तन का बड़ा महत्व है। इसे बहुत ही सुचारू ढंग से विकसित किया जा सकता है। इसके आस पास लौह अयस्क के निक्षेप है। राज्य व्यापार निगम के अनुमान के अनुसार यहां से ५०० से ६०० लाख टन अयस्क उपलब्ध हो सकता है। हमारा अब निर्यात लगभग १ लाख टन का है। अतः यदि हम लौह-अयस्क के निर्यात के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, तो इस दिशा में प्रयत्न किया ही जाना चाहिये। यहां पर खर्च का, अनुमान कुल १० लाख रुपये का है। इतने खर्च से लौह अयस्क का निर्यात यहां से सम्भव हो जायेगा। हमारे विदेशी विनिमय के साधनों में यह साधन सब से महत्वपूर्ण है। इसे विदेशों में पहुंचाना ही चाहिये। अतः इस लक्ष्य के लिये पत्तन सुविधाओं का विकास तो अपेक्षित है ही।

इसके अतिरिक्त मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरि पत्तन के विकास का उल्लेख करना चाहता हूं। यहां पर यात्री यातायात और माल का यातायात काफी मात्रा में उपलब्ध है। अतः इसका विकास किया जाना चाहिये। उसके लिए १५ से २० लाख रुपये की राशि काफी होगी। परन्तु खेद है कि इस दिशा में यह भी प्राप्त नहीं हो रहा।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर एक दूसरी दृष्टि से विचार करना चाहता हूं। सवाल यह है कि रेलवे स्टेशन्ज होने चाहियें, या पोर्टस होने चाहियें। अगर हम

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुनाथ सिंह]

इंटरमीडिएट पोर्ट्स चाहते हैं, तो उसके लिये कोस्टल शिपिंग जरूरी है। अगर वह नहीं होगा और कोस्ट में कारगो नहीं होगा, तो हम फिर इंटरमीडिएट पोर्ट लेकर क्या करेंगे ? आज हमारा कोस्टल शिपिंग मर रहा है। **ईट इज प्रैक्टिकली डाइंग**। इस क्षेत्र में जितनी भी कम्पनियां हैं, वे अपने कारोबार को बन्द कर रही हैं। यहां तक कि वे कोस्टल शिपिंग के कारोबार को बन्द कर के ओवरसीज शिपिंग में जा रही हैं। उसका कारण यह है कि कोस्ट पर जहां रेलवे लाइन है, उसके द्वारा शिपिंग के फ्रेट से कम फ्रेट पर सामान पहुंचाया जा रहा है। यहां पर साल्ट और कोल की बात कही गई है। पहले सारा कोल और साल्ट कोस्टल शिपिंग से जाया करता था, लेकिन अब वह सारा शिपिंग से न जाकर रेलवे से जा रहा है। इसलिये यह विचार करना चाहिये कि अगर हम इन पोर्ट्स को जीवित रखना चाहते हैं, तो हमको यह भी विचार करना होगा कि इनको कैसे फीड किया जाये, कैसे उनको आमदनी हो, कैसे पर्याप्त कारगो की व्यवस्था की जाये और कैसे पैसेंजर्ज आयें। आज रेलवे के फ्रेट और कोस्टल शिपिंग के फ्रेट में जो युद्ध हो रहा है, उसका कोई न कोई उपाय होना जरूरी है। अगर आप कोस्टल शिपिंग चाहते हैं और इंटरमीडिएरी पोर्ट्स चाहते हैं तो आपको इस समस्या का निराकरण करना होगा कि रेल में और कोस्टल शिपिंग में कम्पीटीशन न हो। वे दोनों ही भारतवर्ष के अंग हैं और दोनों ही से देश को लाभ होने वाला है। इस वास्ते दोनों में कम्पीटीशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिये।

हमारे भाइयों ने जितने भी आर्गुमेंट दिये उन सभी को उन्होंने आयरन ओर के एक्सपोर्ट पर बेस किया है। आप मंगलौर को ही ले लीजिये। वहां पर चूंकि इटली और वैस्ट जर्मनी का इंटिरेस्ट है और चूंकि वहां से आयरन-ओर एक्सपोर्ट होता है, लिहाजा वे लोग अपना रुपया इनवैस्ट करने के लिये तैयार हैं। पारादीप में चूंकि जापान का इंटिरेस्ट है और वहां से आयरन ओर एक्सपोर्ट होना है, इस वास्ते उस पर जापान रुपया इनवैस्ट करने के लिये तैयार है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मामले पर हमें दूसरे ही दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। हम हमेशा ही आयरन ओर एक्सपोर्ट नहीं करते रहेंगे। हम जानते हैं और हम चाहते हैं कि पैरादीप का अवश्य डिवेलेपमेंट हो और उड़ीसा के पास कम से कम एक तो अच्छा पोर्ट हो। लेकिन जैसा कि एक भाई ने कहा कि नागापट्टिनम से पेनांग, स्ट्रैटनहैम, मलाया और सिंगापुर को पैसेंजर सर्विस जाती है और हिन्दुस्तान के दो जहाज जाते हैं। जब ये जहाज जाते हैं तो उनको कोस्ट से तीन मील दूर खड़ा रहना पड़ता है। कम से कम ५०० पैसेंजर्ज पर वीक इन जहाजों से जाते हैं। छोटी छोटी नावों में बैठ करके लोग जहाज तक जाते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करता चाहता हूं कि नागापट्टिनम में पैसेंजर्ज और कारगो के लिये इंतिजाम होना चाहिये।

तूतीकोरिन के बारे में जैसा कहा गया है कि सेतु समुद्रम की स्कीम अगर पूर्ण हो गई तो तूतीकोरिन हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा पोर्ट हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि तूतीकोरिन को इस दृष्टि से प्रायोरिटी दी जानी चाहिये।

मैसूर स्टेट का जहां तक संबंध है, मंगलौर पोर्ट की अभिवृद्धि होनी चाहिये और उसके लिये जितना रुपया दिया जा सके, दिया जाना चाहिये।

अन्त में एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे और शिपिंग में जो कम्पीटीशन है, इसको रोकने के लिये सरकार को कोई न कोई उपाय खोजना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोस्टल शिपिंग का देहावसान हो जायेगा और अगर कोस्टल शिपिंग समाप्त हो गया तो आपके इंटरमीडिएरी पोर्ट्स भी चलने वाले नहीं हैं।

†श्री कोडियान (क्विलोन--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं केवल केरल के पत्तनों के संबंध में ही बातचीत करूंगा। समिति ने सिफारिश की है कि क्विलोन के लिये नीनदकारा पत्तन का विकास किया जाना चाहिये, क्योंकि यह मौसमी पत्तन है। इस बारे में सभी प्रकार के प्रयोग कर लिये गये थे। क्विलोन क्षेत्र के लिये पत्तन बनाने-हेतु स्थान का निर्णय करने में विलम्ब के फलस्वरूप उस क्षेत्र के व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इस संबंध में शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिये। इससे पत्तन पर कार्य करने वाले लोगों में भी बेकारी और असन्तोष बढ़ रहा है। इस दिशा में अपेक्षित शीघ्रता से कार्य किया जाना चाहिये।

मुझे इस बात का भी खेद है कि यद्यपि समिति ने गुजरात के पोरबन्दर पत्तन को एक मध्यवर्ती पत्तन के रूप में विकसित करने की सिफारिश की है, परन्तु उसने बेपोर को विकसित करने की संभावनाओं पर विचार नहीं किया। उसे बहुत ही कम लागत से विकसित किया जा सकता है। यह पत्तन सभी मौसमों में काम कर सकता है। सरकार को इस बात का अच्छी प्रकार से परीक्षण कर लेना चाहिये। मेरा निवेदन है कि केरल की नितांत उपेक्षा की जा रही है। कोचीन जैसे मुख्य पत्तन की ओर भी उदासीनता का व्यवहार किया जा रहा है। द्वितीय योजना में कोचीन के विकास के लिये ५ लाख की व्यवस्था की गयी थी परन्तु उसमें से केवल ४ लाख का ही खर्च किया गया। तीसरी योजना में नौवहन तथा पत्तनों के विकास के लिये ७५ करोड़ की व्यवस्था की गयी है परन्तु कोचीन के लिये केवल ७५ लाख रखा गया है।

†श्री थानू पिल्ले (तिरुनलवेली): यह बड़े खेद की बात है कि तूतीकोरन के विकास को तीसरी योजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया। इस पत्तन में बहुत ही मामूली मात्रा में रेत और मिट्टी जमी है। इस स्थान से बहुत ही बड़ी मात्रा में माल आता जाता है। आशा करनी चाहिये कि इसे तीसरी योजना के अन्तर्गत ले लिया जायेगा और शीघ्र ही इसके विकास के कार्य को आरम्भ कर दिया जायेगा।

सेतुसमुद्रम् परियोजना को भी आरम्भ किया जाना चाहिये, क्योंकि तूतीकोरन की क्षमता कम होने के कारण अन्य पत्तनों से कोलम्बो को जो माल जाता है, उसके खर्च में बचत होगी। कोचीन द्वारा माल का आना जाना बहुत महंगा होगा और इससे हमारे निर्यात व्यापार पर भी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही नागाण्ट्रम पत्तन का भी विकास किया जाना चाहिये ताकि पूर्व को जाने वाले यात्री यातायात को सुविधाजनक बनाया जा सके। समिति ने कन्या कुमारी जिले के कोलाचल पत्तन की ओर भी ध्यान नहीं दिया। इसे मिलाने के लिये न कोई सड़क है और न रेल। परन्तु यह पत्तन बड़े महत्व का है। सूखी मछली और अन्य बहुत सी चीजें यहां से निर्यात की जाती हैं। इसके विकास के लिये केवल दो लाख की व्यवस्था की गयी है। मंत्री महोदय से मेरी विनय है कि वह इस मामले पर सहानुभूति से विचार करेंगे।

†श्री आचार (मंगलौर) : मैं समिति को इसके प्रतिवेदन के लिये धन्यवाद देता हूं। मुझे खेद है कि माननीय मित्र श्री आल्वा ने स्थिति को इस प्रकार प्रकट किया है जैसे करवर और मंगलौर में कोई मुकाबला हो। यह भी सोचना सही नहीं है कि तूतीकोरन को मंगलौर से अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। दोनों पत्तनों का एक जैसा महत्व है। और दोनों की ओर समान ध्यान दिया जाना चाहिये। दोनों का विकास होना चाहिये। मंगलौर पश्चिमी तट और गोआ और कोचीन के बीच में है। करवर भी मंगलौर से १५ मील की दूरी पर है। उसका भी विकास करना ही होगा। मंगलौर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आचार]

में सभी सुविधायें हैं और तेजी से उसका विकास किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त यह भी लाभ की बात है कि यह सभी मौसमों का पत्तन है।

श्री आसर (रत्नागिरि): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद महाराष्ट्र के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के तीन सौ मील के किनारे पर एक बम्बई को छोड़ कर एक भी पोर्ट बनाने का निर्णय कमेटी ने नहीं लिया है। और यहां के लोगों की जो बहुत दिनों से मांग थी उस पर विचार नहीं किया गया है। इस कमेटी की टर्म्स आफ रेफेरेंस में लिखा है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण और आंतरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुये इस पर विचार होगा। लेकिन विचार करते समय कमेटी ने फाइनेंशल दृष्टि से विचार किया है लेकिन वहां के लोगों की आवश्यकता की दृष्टि से विचार नहीं किया गया है। इसी कारण महाराष्ट्र के ३२० मील के किनारे पर कोई पोर्ट बनाने का निर्णय नहीं लिया गया। नंजदिया कमेटी ने जिन १८ इंटरमीडिएट पोर्टों की सिफारिश की थी उनमें रत्नगिरि भी था। उनमें से बहुत से पोर्ट तो बन गये हैं लेकिन रत्नगिरि का पोर्ट अभी तक नहीं बना है। उसके बारे में अभी तक विचार नहीं किया गया। इंटरमीडिएट पोर्ट डेवेलपमेंट कमेटी दो बार रत्नागिरि गयी लेकिन रत्नागिरि के बारे में उसने जो निर्णय लिया वह उचित नहीं है। इसका कारण यह बताया गया है कि रत्नागिरि पोर्ट में सन् १९५१ से सन् १९५४ तक १–३ लाख पैसिजर का ट्रेफिक था लेकिन बाद में वह कम हो गया। लेकिन यह देखना चाहिये कि इसके कम होने का कारण क्या हैं। इसका कारण यह है कि इस पोर्ट तक जाने के लिये ट्रांस्पोर्ट की सुविधा ठीक नहीं है और लोगों को वहां तक पहुंचने में कठिनाई होती है। इसलिये बहुत से यात्री मोटर से चले जाते हैं। इसी लिये वहां का ट्रेफिक कम हो गया है। हमारे जिले में बम्बई जाने वाले सात आठ लाख आदमी रहते हैं और ट्रेफिक बराबर बढ़ रहा है लेकिन ट्रांस्पोर्ट की दिक्कत की वजह से लोग स्टीमर से नहीं जाते। इसीलिये वहां का ट्रेफिक कम हुआ है।

इनएक्सिसिबिल एरियाज कमेटी ने सिफारिश की है कि रत्नागिरि बैकवर्ड एरिया है और इसको डेवेलप करने की व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य से इस बारे में विचार नहीं किया गया।

हमारी सरकार उस एरिया में चार इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाने वाली है और कोयना प्रोजेक्ट बनायी है और वहां इंडस्ट्री बढ़ रही है। लेकिन बम्बई जाने के लिये वहां ट्रांस्पोर्ट फैसिलिटी नहीं है। कमेटी ने बताया है कि अगर वहां पोर्ट बन जाये तो रत्नागिरि, कोल्हापुर और अन्य स्थानों से भी वहां ट्रेफिक आ सकता है।

आप देखें कि पोर्ट बनने के पहले कांदला पोर्ट की क्या स्थिति थी। वहां कोई ट्रैफिक नहीं था। लेकिन उसका डेवेलपमेंट होने के बाद ही वहां ट्रैफिक बढ़ा है।

तो मैं कहना चाहता हूं कि रत्नागिरि पोर्ट पर विचार किया जाए और अगर उसको डेवेलप किया जाएगा तो वहां भी ट्रैफिक बढ़ेगा। महाराष्ट्र के मंत्री ने भी कहा है कि इस बारे में विचार किया जाए।

श्री ना० नि० पटेल (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दे दिया और गुजरात के लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ इसके

लिए मैं आपका आभारी हूं। लोगों ने हर प्रदेश की बात कही है लेकिन गुजरात राज्य नया बना है। वहां उमरगांव से लगाकर कच्छ तक समुद्री किनारा है लेकिन उस किनारे पर कोई अच्छा पोर्ट नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कांदला है।

श्री ना० नि० पटेल : वह है लेकिन जो महवे, अंकलेश्वर और कैम्बे में तेल निकला है उसको ले जाने के लिए अगर कोई अच्छा पोर्ट नहीं होगा तो उस तेल के ट्रांस्पोर्ट में बड़ी दिक्कत होगी। उस तेल को साफ करने के लिए रिफाइनरी लगाने में भी बड़ी कठिनाई होगी। तो मेरा मंत्री महोदय से सुझाव है और प्रार्थना है कि मकदला एक जगह है। दूसरी जगह है दहेज और तीसरी कैम्बे। इन में से दहेज और कैम्बे में पोर्ट बनाने पर विचार किया जाए ताकि तेल ले जाने में दिक्कत न हो।

दूसरी बात मैं पोर बन्दर के बारे में कहना चाहता हूं। वह भी बहुत अच्छा पोर्ट हो सकता है। वहां बड़े बड़े स्टीमर भी आते हैं लेकिन वहां पोर्ट न होने की वजह से वहां पैसिंजरों के जाने में और माल चढ़ाने और उतारने में भारी दिक्कत होती है। मेरा सुझाव है कि पोरबन्दर के लिए भी कुछ होना चाहिए। और मकदला, दहेज और कैम्बे में जो अच्छा समझा जाए वहां पोर्ट बनाना जरूरी है।

†**श्री शंकरय्या** (मैसूर) : बड़े खेद की ही बात है कि मैसूर राज्य के पास अपना कोई पत्तन नहीं है। अतः मंगलौर को एक बड़े पत्तन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसके सम्बन्ध में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए इस बात का समर्थन किया है। इस दिशा में मैसूर के लोग काफी प्रतीक्षा कर चुके हैं, अतः अब इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जाना चाहिए। इस से मैसूर की जनता की निराशा काफी सीमा तक दूर हो सकेगी। यह स्पष्ट है कि यदि इस ओर ध्यान न दिया गया तो इससे मैसूर की समृद्धि पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : यह भी एक ऐतिहासिक घटनाओं की बात है कि कलकत्ता और बम्बई भारत के प्रमुख पत्तनों के रूप में विकसित हो गये। विदेशी शासकों की इस ओर विशेष कृपा दृष्टि रही। परन्तु भारत के स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात हमें इस समस्या पर नये दृष्टिकोण से विचार करना पड़ा। इस मामले में मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति का यह मत ठीक है कि पत्तन विकास पर सब से अधिक प्रभाव लौह अयस्क के यातायात पर है। अनुमान है कि १९६५–६६ तक हम २२४० लाख टन लौह आयस्क जापान जसे पूर्वी देश को देने में समर्थ हो जायेंगे। अतः पूर्वी तट के पत्तनों का विकास किया जाना चाहिए। इससे लौह अयस्क के निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। प्रदीप पत्तन को उचित ही प्राथमिकता दी गयी है। प्रदीप के विकास के लिए ९ करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जानी चाहिए।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि मध्यम पत्तन विकास समिति की कौनसी सिफारिश तीसरी योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित करने के लिये मान ली गई है। क्या इस समिति ने मध्यम पत्तनों के विकास के लिये जो प्राथमिकता निश्चित

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चिन्तामणि पणिग्रही]

की है वह स्वीकार कर ली गई है और यदि हां तो क्या वे राज्य सरकारों की दी गई सहायता अथवा ऋणों के आधार पर की जायेंगी। और क्या प्रदीप पत्तन के लिये ऋण दिया जायेगा अथवा सहायता ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : माननीय सदस्यों ने छोटे पत्तनों के विकास के प्रश्न में काफी रुचि ली है। मैं राज के लिये उनका आभारी हूं। संवैधानिक दृष्टि से छोटे पत्तन समवर्ती सूची में आते हैं और उन पर सम्बंधित राज्य-सरकारों का ही कार्यपालक दायित्व है। उनके विकास से हमारा इतना ही सम्बन्ध है कि हम उनके लिये ऋणों के या अन्य रूप में सहायता देते हैं। हमने अपने दायित्व को निभाने की दृष्टि से ही यह उचित समझा कि इस समिति द्वारा मध्यम पत्तनों, एक लाख टन से अधिक माल यातायात या खासे अच्छे यात्री-यातायात वाले पत्तनों के बारे में प्राथमिकतायें निर्धारित कर दी जायें इसी दृष्टि से, इस समिति की नियुक्ति २७ अक्तूबर, १९५८ को की गई थी। समिति के निर्देश पदों में मुख्य यह था कि प्राथमिकता के क्रमानुसार तीव्र विकास के लिये भारत में उपयुक्त मध्यम पत्तनों का चुनाव करना और यह भी निश्चित करना कि किस पत्तन का कितना विकास अपेक्षित है। समिति ने अपना प्रतिवेदन ३० अप्रैल १९६० को प्रस्तुत किया था। मैं यह इसलिये बता रहा हूं कि श्री त० ब० विट्ठलराव ने कहा है कि इस प्रतिवेदन पर विचार करने में उतनी शीघ्रता नहीं की गई जितनी कि चाहिये थी। हमारी ओर से तनिक भी विलम्ब नहीं हुआ। प्रतिवेदन मिलते ही, हमने उसका सारांश तैयार कराया और जुलाई १९६० में ही उसकी प्रतियां राज्य-सरकारों को भेज दी गई थीं। प्रतिवेदन के मुद्रण से पहले, आगे कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। अब मुद्रित प्रतिवेदन को देख कर सभा स्वयं समझ सकती है कि उसमें कुछ समय तो लगना ही था। मुद्रित प्रतियां सितम्बर के अन्त में मिली थीं, और हमने तुरन्त ही उनको राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड की बैठक में पेश कर दिया था। प्रतिवेदन की सिफारिशों पर विचार करने के लिये बोर्ड की एक अलग बैठक एक बुलाई गई थी।

समिति की मुख्य सिफारिशों को हमने इन श्रेणियों में विभक्त कर लिया था :

	लाख रुपये
प्रथम प्राथमिकता के निर्माण-कार्य, जिसमें १८ पत्तन आते हैं और जिनके नाम माननीय सदस्यों को मालूम हैं	६११.४८
द्वितीय प्राथमिकता के निर्माण-कार्य	४२२.००
तृतीय प्राथमिकता के निर्माण-कार्य (३ पत्तन)	४२.५०
तूतीकोरन में सभी मौसिमों के लिये एक गहरे घाट वाला पत्तन	१०२७.००
मंगलौर	१२७०.००
परादीप	९५५.००
पोरबन्दर	५२६.००

रेत निकालने के कार्य का विस्तार :

हमें मालूम था कि यदि सभी सिफारिशों को मंजूर किया जाये, तो उन पर कुल खर्च ५० करोड़ रुपये होगा। इसीलिये हमने उन में से कुछ सिफारिशें चुनकर, उसके आधार

†मूल अंग्रेजी में

पर ही कुछ प्रस्ताव रखे थे। योजना आयोग ने हमें बता दिया था कि छोटे पत्तनों के विकास के लिये तृतीय योजना में केवल १० करोड़ रुपयों की व्यवस्था रहेगी। हमें अपनी चादर के मुताबिक पैर-फैलाने पड़े। उसके मुताबिक प्रथम प्राथमिकता के निर्माण-कार्यों के अतिरिक्त अन्य निर्माण-कार्यों को हाथ में नहीं लिया जा सकता था। उनका व्यय, कुछ अन्य अत्यावश्यक मदों के व्यय के साथ कुल मिलाकर ६११ लाख रुपये होता था। इसी लिये हमने इस सिलसिले में योजना आयोग के सामने कुल और सुझाव रखे।

हमने योजना आयोग से अनुरोध किया कि प्रतिवेदन में उल्लिखित सभी प्रथम प्राथमिकता के निर्माण कार्यों को शामिल कर लिया जाये और उनके साथ अन्य मदों को इस प्रकार लिया जाये :—

	लाख रुपये
अन्य छोटे पत्तनों से सम्बन्धित अत्यावश्यक निर्माण कार्य	६९
रेत निकालने और सवक्षण की मशीनों का विस्तार	२५०
पोंडिचेरी	२१.५२
लक्कद्वीप समूहों का पत्तन	७.५०
अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	५५.००
सेतुसमुद्रम् परियोजना के सम्बन्ध में ब्योरेवार जांच पड़ताल और नमूने	४०.००
तूतीकोरन और मंगलौर पत्तनों को सभी मौसिमों के लिये उपयुक्त बनाना	१४७५.००

इस प्रकार कुल व्यय २५,०९,०२,००० रुपये आता है।

हमने यही सिफारिशें की थीं। योजना आयोग अभी उन पर विचार कर रहा है, इसलिये हम नहीं कह सकते कि अन्त में निर्णय क्या होगा।

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों को लेता हूं। श्री विट्ठलराव ने कहा है कि हमने छोटे पत्तनों के महत्व को समय पर नहीं समझा। हमें उसकी समझ तभी आई जब पत्तनों में भीड़ बढ़ गई। सभी जानते हैं कि १९५७ में पत्तनों में भीड़ इसलिये एकाएक बढ़ गई थी कि स्वेज नहर का यातायात बन्द हो गया था और फिर उसके खुलने पर उतने दिन तक रूका हुआ यातायात फिर वेग से होने लगा था। भीड़ बढ़ने का एक यह भी कारण था कि हमने अपने इस्पात कारखानों के लिये भारी मशीनें और उपकरण का आयात किया था। इसलिये भीड़ कुछ असाधारण कारणों से बढ़ी थी; सामान्य विशेषता नहीं थी। अन्यथा बड़े पत्तनों से सम्बन्धित द्वितीय योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप से पूरा करने पर हमारे पत्तनों की क्षमता बढ़कर ४०० लाख टन लदान की हो जायेगी। १९५७ में एक बार, वे ३१० लाख टन की लदान कर ही चुके हैं। इद सभी निर्माण-कार्यों के पूरे होने पर, उनकी क्षमता ४०० लाख टन लदान की हो जायेगी। इसीलिये तृतीय योजना काल के अन्त तक बड़े पत्तनों की क्षमता कम नहीं रहेगी। श्री विट्ठल राव ने काकिनाडा, मंगलौर, तूतीकोरन और सेतुसमुद्रम् का भी विशेष उल्लेख किया था। सेतुसमुद्रम् के बारे में मैं बता ही चुका हूं कि हमने उसकी व्यवस्था की है और आशा है कि वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जायेगा।

पत्तनों के बारे में, मैं शायद सभी माननीय सदस्यों के सभी तर्कों का उत्तर न दे पाऊं, उन सभी बातों को शायद न ले पाऊं, लेकिन मैं एक गोटे तौर पर उनकी मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख अवश्य करूंगा।

[श्री राज बहादुर]

श्री जोकीम आल्वा ने आरोप लगाया है कि हमने कारवार के साथ न्याय नहीं किया। उनके कथन के अनुसार कारवार पत्तन मंगलौर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और उसमें विकास की अधिक संभावनायें हैं। श्री आचार न उनको बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। वर्तमान यातायात और भावी यातायत की संभावनाओं —दोनों ही की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि मंगलौर और कारवार में कोई तुलना नहीं हो सकती। प्रतिवदन के पृष्ठ ८५ और २१७ पर भी इसका उल्लेख है। अभी इस समय कारवार पत्तन में १,५८,००० टन यातायत होता है, जबकि मंगलौर पत्तन २ से ४ लाख टन से भी अधिक यातात संभालता है। मंगलौर पत्तन के सम्बन्ध में अनुमान है कि १९६६ तक उसका यातायत ६ से ७ लाख टन तक हो जायगा, २६ लाख टन लौह अयस्क के अतिरिक्त। लेकिन करावार पत्तन ५ से ६ लाख टन तक ही संभाल सकता है। और उसमें काफी बड़ा हिस्सा सामान्य लदान का होगा। इसका पत्तन की आय पर बड़ा असर पड़ेगा। हमने कारवार के साथ कोई अन्याय नहीं किया। हमने जो भी किया वह राष्ट्रीय हितों और दोनों पत्तनों का सापेक्ष महत्व देखकर ही किया है।

इसका एक और भी पहलू है। कारवार में ३२ फीट गहरा घाट बनाने पर १.६ करोड़ रुपय व्यय होंगे, लेकिन यदि हम वहां एक से अधिक घाट बनाना चाहें, तो वह मंगलौर की अपेक्षा कहीं अधिक महंगा पड़ेगा। कारवार पत्तन का विकास कहीं अधिक व्यय-साध्य रहेगा। कारवार बेलारी और होस्पेट अयस्क खानों के पास तो रहेगा, लेकिन मैसूर राज्य और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों का व्यापार मंगलौर द्वारा होता है।

दूसरी चीज यह है कि रेलवेज ने मंगलौर-हसन रेलवे के निर्माण को प्राथमिकता दी है। लेकिन हुबली कारवार लाइन के निर्माण को उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई है।

आशा है कि इन सभी बातों को देखते हुए, माननीय सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे कि हमने कारवार के साथ कोई ज्यादती नहीं की। हम उसके लिये जो भी कर सकते हैं, करेंगे; लेकिन दोनों पत्तनों के सापेक्ष महत्व को तो अनदेखा नहीं किया जा सकता।

श्री सूपकार, श्री प्र० के० देव और श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने पराद्वीप का उल्लेख किया था। मध्यम पत्तन विकास समिति ने अपने प्रतिवेदन में उड़ीसा के सभी पत्तनों के लिये जो सिफारिशें की हैं, उनका कुल व्यय १·१० करोड़ रुपये आता है। हमने अभी उसके लिये १ करोड़ रुपये दिये हैं। प्रतिवेदन में मंगलौर और तूतीकोरन पत्तनों को प्रथम प्राथमिकता दी गई है, उसे देखते हुए पराद्वीप के लिये ९९ लाख रुपये की राशि आवंटित करना काफी ठीक है। पराद्वीप पत्तन को जितनी राशि दी जा रही है, उसे देखते हुए मंगलौर और तूतीकोरन पत्तनों को प्रथम प्राथमिकता की श्रेणी के आधार पर उसकी एक तिहाई राशि भी नहीं मिल रही है। इसलिये स्पष्ट है कि पराद्वीप पत्तन की उपेक्षा नहीं हुई है।

श्री अरविंद घोषाल ने बड़ी ठीक बात कही है कि हमें अपने पत्तनों की वर्त्तमान क्षमता का अधिकतम उपयोग करना चाहिये। यही हमारा भी सिद्धांत है। उन्होंने हाल्दिया पत्तन की बात उठाई थी, लेकिन वह इस प्रतिवेदन के क्षेत्र में नहीं आता। हमने तृतीय योजना में हाल्दिया पत्तन के विकास के लिये ७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। कलकत्ता और हाल्दिया पत्तन एक-दूसरे के अनुपूरक रहेंगे।

श्री पट्टाभिरामन ने तूतीकोरन और सेतुसमुद्रम् परियोजना का उल्लेख किया था। हमने सिद्धांत रूप में सेतुसमुद्रम् परियोजना को स्वीकार कर लिया है कि कम से कम उसका प्रारम्भिक सवक्षण कार्य शुरु कर दिया जाना चाहिये। हमने तृतीय योजना में मंगलौर और सेतुसमुद्रम् के लिये व्यवस्था की है। हमने योजना आयोग के पास अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। हम समझते हैं कि तूतीकोरन और मंगलौर के विकास के लिये कुछ करना अविलम्बनीय है। हमने योजना आयोग से अनुरोध किया है कि तृतीय योजना में इन दोनों को ऊंची प्राथमिकता दी जाये।

श्री गोरे की शिकायत है कि महाराष्ट्र के पत्तनों का निर्माण-कार्य संतोषजनक गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। और आवंटित राशियों का भी पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया है। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक तो ३७ लाख रुपये की आवंटित राशि में से महाराष्ट्र सरकार अब तक २७ लाख रुपय खर्च कर चुकी है। आशा है कि चालू वर्ष में शेष राशि भी व्यय कर दी जायेगी। इसलिय महाराष्ट्र सरकार पर धीमी गति से काम चलाने चा आरोप नहीं लगाया जा सकता।

रत्नागिरि और वहां से बाहर भजे जाने वाले आमों की बात हमारे सामने है, लेकिन आमों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह कितना यात्री यातायात करता है। राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक में महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों का यह सुझाव स्वीकार कर लिया था कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा उस पर खर्च किये जाने वाले १५ लाख रुपये के आलावा, २० लाख रुपय केन्द्र की ओर से भी दिये जायेंगे। सिद्धांत रूप में यह भी मान लिया गया था कि पत्तन के विकास के लिये वह किल्लिण खाड़ी का विकास शुरू कर दे। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के सभी पत्तनों के लिये ३,२२,७८,००० रुपये मांगे थे। लेकिन परिवहन तथा संचार मंत्रालय उसकी जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सीमित संसाधनों की दृष्टि से, इसके लिये ७८·१८ लाख रुपये पर्याप्त होंगे। योजना आयोग इससे सहमत हो गया है। राज्य सरकार अपनी ओर से ५० लाख रूपये उन पर व्यय कर सकती है।

श्री रघुनाथ सिंह ने छोटे पत्तनों के विकास का बड़ा जोरदार समर्थन किया। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। श्री कोडियान ने कहा था कि हमने बेपुर को शामिल नहीं किया। वह प्रतिवेदन देखें, तो पायेंगे कि हमने उसके विकास के लिये १० लाख रुपये की व्यवस्था की सिफारिश की है।

केरल राज्य के पत्तनों के विकास के लिये तृतीय योजना में १४७·७८ लाख रुपयों की व्यवस्था की मांग की गई थी, हमने प्रथम प्राथमिकता के निर्माण कार्यों के लिये १३६·४५ लाख रुपयों की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की ओर से २५ लाख रूपये के व्यय की बात से भी योजना आयोग सहमत है। मैं समझता हूं कि यह सर्वथा उचित है।

गुजरात में सब से अधिक पत्तन हैं। श्री पटेल ने पोरबन्दर की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता बताई थी। गुजरात में पत्तनों की संख्या सब से अधिक है, इसलिये उसके हितों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये।

पोरबन्दर पत्तन की यातात सम्बन्धी आवश्यकताओं का हमें ध्यान है। सभी पत्तनों के लिये जो राशि आवंटित की जायेगी, उसमें से हम पोरबन्दर की भी आवश्यकताओं पूरी करने का भरसक प्रयास करेंगे।

[श्री राज बहादुर]

श्री पाणिग्रही ने पूछा था कि मध्यम पत्तन विकास समिति के सम्बन्ध में हमारी सामान्य नीति क्या है। मैं बता चुका हूं कि अभी इस समय हम अपने को प्रथम प्राथमिकता वाले निर्माण-कार्यों तक ही सीमित रखना चाहते हैं, और अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए हमने अन्य योजनाओं के लिये भी यथासंभव गुंजाइश बनाने की कोशिश की है ।

इनके अतिरिक्त, हमने तूतीकोरन, मंगलौर और सेतुसमुद्रम् तथा अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये अलग से राशियां मांगी हैं । समिति ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है, इतना उपयोगी प्रतिवेदन तैयार कर के। माननीय सदस्यों ने उसकी उचित ही सराहना की है। उसमें पत्तनों के सम्बन्ध में एक विस्तृत ज्ञान-कोष जैसा तैयार कर दिया गया है, जो आगे भी बड़ा उपयोगी बना रहेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : माननीय मंत्री ने कहा है कि १९५७ में और बाद में १९५८ में हमारे पत्तनों में यातायात की जो भीड़ बढ़ गई थी, वह स्वेज नहर बन्द होने के कारण थी । उनको ध्यान रखना चाहिये कि हमें अमरीका से 'पी० एल० ४८० करार' के अन्तर्गत ११० लाख टन गेहूं और १० लाख टन चावल का आयात करना है । बड़े-बड़े पत्तनों पर कहीं फिर उतनी ही भीड़ न हो जाये, और हमें भारी विलम्ब -शुल्क अदा करना पड़ जाये।

मैं जानता हूं कि छोटे पत्तनों का विकास समवर्ती सूची में शामिल है ।

†**श्री राज बहादुर** : माननीय सदस्य ने यह बात पहले नहीं कही थी। मुझे इसका उत्तर देने का अवसर नहीं मिलेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: रिकार्ड से पता लेगा कि यह बात बाद में कही गई थी । माननीय सदस्य को अब कोई नया प्रश्न नहीं उठाना चाहिये ।

†**श्री त० व० विट्ठल राव** : छोटे पत्तनों का विकास राज्य सरकारों का विषय है, मुझे मालूम है । लेकिन छोटे पत्तनों को बड़े पत्तनों की सूची में शामिल करने का दायित्व तो केन्द्र का ही है ।

मंगलौर और तूतीकोरन दक्षिणी भारत में स्थित हैं और दक्षिण भारतीयों की कुछ यह भावना बन गई है कि भारत सरकार उसके हितों की ओर उचित रूप से ध्यान नहीं देती। योजना आयोग को इन सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय इसका ध्यान रखना चाहिये।

राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड ने सिफारिश की है कि तूतीकोरन और मंगलौर पत्तनों का विकास बड़े पत्तनों के रूप में किया जाये । लेकिन माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि इसके सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मध्यम पत्तन विकास समिति के प्रतिवेदन पर, जो ९ सितम्बर, १९६० को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ए० के० चन्दा को वित्त आयोग का सभापति नियुक्त किये जाने के बारे में चर्चा

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ऐसे महत्वपूर्ण पद-धारियों के समक्ष इस प्रकार के आकर्षण रखे जायेंगे तो उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस दृष्टि से सभा को श्री ए० के० चन्दा की वित्त आयोग एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति के सभापति के रूप में नियुक्ति के संबंध में बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

मुझे माननीय वित्त मंत्री का विवरण पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसमें इस विषय को बड़ी सरसरी तौर से निपटा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आयोग के सभापति का पद भारत सरकार के अधीन पद नहीं माना जा सकता है। इस विषय के संबंध में लाभ-पद संबंधी समिति द्वारा विस्तारपूर्वक विचार किया गया था। समिति ने अपने प्रतिवेदन में "लाभ-पद" की व्याख्या की है परन्तु केवल पद की व्याख्या क्या होगी ? व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आल इंडिया रिपोर्टर की टिप्पणियों (खंड १, पृष्ठ १८७) में यह कहा गया है कि "पद" वह स्थिति है जिसके साथ कुछ कर्त्तव्य संबद्ध हों। आगे यह भी कहा गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि पद धारण करने वाले को उससे किसी प्रकार का वेतन या लाभ प्राप्त हो। संभवतः श्री चन्दा स्वयं इस व्याख्या से प्रभावित हुये हैं क्योंकि उन्होंने अपनी 'इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन" पुस्तक में अपने पद के संबंध में यह लिखा है कि उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये तथा कार्यकारी सरकार के प्रभाव से बचाने के लिये संविधान अधिनियम में उनके सेवानिवृत्ति होने पर नौकरी करने पर प्रतिबन्ध एवं उनके विशेष संसदीय प्रक्रिया द्वारा हटाये जाने के उपबन्धों का स्पष्टी-करण किया गया है। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि वह अपने सेवानिवृत्ति होने पर कोई पद धारण नहीं कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त जब महालेखापरीक्षक की नियुक्ति संबंधी विधेयक सभा में पेश किया गया था तब श्री देशमुख ने उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह कहा था कि इस पद के महत्व को देखते हुये यह आवश्यक है कि उन्हें कुछ अतिरिक्त पेंशन दी जाये क्योंकि वह सेवानिवृत्त होने पर संविधान के अनुसार कोई सरकारी पद नहीं धारण कर सकेंगे। इसलिये यह स्पष्ट है कि उन्हें सेवानिवृत्त होने पर कोई भी सरकारी पद स्वीकार नहीं करना चाहिये।

यदि हम इस व्याख्या को और अधिनियम के उद्देश्य को स्वीकार करते हैं तो यह स्पष्ट है कि यह सरकार के अन्तर्गत पद है। वित्त मंत्री ने श्री नरहरि राव के मामले का जो निर्देश किया। उसका इससे कोई संबंध नहीं है क्योंकि वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के अधीन पद पर नियुक्त किये गये थे। इसलिये महान्यायवादी को निर्देश और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना सर्वथा अनावश्यक था।

वित्त मंत्री ने कहा कि वह पूर्णकालिक पदधारी नहीं हैं और उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है क्योंकि उन्हें प्रतिदिन ६० रुपये मिलते हैं जो आयकर से मुक्त हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क मकान भी मिला हुआ है।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : उन्हें कोई भी चीज निःशुल्क नहीं मिलती है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : लेकिन उन्हें भत्ता तो मिलता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : वह यात्रा आदि के लिये है।

†**श्री खाडिलकर** : चाहे उन्हें कुछ भी न मिलता हो परन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या यह संविधान के अनुसार न्याय है ? मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार महालेखापालकों, लोकसेवा आयोगों के सभापतियों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समक्ष इस प्रकार के आकर्षण रखकर देश की सामाजिक तथा राजनैतिक संस्थाओं का बहुत अहित कर रही है। जहां तक संविधान के निर्वचन का संबंध है, इस प्रकार की नियुक्तियां सर्वथा गलत हैं।

श्री बसु ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट लिखा है कि महालेखापरीक्षक संविधान के अन्तर्गत अपने सेवानिवृत्त होने पर कोई अवैतनिक पद भी नहीं ग्रहण कर सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि वैधानिक दृष्टि से यह नियुक्ति सर्वथा गलत है। मुझे भय है कि यदि कोई नागरिक उच्चतम न्यायालय में इसके बारे में अपील कर देगा तो उसके पक्ष में निर्णय दिया जायेगा और वित्त आयोग का कार्य गड़बड़ हो जायेगा। इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है।

अन्त में मैं वित्त मंत्री और विधि मंत्री से यह अपील करूंगा कि उन्हें संविधान की रक्षा करनी चाहिये। संविधान का निर्वाचन इस प्रकार किया जाना चाहिये कि ऐसे पदधारियों के समक्ष आकर्षण रखकर उन्हें कार्यकारी सरकार द्वारा प्रभावित न किया जा सके। मैं आशा करता हूं कि विधि मंत्री उस न्याय की परम्पराओं को कायम रखेंगे जो उनके पूर्वाधिकारियों ने स्थापित की है।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : श्री बसु ने अपनी टिप्पणी में नियंत्रक महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग के सभापति दोनों के बारे में विचार व्यक्त करते हुये यह लिखा है कि उन्हें सेवानिवृत्त होने पर कोई पद प्राप्त करने से इसलिये मना किया गया है कि वे अपने पद के कार्यकाल में कार्यकारी सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्त करने का प्रयत्न न करें। अनुच्छेद १४८(४) में यह कहा गया है कि अपने पद पर न रह जाने के पश्चात् नियंत्रक महालेखापरीक्षक भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन और पद का पात्र न होगा। फिर संघ लोक सेवा आयोग के सभापति के बारे में अनुच्छेद ३१९(क) में यह कहा गया है कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नौकरी के लिये अपात्र होगा। इस प्रकार इन पदाधिकारियों की स्थिति उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों से भी ऊंची है क्योंकि न्यायाधीशों के संबंध में अनुच्छेद १२४(७) में केवल यही कहा गया है कि वे किसी न्यायालय में वकालत का कार्य नहीं कर सकेंगे।

जहां तक वित्त आयोग के सभापति की नियुक्ति का संबंध है, १९५१ के अधिनियम में यह कहा गया है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी तथा वह संसद् द्वारा पारित किये जाने वाले कानून के अधीनस्थ होगी। फिर अधिनियम की धारा ३ में यह उपबन्ध है कि सभापति ऐसे व्यक्तियों में से चुना जायेगा जिन्हें सार्वजनिक कार्यों का अनुभव हो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई योग्यता नहीं रखी गई है। परन्तु जहां तक आयोग के अन्य सदस्यों का संबंध है उनके लिये यह योग्यता रखी गई है कि उन्हें सरकार के वित्त और लेखे का ज्ञान होना चाहिये। फिर उनके लिये वेतन का उपबन्ध भी है। इसलिये ऐसा नहीं है कि वे निःशुल्क कार्य करेंगे। यह हो सकता है कि कोई उस पारिश्रमिक को स्वीकार कर ले अथवा स्वीकार न करे। यह नहीं, राष्ट्रपति उनको हटा भी

---

†मूल अंग्रेजी में

सकेगा क्योंकि साधारण परिभाषा अधिनियम के अन्तर्गत जो व्यक्ति नियुक्त करता है उसे हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। इससे प्रकट होता है कि यह सरकार के अधीन वाला एक पद है।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि वित्त मंत्री द्वारा १२ दिसम्बर को इस नियुक्ति की घोषणा किये जाने के पश्चात् अनेक समाचारपत्रों में इसके संबंध में सम्पादकीय लेख प्रकाशित हुये हैं। अनेक पत्र भी प्रकाशित हुये हैं। जिनमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यह नियुक्ति संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन करती है। जहां तक श्री नरहरि राव की नियुक्ति का प्रश्न है, जिसका वित्त मंत्री ने हवाला दिया, वह भारत के अन्दर नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त यदि भूतकाल में कोई गलती हुई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में भी हम वैसा करते रहें।

फिर वेतन का प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई पद प्राप्त करने के लिये उल्टा कुछ देने के लिये भी तैयार हैं। मेरा निवेदन है कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक का पद इतना ऊंचा है कि वह इस सभा के भी अधीन नहीं है। इतने ऊंचे पद को इतने हल्के ढंग से नीचे नहीं ले जाया जाना चाहिये। वित्त मंत्री को इस नियुक्त के संबंध में सभा को पुर्व सुचना देनी चाहिये थी ताकि हम अपने सुझाव दे सकते। यह भी ज्ञात हुआ है कि पहले एक अन्य व्यक्ति को इस पर नियुक्त किया जा रहा था जो संभवत: वर्तमान पदधारी से अधिक उपयुक्त थे। अन्त में, मैं यही कहूंगा कि यह नियुक्ति ठीक नहीं है और यदि हमसे परामर्श किया गया होता तो हम इसे कभी भी न होने देते।

श्री ब्रज राज सिंह : अध्यक्ष महोदय, कौलिंग अटैंशन नोटिस के संबंध में जो उत्तर वित्त मंत्री महोदय ने दिया उससे ऐसा लगता है कि वह इस नियुक्ति को सिर्फ एक आधार पर उचित ठहराते हैं और वह आधार यह है कि यह आफिस गवर्नमेंट आफ इंडिया के अन्तर्गत नहीं है। मैं सिर्फ इसी प्वाएंट को लेना चाहता हूं क्योंकि और दूसरे प्रश्न अन्य माननीय सदस्यों ने इस सदन में रख दिये हैं और इसलिये मैं इसी प्वाएैट को लेना चाहता हूं कि यह आफिस गवर्नमेंट आफ इंडिया के अन्तर्गत है या नहीं।

अभी कानून मंत्री महोदय ने और वित्त मंत्री महोदय ने भी श्री तंगामणि के बीच में बोलते हुये कहा कि इस फाइनेंस कमिशन (वित्त आयोग) के चेअरमैन का हटाया जाना (रिमूवल फ्रौम आफिस) कहीं पर यह नहीं लिखा है कि किस तरह से होगा और शायद वह इस प्रकार की दलील देना चाहते हैं। मैं इस संबंध में निवेदन करूंगा कि इस फाइनेंस कमिशन मिसलेनियस प्राविजंस ऐक्ट १९५१ (वित्त आयोग विविध उपबन्ध अधिनियम १९५१) की धारा ४ को पढ़ें तो उससे पता लगेगा (पर्सनल इंटरैस्ट टु डिसक्वालीफाई मैम्बर्स), उस में अगर किसी प्रकार का या उसके साथ साथ चेअरमैन का कोई पर्सनल इंटरैस्ट होगा इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त करने के पूर्व इस बात की जांच कर लेंगे कि उस व्यक्ति के ऐसे वित्तीय या अन्य प्रकार के हित नहीं हैं जिनसे उसके कर्त्तव्य पालन में बाधा होगी तथा राष्ट्रपति जब कभी भी आवश्यक समझे ऐसी जाकारी मांग सकते हैं जिसे वह आवश्यक समझते हैं।

मेरा तात्पर्य यह है कि अगर किसी प्रकार का या चेअरमैन का कोई इंटरैस्ट कायम हो जाता है जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन कर्तव्यों के पालन करने के लिये वह एपायेन्ट किये गये हैं तो फिर न सिर्फ इतना ही अधिकार प्रेसीडेंट को और प्रेसीडेंट के माने भारत सरकार को है कि वह ऐसे व्यक्ति का एपायेन्टमट न करें, नियुक्ति न

[श्री ब्रजराज सिंह]

करे बल्कि यह अधिकार भी हासिल है कि अगर इस तरीके का कोई इटरैस्ट कायम हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को उस के पद से हटा दे। हमारे संविधान में तीन ऐसी व्यवस्थायें हैं, जिन में तीन हाई आफिसज़ को हटाने के लिए खास प्राविज़न्ज़ रखे गए हैं और वे आफिसर हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस या जज, कंट्रोलर एंड आडिटर जेनरल और चीफ़ इलैक्शन कमिश्नर। उन में यह कहा गया हैं कि अगर उन को प्रूव्ड मिसबिवियर या इनकैपिसिटी के लिए भी हटाया जाये, तो वह तभी वह किया जा सकेगा, अगर पार्लियामेंट में मौजूद सदस्यों को दो तिहाई बहुमत से यह मोशन पास कर दिया जाये कि उन को प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के लिए हटा दिया जाये। तात्पर्य यह है कि इन अधिकारियों को हटाने के लिए वही व्यवस्थायें लागू होंगी, जो कि संविधान में परिवर्तन या संशोधन के लिए लागू हैं। इन के अलावा इस सम्बन्ध में और कोई व्यवस्था नहीं है। यदि संविधान में किसी आफ़िसर के विषय में यह दर्ज नहीं है कि उसको कैसे हटाया जा सकता है, तो इस के साफ़ मानी ये हैं कि गवर्नमेंट उसको किसी दूसरे तरीके से हटा सकती है। संविधान के निर्माताओं ने जिन व्यक्तियों के बारे में यह महसूस किया कि उन को हटाने के लिए किसी विशेष व्यवस्था की ज़रूरत है, उन के लिए अर्थात् सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ़ जस्टिस, कट्रोलर एट आडिटर जेनरल आफ़ इंडिया और चीफ़ इलैक्शन कमिश्नर के लिए उन्होंने विशेष प्राविज़न कर दिया। इन तीन अधिकारियों के अलावा किसी और के लिये संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। अनुच्छेद २८० में कहा गया हैं :

> "इस संविधान के प्रारम्भ के दो वर्ष के भीतर और तत् पश्चात् प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर अथवा उस से पहिले ऐसे समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे राष्ट्रपति आयोग द्वारा एक वित्त आयोग गठित करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सभापति और चार अन्य सदस्यों से मिल कर बनेगा।"

उस के बाद पार्लियामेंट को यह अधिकार दे दिया गया कि वह इस बारे में ला बना सकती है और पार्लियामेंट ने ला बना दिया है कि उन की ड्यूटीज इत्यादि क्या होंगी। उस एक्ट में भी—फ़िनांस कमीशन (मिस्लेनियमस प्राविज़न्ज़) एक्ट, १९५१ में भी फ़िनांस कमीशन के चेयरमैन या मेम्बर्ज़ को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस के साथ ही उन को हटाने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में नहीं आना पड़ेगा, जैसे कि उस को सुप्रीम कोर्ट के जजिज़ या चीफ़ जस्टिस, कंट्रोलर एंड आडिटर जेनरल और चीफ़ इलैक्शन कमिश्नर को प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के लिए हटाने के लिये संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार इस पार्लियामेंट में आना पड़ता है। इस का अर्थ यह है कि इन अधिकारियों को वही अथारिटी हटा सकती है, जो कि उन को नियुक्त करती है। वह कौन सी अथारिटी हैं, जो फिनांस कमीशन को नियुक्त करती है? वह अथारिटी है प्रैज़िडेंट, जिस के मानी हैं हिन्दुस्तान की सरकार। उस का कौन सा मंत्रालय हो, इस से इस समय कोई मतलब नहीं है। यह स्पष्ट है कि जहां भी "प्रैज़िडेंट" शब्द का इस्तेमाल किया गया हैं, उस का मतलब हैं हिन्दुस्तान की सरकार। हिन्दुस्तान की सरकार जिस व्याक्त को एपायंट करती है, उस को प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी या १९५१ के एक्ट में दिये गये इन्ट्रेस्ट होने आदि के दूसरे आधारों पर रिमूव करने

का अधिकार भी हमेशा उस को रहेगा। अगर वित्त मंत्री महोदय यह कहना चाहें कि सरकार को नियुक्त करने का आवकार तो है, लेकिन उस में कोई व्यवस्था नहीं है कि वह उस को हटा सकें तो मैं उन से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस के मानी ये होंगे कि अगर फिनांस कमिश्नर के चेयरमैन और दूसरे सदस्यगण नियुक्त होने के बाद प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के दोषी हों, तो सरकार कुछ न कर सकेगी --उस समय सरकार क्या करेगी ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : उन्हें नहीं हटाया जा सकता है ।

श्री ब्रजराज सिंह : अगर उस को रीमूव नहीं किया जा सकता, तो स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय का यह कहना कि उस को रीमूव नहीं किया जा सकता है, ग़लत है । जिन विषयों में रीमूवल के लिए विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी, उन के लिए संविधान में प्राविज़न कर दिया गया है और वे विशेष व्यवस्थायें केवल सुप्रीम कोर्ट के जजिज़ या चीफ जस्टिस, कंट्रोलर एंड आडिटर जेनरल आफ़ इंडिया और चीफ़ इलैक्शन कमिश्नर के विषय में की गई हैं । इन तीन के अलावा और जितने गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं, उन को हटाने के लिये गवर्नमेंट आफ़ इंडिया को हमेशा अधिकार हासिल हैं । फ़िनांस मिनिस्टर का यह कहना है कि यह आफ़िस गवर्नमेंट आफ इंडिया के अन्तर्गत नहीं हैं, बिल्कुल ग़लत है । इन आफ़िसिज़ का क्रीएशन गवर्नमेंट आफ़ इंडिया करती है, इन पर व्यक्तियों को एपव्यंट करती है और जिन को वह एपव्यंट करती है, उन को प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी आदि कारणों से, जो कि दूसरे आफिसेज़ के विषय में भी लागू हैं, हटा भी सकती हैं, । काल अटेंशन नोटिस के बारे में वित्त मंत्री ने यह कहा कि यह आफ़िस गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के अन्तर्गत नहीं हैं और संविधान में कंट्रोलर एंड आडिटर जेनरल के लिए यह व्यवस्था हैं कि वह गवर्नमेंट आफ़ इंडिया या किसी स्टेट के अन्तर्गत कोई आफिस होल्ड नहीं कर सकेंगे, इस लिए उन के लिए यह डिसक्वालिफ़िकेशन नहीं है--वह यह आफ़िस होल्ड कर सकते हैं। मेरा यह निवेदन है कि फ़िनांस मिनिस्टर का यह सोचना बिल्कुल ग़लत हैं । यह आफ़िस गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के अन्तर्गत है, इस लिए कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया उसे एपव्यंट करती हैं, उस के फूंड्ज़ से उस को पेमेंट होता है और उस को यह इन्हेरेन्ट पावर हासिल है कि जब चाहे तब वह उस को कुछ आधारों के होते हुए हटा सकती हैं । अगर संविधान के निर्माताओं का यह उद्देश्य रहा होता कि फ़िनांस कमीशन के चेयरमैन के बारे में भी वही व्यवस्था रखी जाये, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजिज़ और चीफ जस्टिस, कंट्रोलर एंड आडिटर जेनरल आफ इंडिया और चीफ इलैक्शन कमिश्नर को हटाने के विषय में रखी गई है , तो संविधान में यह व्यवस्था ज़रूर रही होती । चूंकि उस विषय में यह व्यवस्था नहीं है, इस लिए इस के साफ़ मानी ये हैं कि संविधान के निर्माताओं का लक्ष्य यह था, मन्शा यह था कि फिनांस कमीशन के चेयरमैन को गवर्नमेंट आफ़ इंडिया उसी तरह एपव्यंट और रीमूव कर सकती है, जैसेकि और गवर्नमेंट आफ इंडिया के सर्वेन्ट्स को। मेरा निवेदन है कि फिनांस मिनिस्टर की इस दलील का कोई आधार नहीं है । इन तीन आफिसिज़ के अलावा और किसी के बारे में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

संविधान में कोई व्यवस्था नहीं हैं । अगर संविधान के निर्माताओं का इस बारे में कोई इरादा होता, इन्टेन्शन होती, तो संविधान में ज़रूर उस की व्यवस्था होनी चाहिए थी । चूंकि उस में कोई व्यवस्था नहीं हैं, इस लिए फ़िनांस कमीशन के चेयरमैन या दूसरे सदस्यों की अलग से कोई हैसियत नहीं है --- उन की वही हैसियत हैं, जो कि दूसरे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की है ।

फ़िनांस मिनिस्टर ने काल अटेन्शन नोटिस के जबाब में यह भी कहा कि चूंकि हम फ़िनांस कमीशन के कर्तव्यों में इन्टरफ़ीयर नहीं कर सकते, कोई दख़ल नहीं दे सकते, इस लिए हमें कोई ऐसा अधिकार नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उस में इन्टरफ़ीयर कर सकती है या नहीं, यह सवाल नहीं है । सरकार इन्टरफ़ीयर तो इलैक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड आडिटर जेनरल आफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के कर्तव्यों में भी नहीं कर सकती है , लेकिन उन पदाधिकारियों को प्रूव्ड मिसविहेवियर या इनकैपेसिटी के कारण हटाने के लिए संविधानिक व्यवस्था की गई ह । इसलिए उन की यह दलील कोई वज़न नहीं रखती हैं ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि हम इस तरह की परम्परायें डालें कि जिस से इस देश के संविधान की प्रतिष्ठा को धक्का लगने की आशंका न हो । सरकार की ओर से जो कुछ किया गया है, उस से संविधान की प्रतिष्ठा को धक्का लगने की आशंका है । कल इस तरह की और बातें हो सकती हैं । सोशलिस्टक स्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की स्थापना के उद्देश्य से सरकार कई कार्पोरेशन्ज़ कायम करने जा रही है, जो कि उचित है । कल एल० आई० सी० या किसी और कार्पोरेशन के आफ़िस का प्रश्न आता है, तो सरकार क्या कहेगी ? क्या तब भी वह कहेगी कि वे आफिस गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के अन्तर्गत नहीं हैं —they are not offices under the Govt. of India ? इस तरह की दलील देना बिल्कुल ग़लत है । आवश्यकता इस बात की है कि अगर कोई ग़लत स्टैप उठाया गया हैं, कोई ग़लत कदम उठाया गया है, तो सरकार को स्वयं उस को रीट्रेस करना चाहिए । जैसा कि श्री खाडिलकर ने कहा है , सरकार इस बात की इन्तज़ार न करे कि कोई व्यक्ति इस बा में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और उस के माननीय जजों से यह रूल इश्यू कराए कि यह संविधान की व्यवस्थाओं के खिलाफ़ है, इस लिए इन को हटाया जाये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : संविधान के अनुच्छेद १४८ (४) का उद्देश्य यह है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त हो। उसके लिये किसी प्रकार का प्रलोभन न रहे और इस प्रकार वह अपना कठिन कर्त्तव्य पूरी निर्भीकता से पूरा करे। इसमें संदेह नहीं है कि श्री चन्दा ने अपने कर्त्तव्य का वहन पूरी स्वतंत्रता, ईमानदारी और निर्भयता से किया तथा इस कार्य में उन्होंने अद्वितीय ख्याति अर्जित की। मैं इस बात से सहमत हूं कि वित्त मंत्री ने श्री चन्दा की सिफारिश इस पद के लिये किसी विशेष प्रयोजन से नहीं की है तथापि मैं इस नियुक्ति से प्रसन्न नहीं हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसमें संदेह नहीं है कि भारत सरकार यह तर्क कर सकती है कि इस पद को भारत सरकार के अधीन पद नहीं समझा जा सकता है और इस प्रकार टैक्नीकल आधार पर उनकी नियुक्ति वैध हो सकती है, किन्तु क्या इस प्रकार की नियुक्ति से संविधान के निर्माताओं का वह उद्देश्य पूरा होता है जिस उद्देश्य को सामने रख कर यह उपबंध रखा गया है ?

यह कहा गया है कि यह पद सवैतनिक नहीं होगा। निसंदेह यह कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बिना वेतन लिये ही कार्य करने को तत्पर हैं, और यह भी कहा गया है कि वे आंशिक समय काम करेंगे। समझ में नहीं आता कि उनके आंशिक समय काम करने की क्या आवश्यकता है जब कि हमें एक पूरे समय तथा सवैतनिक कार्य करने वाले सभापति की आवश्यकता है। अतः मेरा विचार है कि वित्त मंत्री ने श्री चन्दा का नाम इस पद के लिये मंजूर कर अच्छा नहीं किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब यह पद रिक्त होता है तो इस पद के लिये दूसरे व्यक्ति का चुनाव कौन करता है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : राष्ट्रपति करते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि राष्ट्रपति सरकार के परामर्श से उसकी नियुक्ति करता है तो क्या सामान्य खंड अधिनियम के अधीन उन्हें उस व्यक्ति को हटाने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : नियुक्ति कुछ वर्षों की अवधि के लिये होती है। राष्ट्रपति बिना समय विहित किये हुये नियुक्ति नहीं कर सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या विधि मंत्री के कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार नियुक्ति हो जाने पर कदाचार के कारण भी उन्हें हटाया जा सकता है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : सामान्य खंड अधिनियम के अन्तर्गत, संवरण के अधीन पद से हटाने की भी शक्तियां आ जाती हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : तथापि यहां न तो संवरण की शक्तियां दी गई हैं न हटाने की। संविधान के अधीन नियुक्ति की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, यह शक्ति संविधान के अधीन दी गई है न कि संसद् के। तो क्या संसद यह कह सकती है कि राष्ट्रपति कोई आयोग नियक्त न करे।

†**श्री अ० कु० सेन** : जी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या संसद् राष्ट्रपति का यह अधिकार भी ले सकती है और कह सकती है कि आप उसे हटा नहीं सकते हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन** : संसद् संवरण प्रक्रिया की व्यवस्था कर सकती है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का तब तक उपयोग नहीं कर सकता है जब तक वह उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण न करे।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह स्वीकार कर लिया गया है कि यह एक पद है और यह पद सरकार के अधीन है। और इस पद पर नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति अर्थात् भारत सरकार को है, संसद् से आवश्यक अर्हताओं और अनहर्ताओं को विहित करने को कहा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं अपने उत्तर के समय आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वित्त आयोग के सभापति तथा सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में संविधान में उपबंध किया गया है। जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं हो जाता यह व्यवस्था कायम रहेगी। संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तथा उसकी सेवा शर्तों के बारे में भी उपबंध किया गया है। उनको देखते हुये इस पद पर श्री चन्दा की नियुक्ति को उचित नहीं कहा जा सकता है। दूसरे पक्ष की यह राय बिल्कुल ठीक है और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इस प्रकार की नियुक्ति करना ठीक नहीं है ।

वित्त मंत्री को कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे कि जनता के हृदय में किसी प्रकार का संदेह पैदा हो । केवल इतना ही काफी नहीं है कि हम ठीक कदम उठायें अपितु यह भी आवश्यक है कि हम कोई ऐसा कदम न उठायें कि लोगों के मन में संशय या अविश्वास की भावना पैदा हो ।

अधिकांश पद निवृत अधिकारियों की नियुक्तियों के पीछे सरकार का यह गलत दृष्टिकोण रहता है कि वे लोग सरकार के लिये अनिवार्य हैं तथा उनके अलावा और किसी व्यक्ति में कोई प्रतिभा नहीं है। अतः सारे दायित्व के पद उन्हीं लोगों को दिये जाने चाहियें। देश में इस प्रकार की भावना पैदा करना कि सारी प्रतिभा ६० से अधिक वर्ष वाले लोगों के ही पास है, देश में प्रतिभा के विकास के लिये घातक है, हमें अमेरिका का अनकरण करना चाहिये जहां कि मंत्रिमंडल के सारे पद ५० वर्ष से कम उम्र के लोगों को दिये गये हैं ।

मेरे बिचार से देश में प्रतिभावान व्यक्तियों की कमी नहीं है अतः यदि कुछ विशेष लोग इन पदों पर नियुक्त नहीं होंगे तो कोई अन्धेर नहीं हो जायेगा। वस्तुतः सरकार को इस संबंध में अपनी नीति बदलनी चाहिये ।

अतः औचित्य की दृष्टि से तथा इस दृष्टि से भी कि देश में प्रतिभावान यवकों की कमी नहीं है मैं इस पद पर श्री चन्दा की नियक्ति का पुरजोर विरोध करता हूं ।

†**श्री नथवानी** (सोरठ) : संविधान के अनुच्छेद १४८ में कहा गया है कि "अपने पद पर न रह जाने के पश्चात् नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन और पद का पात्र न होगा।" इस खंड में "और पद" शब्द आये हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह पद भारत सरकार के अधीन है। मैं आपको यह बताऊंगा कि उक्त दोनों बातों में से एक बात भी इस मामले में पूरी नहीं उतरती है ।

संविधान के उपबन्ध का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति को कोई और पद नहीं दिया जायेगा अर्थात् कोई ऐसा पद जो कि पारिश्रमिक के अर्थ में उस पद के समान हो जिस पद पर वह पद-निवृत्ति से पूर्व था। अथवा जिस पद के दायित्व भी उसी प्रकार के हैं, ऐसा कोई पद उन्हें नहीं दिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि भले ही यह पद लाभ पद नहीं है तथापि यह स्वीकार करना होगा कि भारत सरकार के अधीन एक पद नहीं है। क्योंकि सरकार को इस पद से हटाने का कोई अधिकार नहीं है, और न ही यह पद एक जारी रहने वाला पद है। इस पद की एक निश्चित अवधि है उस निश्चित अवधि में कदाचार इत्यादि के होने पर भी उन्हें इस पद से नहीं हटाया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाय तो भी उसे अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है ।

†श्री नथवानी : वित्त अधिनियम में इन बातों का उल्लेख कर दिया गया है । जो लोग इस प्रकार के सवाल पूछते हैं उससे यह ज्ञात होता है कि उन्होंने उक्त अधिनियम का अध्ययन नहीं किया ।

†अध्यक्ष महोदय : सरकार जिन विशेषज्ञों को पांच या छः वर्षों के लिये नियुक्त करती है क्या वे सरकारी नौकर हैं ?

†श्री अ० कु० सेन : हां, वे सरकारी नौकर हैं क्योंकि वे सरकार के नियंत्रण और निदेश के अधीन काम करते हैं। इतना ही नहीं उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उच्चन्यायालय का पंजीयक भी सरकारी कर्मचारी है ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या इसका तात्पर्य यह है कि एक जिला मजिस्ट्रेट संसद् सदस्य भी हो सकता है क्या वह सरकारी कर्मचारी नहीं है ?

†श्री अ० कु० सेन : यदि एक जिला मजिस्ट्रेट का कार्य बिल्कुल न्याय प्रक्रिया से संबंधित हो जिनके परिपालन में वह सरकार के नियंत्रण में न हो तब ऐसा हो सकता है तथापि जिला न्यायाधीश भी कई मामलों में प्रशासनिक रूप से सरकार के अधीन होता है ।

†श्री मोरारजी देसाई : मुझे दुःख है कि मैंने इस विषय से संबंधित ध्यान दिलाने की सूचना पर जो वक्तव्य दिया था उससे उन माननीय सदस्य को सन्तोष नहीं हुआ जिन्होंने यह चर्चा उठाई है । मैं यह तो जानता हूं कि उनका दिमाग बहुत शक्की है परन्तु मैं यह नहीं जानता था कि उनका शक इतनी दूर भी जा सकता है । इसलिये मैं भविष्य में अधिक सावधान रहूंगा ।

अनेक प्रश्न उठाये गये हैं और मैं उनका अपनी सामर्थ्य के अनुसार उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा । हम सबके लिये यह आवश्यक है कि हम कोई ऐसा काम न करें जो संविधान की भावना के विरुद्ध हो । इस मामले में मैं अपने माननीय मित्रों से पूर्णतः सहमत हूं। इसलिये जब हमारे ही पक्ष के एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह सरकार केवल सेवानिवृत्त लोगों का विचार करती है और उन्हें देश में अन्य योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ । मैं इतना ही कह सकता हूं कि माननीय सदस्य को अपने विचारों के संबंध में पूर्ण अधिकार है। परन्तु यदि वह समझते हैं कि यह सरकार गलती कर रही है तो उनका कर्त्तव्य स्पष्ट है।

इस मामले में मैं इतना ही कहूंगा कि मैं यह मानता हूं कि हमें सन्देह का मौका नहीं देना चाहिये । परन्तु सन्देह की भी एक सीमा होनी चाहिये । यदि हम समस्त सन्देहों पर विचार करने लगें जो जीवन सर्वथा असंभव हो जायेगा और हम कोई सही काम भी नहीं कर सकेंगे । इस मामले में एक भूतपूर्व नियंत्रक महालेखापरीक्षक को वित्त आयोग का सभापति नियुक्त किया गया है । प्रश्न यह है कि क्या यह नियुक्ति संविधान की भावना के विरुद्ध है क्योंकि संविधान के संबंधित अनुच्छेद में यह कहा गया है कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन फिर कोई पद नहीं ग्रहण कर सकेगा। हमने उनकी नियुक्ति के पूर्व इस प्रश्न पर भली प्रकार विचार किया था और ऐसा नहीं है कि वह नियुक्ति एकदम से कर दी गई हो । पहले हम एक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर रहे थे परन्तु उनके बीमार पड़ जाने से हमें वह नियुक्ति बदलनी पड़ी। उस समय हमने सब बातों पर भली प्रकार विचार किया था और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उनके वित्त आयोग के सभापति नियुक्त किये जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं है।

फिर हमने अपने सहयोगी विधि मंत्री से परामर्श किया और हमें यह भी पता चला कि इन धाराओं के निर्वचन के संबंध में महान्यायवादी के विचार लिपिबद्ध हैं जिनमें यह मामला भी आ जाता है। महान्यायवादी और विधि मंत्री के मत बिल्कुल समान थे और इस मामले में तनिक भी मतभेद नहीं था। यदि जरा भी मतभेद होता तो हम इस प्रकार की कार्यवाही कभी न करते। इसके अतिरिक्त यदि ऐसा करना सरकार की गलती है तो भूतपूर्व नियंत्रक महालेखापरीक्षक का उस पद को स्वीकार करना भी गलत होगा। परन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं हमने कोई गलत काम नहीं किया है।

पहली बात तो यह है कि यह ऐसा पद है जिसका कार्यकाल सीमित ही नहीं है वरन् बहुत कम अर्थात् केवल एक वर्ष है। इसके अतिरिक्त उसके लिये कोई वेतन भी नहीं मिलता है। केवल यात्रा भत्ता दिया जाता है और कुछ नहीं। न मुफ्त मकान दिया जाता है, न बिजली और न अन्य कुछ। यात्रा भत्ता भी उतने ही दिनों के लिये मिलता है जिनको वह सभापति के रूप में कार्य करते हैं। इसलिये अतिरिक्त भत्ते का कोई प्रश्न ही नहीं है वरन् केवल यात्रा पर हुआ व्यय ही दिया जाता है, दैनिक जीवन का व्यय नहीं।

फिर यह प्रश्न आता है कि क्या वह लाभपद कहा जा सकता है? उपरोक्त बातों के आधार पर वह लाभपद नहीं है। परन्तु यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद में यह उल्लेख नहीं है कि वह लाभ पद होना चाहिये। लेकिन अनुच्छेद में यह उल्लेख तो है कि वह किसी भी "अन्य" पद पर नहीं रह सकते हैं। उसका मतलब यह नहीं है कि वह पद उसी प्रकार का हो। नियंत्रक महालेखापरीक्षक का पद केवल एक है और वैसा अन्य कोई पद नहीं हो सकता है। फिर "अन्य" का उल्लेख क्यों किया गया है? यह "अन्य" शब्द हर जगह नहीं रखा गया है वरन् केवल दो मामलों में आया है। संघ लोक सेवा आयोग के मामले में 'अन्य नौकरी'" शब्दों का उल्लेख है और यहां 'अन्य पद' शब्दों का उल्लेख है। ऐसा क्यों किया गया है?

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुच्छेद ३१६(३) में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो लोकसेवा-आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुन-नियुक्ति के लिये अपा होगा।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह ठीक है परन्तु उसके आगे एक और अयोग्यता भी रखी गई है। वह अनुच्छेद ३१९ के अन्तर्गत है। मैं उसी का निर्देश कर रहा हूं। इन शब्दों के संबंध में महा-न्यायवादी को भी निर्देश किया गया था कि क्या संघ लोक सेवा आयोग के सभापति को सरकार द्वारा नियुक्त समिति में नियुक्त किया जा सकता है तो उन्होंने यह कहा था कि जिस प्रसंग में ये 'अन्य पद' अथवा 'अन्य नौकरी' शब्द प्रयुक्त किये गये हैं उसमें उनका तात्पर्य उसी प्रकार के पद, अर्थात् सवेतन पद, से है जिस पर वह पहले रह चुका है। मेरा निवेदन है कि महान्यायवादी सर्वथा स्वतंत्र व्यक्ति हैं इसलिये उनके इस मत के संबंध में किसी प्रकार के प्रभावित किे जाने

---

†मूल अंग्रेजी में

की संभावना नहीं है। इन तर्कों को वैसे ही नहीं ठुकरा दिया गया था वरन् महान्यायवादी को निर्दिष्ट करके उनका मत प्राप्त किया गया था। इसलिये सरकार का यह विचार गलत नहीं है कि 'अन्य पद' सवेतन पद होना चाहिये, अवैतनिक नहीं। यदि यह तात्पर्य न होता तो 'अन्य पद' न कहकर केवल 'पद' ही कह दिया गया होता।

दूसरी बात है साधारण परिभाषा अधिनियम के संबंध में, जसका निर्देश किया गया है उस अधिनियम की धारा १६ में यह कहा गया है कि यदि किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा विनियम द्वारा नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की जाती है तो जब तक अन्यथा संकेत न हो नियुक्ति की शक्ति धारण करने वाले अधिकारी को नियुक्त किये गये व्यक्ति को मौत्तल करने अथवा हटाने की शक्ति भी होगी। इस प्रकार यहां यह कहा गया है कि 'जब तक अन्यथा संकेत न हो।' यह जो नियुक्ति की गई है क्या उसमें कोई अन्यथा संकेत किया गया है ? यह बात हमें देखनी होगी। हम कानून का बिना प्रसंग के निर्वचन नहीं कर सकते हैं। मैं वकील तो नहीं हूं परन्तु एक न्यायिक पद पर कार्य कर चुकने के कारण इस मामले में निर्वचग की क्षमता रखता हूं। यह ठीक है कि राष्ट्रपति सरकार और संबंधित मंत्री की सलाह से ही नियुक्ति करता है। परन्तु यदि उसे हटाने की शक्ति देने का कोई प्रश्न रहा होता तो उसके त्यागपत्र के लिये ही उपबन्ध क्यों किया गया है और हटाये जाने के लिये क्यों नहीं ? उसके हटाये जाने का उपबन्ध जानबूझकर नहीं किया गया है क्योंकि सरकार को वित्त आयोग की नियुक्ति कर देने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये क्योंकि वित्त आयोग को नियंत्रक महालेखापरीक्षक के समान ही स्वतंत्र रहना चाहिये। अन्यथा सरकार को आवश्यक सलाह नहीं मिल सकेगी। केन्द्रीय सरकार एक वित्त आयोग नियुक्त कर रही है जो राज्यों और केन्द्र के संबंध में विचार करेगा। इसलिये यह आवश्यक है कि आयोग में हेरफेर न किया जाये।

यही कारण है कि अधिनियम में ही यह उपबन्ध कर दिया गया है कि आयोग अपनी प्रक्रिया तथा कार्य का स्वयं विनियमन करेगा। केवल इस अधिनियम में ही नहीं वरन् संविधान में भी यह उपबन्ध है। मुझे सरकार या राष्ट्रपति किसी को भी उसे निदेश देने की शक्ति नहीं है।

खंड ४ के अन्तर्गत अयोग्यता का भी निर्देश किया गया था। वह बात भी नियुक्ति के पूर्व की है, बाद की नहीं। राष्ट्रपति को पहले ही सत्यापन करना होता है और वैसा किया जा चुका है। इसलिये अब उसका सवाल पैदा ही नहीं होता।

फिर खंड ५ में भी कुछ अयोग्यतायें हैं। यदि किसी व्यक्ति का दिमाग खराब है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकेगी अथवा यदि नियुक्ति के बाद भी उसका दिमाग खराब हो जाये तो उसे पद छोड़ना होगा। परन्तु उसके लिये एक निश्चित तरीका है।

फिर यह कहा गया है कि 'यदि वह अनुमुक्त दिवालिया हो।' यह भी न्यायालय के आदेश से होगा, अन्यथा नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : साधारण परिभाषा अधिनियम में यह कहा गया है कि नियुक्ति की शक्ति के साथ हटाने की शक्ति भी संबद्ध है। परन्तु ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि नौकरी देने की शक्ति नौकरी से हटा सकने की शक्ति के बराबर है . . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : संविधान में भी हटाने के लिये उपबन्ध नहीं किया गया है। उसमें दंड आदि के लिये उपबन्ध है और उनके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। परन्तु इन शक्तियों का उपबन्ध जानबूझ कर किया गया है। यदि केवल साधारण परिभाषा अधिनियम ही पर्याप्त होता तो फिर संविधान में इन सब चीजों के रखने की कोई जरूरत नहीं थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो ठीक है कि नियुक्ति की शक्ति के साथ नौकरी से हटाने की शक्ति भी संबद्ध है। परन्तु यदि किसी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिये नियुक्त किया गया है और उसे हटाया नहीं जा सकता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह कर्मचारी नहीं है। माननीय मंत्री यह कह रहे हैं कि चूंकि हटाने की शक्ति नहीं है इसलिये वह कर्मचारी नहीं हो सकता है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : केवल इतनी ही बात नहीं है। आयोग को निदेश देने की शक्तियां भी होनी चाहिये। परन्तु क्या इस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं? सर्वथा नहीं। सरकार आयोग को निदेश नहीं दे सकती है। वित्त आयोग इस मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है और ऐसा जानबूझ कर किया गया है।

हमारे अनेक स्वतंत्र कार्यालय हैं और यह भी उनमें से एक है। इसीलिये यह उपबन्ध किया गया है क्योंकि यह आवश्यक है कि यह आयोग स्वतंत्र रहे। वित्त आयोग को वित्त मंत्री अथवा सरकार के निदेशों के अधीन कार्य नहीं करना चाहिये। अन्यथा वे उपयोगी सुझाव नहीं दे सकेंगे। इसीलिये यह उपबन्ध किया गया है। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वह इसके संबंध में गम्भीरतापूर्वक विचार करें। अन्यथा ठीक निर्वचन नहीं किया जा सकेगा।

यह सर्वथा स्पष्ट है कि वित्त आयोग भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं आता है। यह ठीक है कि उस में नियुक्तियां भारत सरकार करती है क्योंकि सभापति की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है और राष्ट्रपति प्रत्येक कार्य सरकार की सलाह से करता है। परन्तु वह भारत सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं है क्योंकि वैसा अधिनियम और संविधान की धारा २८० में भी उपबन्ध किया गया है। यह सब अनिवार्य चीजें हैं। यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग गठित करेगा। इसलिए उस में विकल्प का कोई प्रश्न ही नहीं है। केवल एक ही विकल्प छोड़ा गया है और वह यह है कि संसद् कानून द्वारा नियुक्त के लिए आवश्यक योग्यतायें निर्धारित करेगी। यदि संसद् वैसा कानून बनाना ठीक नहीं समझेगी तब सरकार उसका निर्णय करेगी। परन्तु वैसा कानून बनाया जा चुका है और अब सरकार उन योग्यताओं को नहीं बदल सकती है। फिर उस खंड में यह भी कहा गया है कि आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह विनिहित विषयों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करे। इसलिए वैसा करना अनिवार्य है। फिर यह कहा गया है कि आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा तथा अपने कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद् विधि द्वारा उसे प्रदान करे। फिर अनुच्छेद २८१ में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के उपबन्धों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्यवाही के व्याख्यात्मक ज्ञापन के सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा। इसलिए यह भारत सरकार के अधीन अन्य पद नहीं है क्योंकि वह

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान के अन्तर्गत संसद का प्राधिकार है । इस के बारे में मेरे दिमाग में कोई भी संदेह नहीं है यदि तनिक भी संदेह होता तो हम यह नियुक्ति न करते ।

मैं यह नहीं कहता कि अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं। परन्तू मैं यह अवश्य कहूंगा कि वह एक अत्यन्त योग्य व्यक्ति हैं और इस पद के लिए बहुत उपयुक्त हैं और ऐसे उपयक्त व्यक्ति इस देश में ही नहीं वरन् अन्य देशों में भी बहुत कम हैं । प्रत्येक व्यक्ति अपने को योग्य समझता है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रत्येक काम कर सकता है । विधान मंडल में तो प्रत्येक व्यक्ति आ सकता है परन्तु वह प्रत्येक कार्य नहीं कर सकता। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि अन्य व्यक्ति उपलब्ध हैं और किसी भी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है ।

†**श्री तंगामणि :** माननीय मंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को संसद सदस्य बनने का अधिकार तो है परन्तु कुछ पद धारण करने का अधिकार नहीं है ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मेरा तात्पर्य यह है कि विभिन्न पदों के लिये कुछ योग्यतायें निर्धारित की गई हैं परन्तु संसद की सदस्यता के लिए योग्यता कोई नहीं निर्धारित की गई है वरन् केवल अयोग्यता ही निर्धारित की गई हैं । इस में कोई अपमान की बात नहीं है । मैं स्वयं एक ससंद सदस्य हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं यह अनेक बार कह चुका हूं कि माननीय सदस्यों के बारे में इस प्रकार का निर्देश नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वैसा करने से हम बड़ी उलझन में जड़ जाते हैं ?।

†**श्री मोरारजी देसाई :** यदि मेरी बात से किसी प्रकार की उलझन पैदा हुई है तो इसका मुझे बहुत दुख है। परन्तु मेरा ऐसा तात्पर्य नहीं था और मैं चाहता हूं कि हमें इतनी भावुकता से काम नहीं लेना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं केवल इतना चाहता हूं कि माननीय मंत्री के शब्दों को गलत ढंग से उद्धृत न किया जाये । हम संसद सदस्य जिम्मेदार व्यक्ति हैं और देश का बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** इसीलिए मैंने अपनी बात का स्पष्टीकरण कर दिया था । यदि मैं वैसा न करता तब मेरी बात का गलत अर्थ लगाया जा सकता था ।

इस प्रकार यह पद ऐसा है जो माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित अनुच्छेद के अन्तर्गत निषिद्ध नहीं है । महान्यायवादी ने पहले मामलों में इन खण्डों और उनके अर्थों का स्पष्टीकरण कर दिया है और यह नहीं समझा जाना चाहिए कि मैं ही ऐसा कह रहा हूं । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हम "अन्यपद" और "अन्य रोजगार" आदि शब्दों के निर्वचन के बारे में अन्य कानूनी मत भी प्राप्त कर चुके हैं और वह सब इस पद पर लागू होता है ।

इसके बावजूद भी मैंने अपने सहयोगी विधि मंत्री से परामर्श किया क्योंकि मैं तनिक भी असावधानी नहीं करना चाहता था । इस सबके बाद ही हमने राष्ट्रपति से यह नियुक्ति कराई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

इसलिए यह कहना निरर्थक है कि इस मामले में विचार नहीं किया गया है । इस प्रकार के पद पर किसी व्यक्ति के नियुक्त किए जाने से किसी प्रकार की गड़बड़ कैसे हो सकती है जब कि उसको कोई निदेश नहीं दिया जा सकता है, वेतन भी नहीं मिलता है और किसी अन्य प्रकार का लाभ भी नहीं है। फिर वह किसी पर शासन नहीं करने जा रहा है वरन् उसका कर्त्तव्य इस प्रकार का है कि अनेक लोगों को नाराज़गी ही होगी और खुश कोई भी नहीं होगा । मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति वित्त आयोग के सभापति पद की ओर आकृष्ठ नहीं होगा । जब तक कि वह अपनी लोकप्रियता खोकर भी जनसेवा करने के लिए तैयार न हो । हमने इन सब बातों का विचार करके ही यह नियुक्ति की है और किसी भी सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यदि कोई व्यक्ति अपने पद के कार्यकाल में अयोग्य हो जाता है तो क्या माननीय वित्त मंत्री उसे हटवायेंगे नहीं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरे हटवाने का कोई प्रश्न ही नहीं है । यदि वह अयोग्य हो जाता है तो उसे हटना ही होगा ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : किस प्रकार से ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : उसे अपने आप स्थान खाली कर देना होगा ।

†**श्री खाडिलकर** : अयोग्यता का निर्णय कौन करता है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : राष्ट्रपति करेगा । (**अन्तर्बाधायें**) परन्तु इसका निर्णय सहज ही नहीं किया जा सकता है । क्योंकि यह ऐसा मामला है जिसे न्यायालय में ले जाया जा सकता है । यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका निर्णय बिना किसी विचार के किया जा सके । नियुक्ति के पूर्व अयोग्यताओं का विचार करना होता है। वे संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं, कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री ब्रजराज सिंह ने यह सवाल ठीक ही उठाया है । जिस प्रकार नियुक्ति के संबंध में कोई अयोग्यता न होने पर भी कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता है जब तक कि राष्ट्रपति उसे नियुक्त न करे उसी प्रकार यदि वह अयोग्य हो जाता है तब वह हटाया भी राष्ट्रपति द्वारा ही जाना चाहिए ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : दिमाग खराब होने या दिवालिएपन का निर्णय राष्ट्रपति नहीं कर सकता है । इसी प्रकार यदि उसका कोई वित्तीय अथवा अन्य प्रकार का हित है तो उसका निर्देश भी उच्चतम न्यायालय को करना होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई अयोग्यता हो तो क्या राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाना आवश्यक है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह आवश्यक नहीं है । ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : जब कोई संविहित अयोग्यता होती है तो उसको हटाना नियुक्त करने वाले प्राधिकारी की विवेक शक्ति पर निर्भर नहीं होता है । उसका यह संविहित कर्त्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को पद पर न रहने दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या औपचारिक आदेश आवश्यक है अथवा नहीं ?

†**श्री अ० कु० सेन :** जी नहीं, केवल सूचना आवश्यक है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि वह अपने पद पर बना रहता है तब क्या होगा ?

†**श्री अ० कु० सेन :** उसको हटाना राष्ट्रपति का कर्त्तव्य होगा । यदि राष्ट्रपति अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता है तो केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही की जाएगी ।

†**श्री तंगामणि :** मेरा विचार है कि इस मामले के संबंध में महान्यायवादी से अपना मत देने के लिए कहा जाना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि अब इस विषय को खतम किया जाना चाहिए ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** उनका मत १९५५ में प्राप्त किया जा चुका है ।

†**श्री अ० कु० सेन :** इसीलिए इस मामले का निर्देश करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

आधे घंटे की चर्चा के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या सभा इस आधे घंटे की चर्चा के लिए बैठने के लिए तैयार है ? अन्यथा इसे कल ५ बजे के बाद लेंगे ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** कल मुझे कैबिनट की बैठक में जाना होगा इसलिए इसे आज की निपटा लिया जाये । इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा ।

†**श्री तंगामणि (मदुरै) :** यह चर्चा २ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ के उत्तर के संबंध में है । प्रश्न का मुख्य भाग निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के संबंध में था .....

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें प्रत्येक सदस्य की रुचि होगी । चूंकि इस समय बहुत कम सदस्य हैं इसलिए यह चर्चा करना ठीक नहीं होगा । माननीय मंत्री कल जिस समय के लिए कहें उस समय इसे रखा जा सकता है ।

†**श्री अ० कु० सेन :** साढ़े चार बजे सायंकाल ठीक रहेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा । यह चर्चा कल सायंकाल साढ़े चार बजे होगी । अब सभा की बैठक स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, दिनांक २२ दिसम्बर, १९६०/पौष १, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, २१ दिसम्बर, १९६०

३० अग्रहायण, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३२१९—४२
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१०२८	सूती कपड़ा उद्योग .	३२१९—२१
१०२९	अखबारी कागज का निर्माण	३२२१—२२
१०३०	प्रादेशिक श्रम संस्थायें . .	३२२२—२३
१०३१	पटसन और पटसन की वस्तुओं के बाजार का बन्द होना	३२२३—२५
१०३२	नंगल उर्वरक कारखाना .	३२२५—२६
१०३३	संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधान मंत्री के भाषण	३२२६—२८
१०३४	कलकत्ते में गोदामों का निर्माण	३२२८—३२
१०३५	दण्डकारण्य योजना	३२३२—३३
१०३६	सरकारी क्षेत्र .	३२३३—३७
१०३७	लाभ बोनस सूत्र . . .	३२३७—३९
१०३८	मद्रास में हथकरघा बुनकरों को छूट .	३२३९—४१
१०४५-क	चीन में भारतीय छात्र . . .	३२४१—४२
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	३२४३—९८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१०२७	लिखाई तथा छपाई के कागज का आयात . .	३२४३
१०३९	सम्वाददाता सम्मेलन	३२४३—४४
१०४०	सरकारी कर्मचारियों को मकानों का दिया जाना . .	३२४४—४५
१०४०-क	म्यूरियेट आफ पोटाश और सल्फेट आफ पोटाश का आयात .	३२४५—४६
१०४१	अखबारी कागज का अतिरिक्त कोटा . .	३२४६
१०४१-क	हापुड़ में साइलो-कम-एलिवेटर	३२४६—४७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०४२ नागालैण्ड ३२४७
१०४३ नारियल के गोले का आयात ३२४७
१०४४ आकाशवाणी संसदीय कार्यवाही की समीक्षा . . ३२४८
१०४५ दिल्ली में निष्क्राम्य सम्पत्ति . . ३२४८-४९
१०४६ अधिक ऊंचाई पर गुब्बारों की उड़ान . . . ३२४९
१०४७ गोहाटी.रेडियो स्टेशन में सेंध ३२५०
१०४८ लंका को कपड़े का निर्यात ३२५०
१०४९ कत्चा थिवूद्वीप ३२५१
१०५० पूर्व जर्मनी में भारतीय पत्रकारों की गिरफ्तारी ३२५१
१०५१ संचालित दौरों के लिए संवाददाताओं का चुनाव . ३२५१-५२
१०५२ बागान कर्मचारियों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन ३२५२
१०५२-क रूमानिया को लौह अयस्क की बिक्री ३२५२
१०५३ निष्क्रान्त कृषि भूमि के अभिलेख ३२५३

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२१२२ भारत में निर्मित साइकिलें . . . ३२५३
२१२३ हैदराबाद में कांच की चादरों का कारखाना . ३२५४
२१२४ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का प्रेजीडैण्ट्स एस्टैट डिवीजन . ३२५४
२१२५ कांगों में भारतीय ३२५४
२१२६ मद्रास में अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना ३२५४-५५
२१२७ मद्रास तथा उत्तर प्रदेश के हथकरघा मजदूर . ३२५५
२१२८ मद्रास का औद्योगिक विकास . ३२५५
२१२९ मद्रास में उद्योगों की स्थापना . ३२५५-५६
२१३० उड़ीसा के बोलंग में नमक का कारखाना . ३२५६
२१३१ मैसूर में मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना . ३२५६
२१३२ मैसूर में राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गह निर्माण योजना . ३२५६-५७
२१३३ ग्राम्य गृह निर्माण परियोजना . ३२५७
२१३४ त्रिपुरा में सहकारी समितियां . . ३२५७-५८
२१३५ तिब्बती शरणार्थियों का नेफा में बसाया जाना ३२५८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१३६	पुस्तकों का आयात	३२५८
२१३७	पंजाब सरकार के कर्मचारियों के आवास के लिए ऋण	३२५९
२१३८	पंजाब में औद्योगिक एकक . .	३२५९
२१३९	सरकारी कर्मचारियों के लिए निवास स्थान .	३२५९-६०
२१४०	ट्रांसमिटरों का निर्माण . .	३२६०
२१४१	भारतीय चाय पर पश्चिम जर्मनी में कर .	३२६०
२१४२	ऊनी उद्योग का आधुनिकीकरण .	३२६१
२१४३	दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में छतवाले पंखे .	३२६१
२१४४	प्रशासन व्यवस्था का पुनर्गठन . .	३२६१—६६
२१४५	विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती, कालकाजी (दिल्ली)	३२६६
२१४६	राष्ट्रीय इमारत-निर्माण संगठन . .	३२६६-६७
२१४७	काफी उत्पादकों को ऋण	३२६७-६८
२१४८	चेरापूंजी कोयला खान .	३२६८
२१४९	दूसरी अखिल भारतीय कृषि श्रमिक जांच .	३२६८
२१५०	पत्रकारिता के डिप्लोमे . . .	३२६८-६९
२१५१	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण (नेफा) का इतिहास . .	३२६९
२१५२	तम्बाकू	३२६९
२१५३	दिल्ली में छोटे पैमाने के उद्योग . .	३२६९-७०
२१५४	विशाखापटनम में जहाजों के डीजल इंजनों का कारखाना	३२७०
२१५५	खजूर और मेवे का आयात . .	३२७०
२१५६	नार्थ एवेन्यू नई दिल्ली में संसद् सदस्यों के फ्लैटस का निर्माण .	३२७०-७१
२१५७	जूतों का निर्यात . .	३२७१
२१५८	हज यात्रा . . .	३२७१-७२
२१५९	बम्बई पत्तन हज समिति . .	३२७२
२१६०	हैरोभंगा योजना . . .	३२७२
२१६१	रेडियो कार्यक्रमों का रिले	३२७२-७३
२१६२	पंजाब के पहाड़ी जिलों के लिये विकास कार्यक्रम . .	३२७३
२१६३	बरेली में खेलकूद के सामान का उद्योग . .	३२७३
२१६४	काशमीरी गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा कब्जा . .	३२७३
२१६५	चेकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार करार .	३२७४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२१६६ इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् . . . ३२७४
२१६७ एमरी फिलेट ३२७४–७५
२१६८ बम्बई के एक उद्योगपति के विरुद्ध आरोप . ३२७५
२१६९ एयर मार्शल मुखर्जी की मृत्यु . . . ३२७५
२१७० पिस्तोलों के आयात और खुदरा विक्रय मूल्य . ३२७६
२१७१ तिब्बत के साथ व्यापार . ३२७६
२१७२ कताई मिलों के लिये लाइसेंस . . ३२७६
२१७३ दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा विज्ञापन . ३२७७
२१७४ बिहार में अल्प आय वर्ग आवास योजना . ३२७७
२१७५ न्यूनतम मजूरी . . ३२७७–७८
२१७६ जहरीली कीटनाशक दवाइयां बनाने वाले कारखाने ३२७८
२१७७ चाय सम्बन्धी कार्यकारी दल . . ३२७८
२१७८ हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड ३२७९
२१७९ प्रागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड ३२७९–८०
२१८० बड़े पैमाने के उद्योग . ३२८०
२१८१ तूतीकोरिन क्षेत्र में नमक . . ३२८०
२१८२ रायल इण्डिया पाकिस्तान और सीलोन सोसाइटी . . ३२८०–८१
२१८३ ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग एण्ड वीविंग कम्पनी, केरल ३२८१
२१८४ प्रेस संवाददाता . . . ३२८१–८२
२१८५ सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया सम्बन्धी भत्ता ३२८२–८३
२१८६ सूचना और प्रसारण मंत्री को यात्रा भत्ता . ३२८३
२१८७ पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का आगमन . ३२८३
२१८८ औद्योगिक एकक . . ३२८४
२१८९ मूंगफली के तेल का निर्यात . . . ३२८४–८५
२१९० नई दिल्ली में हाल ही में बनायी गयी नयी दुकानों का आवंटन . ३२८५
२१९१ उर्वरक का उत्पादन ३२८५–८६
२१९२ पूल गारण्टी निधि . . . ३२८६
२१९३ पुनर्वास मंत्रालय में छंटनी . . . ३२८६
२१९४ कारों का निर्माण ३२८७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१९५	मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना . . .	३२८७
२१९६	निजामुद्दीन, दिल्ली में खाली प्लाट . . .	३२८८
२१९७	प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में अध्ययन . . .	३२८८
२१९८	सिक्किम, भूटान और नेपाल के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी	३२८८–८९
२१९९	कर्मचारियों की छंटनी .	३२८९
२२००	छपाई की स्याही	३२८९
२२०१	नेपा मिल्स	३२८९–९०
२२०२	तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये आवंटित राशियों का उपयोग .	३२९०
२२०४	दिल्ली में छोटे पैमाने के उद्योग	३२९०
२२०५	सरकारी क्वार्टरों का वर्गीकरण	३२९०–९१
२२०६	सरकारी बस्तियों में सामाजिक कार्य	३२९१
२२०७	भारत-पाकिस्तान व्यापार . . .	३२९१
२२०८	त्रिपुरा में पाकिस्तानियों द्वारा ढोरों को ले जाया जाना	३२९२
२२०९	विक्रम देव कालिज, कोरापुट (उड़ीसा) .	३२९२
२२१०	भुसांडपुर में विस्थापित परिवार	३२९२–९३
२२११	चाय पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि . .	३२९३
२२१२	पश्चिम जर्मनी द्वारा भारतीय चाय का आयात .	३२९३–९४
२२१३	अमरीका को भारतीय चाय का निर्यात .	३२९४–९५
२२१४	दण्डकारण्य विकास प्राधिकार .	३२९५
२२१५	सरकारी प्रैस कर्मचारियों के लिए क्वार्टर .	३२९६
२२१६	शोरे की खरीद . .	३२९६
२२१७	काफी का निर्यात .	३२९६
२२१८	सिलाई की मशीनों का निर्यात . .	३२९६–९७
२२१९	मनीपुर का औद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण	३२९७
२२२१	मनीपुर में सीमेन्ट और इस्पात की कमी	३२९७
२२२२	मनीपुर में नमक का मूल्य . . .	३२९७
२२२३	महाराष्ट्र और गुजरात में शक्ति चालित करघे	३२९८
२२२४	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस .	३२९८
२२२४-क	गाय तथा बछड़ों की खाल का निर्यात	३२९८

विषय

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३२९८–९९

(१) व्यापार तथा पण्य चिह्न अधिनियम, १९५८ की धारा १२६ के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये व्यापार चिह्न पंजीयनालय के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) संविधान के अनुच्छेद ३२३ (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग का दसवां प्रतिवेदन ।

(दो) १९५९–६० में आयोग की सलाह को न मानने के कारण बतलाने वाला ज्ञापन ।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत में खेतिहर मज़दूरों के बारे में दूसरी जांच का प्रतिवेदन (खंड १—अखिल भारत)

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६७ ।

(तीन) नई दिल्ली में २४ और २५ सितम्बर, १९६० को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के अट्ठारहवें अधिवेशन की कार्यवाही का सारांश ।

(४) बाट तथा माप के प्रमाप अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८७४ में प्रकाशित बाट तथा माप के प्रमाप (भू-क्षेत्रफल को बदलना) नियम, १९६० की एक प्रति ।

राज्य-सभा से सन्देश ३२९९

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त दो सन्देशों की सूचना दी कि राज्य सभा ने १९ दिसम्बर, १९६० की अपनी बैठक में निम्नलिखित विधेयकों में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(१) लोक-सभा द्वारा ९ दिसम्बर, १९६० को पारित किया गया वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक, १९६० ।

(२) लोक-सभा द्वारा १४ दिसम्बर, १९६० को पारित किया गया अधिमान-प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक, १९६० ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ३३००

पिचहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विषय	पृष्ठ
लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	३३००
इकत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	३३००–०२
श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी में दास प्रथा के प्रचलित होने के समाचार की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।	
वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने इस बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	३३०२–०६
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने कपड़े के मूल्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
विधेयक–पुरस्थापित	३३०६
भारी बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक, १९६०	
विधेयक–पारित	३३०७–२३
वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) ने औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, १९६० पर विचार करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया । विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में श्री प्रभातकार द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन अस्वीकृत हुआ । विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित हुआ ।	
मध्यम पत्तन विकास समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	३३२४–३८
श्री त० ब० विट्ठल राव ने मध्यम पत्तन विकास समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया । श्री त० ब० विट्ठल राव ने वाद विवाद का उत्तर दिया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा . . .	३३३९–५३
श्री खाडिलकर ने भूतपूर्व नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, श्री ए० के० चन्दा को वित्त आयोग का सभापति नियुक्त किये जाने के बारे में चर्चा उठाई । वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वाद विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई ।	
गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९६०/१ पौष, १८८२ (शक) के लिये कार्यावली	
बाल विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार और उसका पारित किया जाना ।	

GMGIPND—LS III—1705 (Ai) LSD—11-1-61—115.